शुक्रवार,
१२ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार १२ मार्च १९५४

सभा एक बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तिलहन गवेषणा केन्द्र

*९४१. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में अलसी अथवा तिलहन के कितने गवेषणा केन्द्र हैं और वे कहां कहां स्थित हैं; और

(ख) प्रत्येक पर कितनी राशि व्यय की जाती है तथा उसमें कितना अनुपात केन्द्र का होता है और कितना राज्यों का ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) केन्द्रीय सरकार अथवा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के अन्तर्गत कोई अलसी या तिलहन गवेषणा केन्द्र नहीं है । राज्यों में भी ऐसे कोई केन्द्र नहीं हैं जो अनन्य रूप से अलसी अथवा अनन्य तिलहन की गवेषणा के लिये हों । इन फसलों पर उन केन्द्रों में गवेषणा होती है जो उन कृष्य फसलों से सम्बन्धित हैं जो कि बारी-बारी से तिलहन की फसलों के साथ उगायी जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एन० सोमना : क्या इलायची के लिए भी कोई गवेषणा केन्द्र है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मुझे मालूम है, नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि केन्द्र अथवा राज्यों के अंतर्गत भारत में कोई गवेषणा केन्द्र नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि कोई विकास केन्द्र स्थापित किए गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : गवेषणा उन सभी राज्यों में की जा रही है जो पर्याप्त मात्रा में तिलहन उगाते हैं । तिलहन समिति द्वारा समर्थित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों तथा केन्द्र द्वारा काफी व्यय भी किया जाता है ।

श्री राघवाचारी : क्या मैं जान सकता हूं कि आन्ध्र में अनन्तपुर नामक स्थान पर तिलहन में गवेषणा करने वाली 'आयल टेकनोलाजीकल इंस्टीट्यूट' नामक एक संस्था नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस संस्था के बारे में इस समय मुझे अधिक जानकारी नहीं है, किन्तु मेरा ख्याल है कि यह अनन्य रूप से गवेषणा संस्था नहीं है ।

चावल की खेती की जापानी प्रणाली

*९४२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों ने चावल

की खेती की जापानी प्रणाली अपनाकर अपनी प्रति एकड़ चावल की उपज में वृद्धि की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : चावल की खेती की जापानी प्रणाली द्वारा खेती में उपज करने की अब तक निम्नलिखित राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है :

१. आसाम ।
२. मध्य प्रदेश ।
३. उड़ीसा ।
४. उत्तर प्रदेश ।
५. पश्चिमी बंगाल ।
६. पेप्सू ।
७. मध्य भारत ।
८. त्रावनकोर-कोचीन ।
९. मैसूर ।
१०. त्रिपुरा ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या राज्यों की सभी आवहवाओं को एकरूप वृद्धि हुई ?

डा० पी० एस० देशमुख : वृद्धि पांच मन अतिरिक्त उपज से लेकर अड़तीस मन अतिरिक्त उपज तक हुई ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या यह प्रयोग जम्मू तथा कश्मीर राज्य में भी किया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्बन्ध में मेरे पास अब तक कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दाभी : क्या मैं उत्पादन प्रति एकड़ तथा लागत प्रति एकड़ जान सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एक या दो सप्ताह पूर्व पूछा गया था । अगला प्रश्न ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

*९४३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या जनवरी, १९५४ में जनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यपाली बोर्ड का १३वां अधिवेशन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रादेशिक संचालकों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस अधिवेशन में भारत के लिए महत्व रखने वाले किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमित आयव्ययक में कोई वृद्धि की गयी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) प्रादेशिक संचालकों की बैठक में, जो कि एक अनौपचारिक सम्मेलन था, भारत से विशिष्ट रूप से सम्बन्धित किन्हीं भी स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा नहीं की गयी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के १३वें अधिवेशन में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १**].

(ग) कार्यपाली बोर्ड ने सिफारिश की है, कि आगामी मई में विश्व स्वास्थ्य सभा की स्वीकृति के अधीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमित आयव्ययक में वृद्धि की जाए ।

सरदार हुक्म सिंह : आयव्ययक में इस वृद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : यह सिफारिश कुछ तथ्यों के आधार पर की गयी है । तथाकथित अल्प-विकसित देशों द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनेक

कार्यक्रम लेने को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन से मिलने वाले वर्तमान वित्त से यह ऐसा करने में असमर्थ है। अतएव कार्यपाली बोर्ड ने सिफारिश की कि यदि सदस्य राज्य यदि कुछ अधिक राशि दें, तो अतिरिक्त वित्त उपलब्ध हो सकता है। यदि कार्यपाली बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आयव्ययक में वृद्धि हो गयी, तो अन्य देशों की प्रकार भारत में भी इस संगठन की समस्त योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वार्द्धित आयव्ययक के लिए हमें कितनी राशि देनी पड़ेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : हमें निश्चय ही अधिक राशि देनी पड़ेगी, शायद ६ से ८ लाख रुपये तक, जैसा भी सभा द्वारा निर्णय किया जाए।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि आगामी मई में बैठने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा हमारी स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई योजना स्वीकृत किए जाने की कोई आशा है ?

राजकुमारी अमत कौर : कार्य सूची अभी मेरे पास नहीं है, किन्तु सम्बन्धित देशों द्वारा प्रस्तुत सभी योजनाओं पर विचार किया जाता है, और बहुत अनुकूल तरीके से।

हिन्दी के विशेषज्ञ की समिति

*९४५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे में प्रयोग किये जाने वाले अंग्रेज़ी पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची शब्द निश्चित करने के लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सन् १९५२ के प्रारम्भ में एक समिति नियुक्त की गयी थी जिसने कि अनेक शब्दों की जांच की है जो कि अंतिम स्वीकृति के लिए शिक्षा-विभाग को भेज दिए गये हैं।

सेठ गोविन्द दास : १९५२ में जो यह कमेटी बनायी गयी थी, उसने क्या यह काम समाप्त कर लिया है और अब इस तरह की कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री अलगेशन : समिति द्वारा 'ए' 'बी' तथा 'सी' अक्षरों से प्रारम्भ होने वाले रेलवे से सम्बन्धित शब्दों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा वे शिक्षा मंत्रालय को भेज दिए गए हैं जहां कि उन पर वैज्ञानिक शब्द निर्माण बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

सेठ गोविन्द दास : उसके बाद के अक्षरों का जहां तक सम्बन्ध है, उसके विषय में क्या हो रहा है ? क्या और कोई कमेटी बनायी जा रही है या वही कमेटी अभी आगे का भी काम करने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह कमेटी अभी और कोई नई बनाने का विचार नहीं है, लेकिन जो हमारा हिन्दी सेक्शन है, वह कुछ शब्दावली बना रहा है और उसको हमने स्थायी तौर पर इस्तेमाल करने का आदेश भी दे दिया है।

श्री वीर स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सत्य नहीं है कि अंग्रेज़ी परिभाषिक शब्दों के लिए हिन्दी शब्द निर्धारित करने में समिति को बहुत कठिनाई पड़ रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह बात सही नहीं है। वह समिति नामों की एक सूची तैयार कर चुकी है तथा वह सूची स्वीकृति के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गयी है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या सरकार ने यह सर्वमान्य सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि इन कामों के लिए सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अपनाया जाएगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे खेद है कि इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता । इस पर चर्चा करना तथा उस दृष्टिकोण से इस पर निर्णय करना शिक्षा मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों का काम है ।

सेठ गोविन्द दास: जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शब्दावलि का सम्बन्ध है, क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावलि जैसी कोई चीज़ नहीं है, और जो शब्दावलि बाक़ी है वह कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर हम तर्क कर रहे हैं । अब अगला प्रश्न लिया जाएगा ।

सेठ गोविन्द दास: मैं एक बात जानना भी चाहता था कि बाक़ी शब्दावलि कब तक तैयार हो जायगी ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न पर चर्चा उठाना मात्र है । वास्तव में भाषा इस बात पर निर्भर होगी कि जनता क्या स्वीकार करती है ।

सेठ गोविन्द दास : मैं ने यह भी पूछा था कि बाक़ी शब्दावलि कब तक बन जाएगी ? उन्होंने कहा था कि बाकी शब्दावलि तैयार हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

कुनैन

*१४७. **श्री एस० एन० दास**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) भारत की कुनैन की वर्तमान आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इस आवश्यकता का कितना भाग देशी उत्पादन द्वारा पूरा होता है और कितना आयातों द्वारा प्राकृति कुनैन तथा सांश्लेषिक कुनीन दोनों का; और

(ग) क्या सांश्लेषिक मलेरिया निरोधक चीज़ों की प्रतियोगिता से सिंकोना की खेती पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर : (क) भारत में इस समय कुनैन की कुल आवश्यकता लगभग ३,००,००० पौंड प्रति वर्ष प्राक्कलित की गयी है ।

(ख) उपर्युक्त आवश्यकता में से, भारत में उत्पादित की जाने वाली कुनैन, आयातित कुनैन तथा सांश्लेषिकों के औसत प्रतिशत, इस प्रकार है :

देशी कुनैन	१२ प्रतिशत
आयातित कुनैन	२१ प्रतिशत
आयातित सांश्लेषिक	६७ प्रतिशत

(समप्रमाण कुनैन क्षारों के रूप में)

इस समय भारत में व्यापारिक आधार पर सांश्लेषिक मलेरिया-निरोधकों का उत्पादन नहीं होता ?

(ग) गत विश्व युद्ध के दौरान में मुख्यत: कुनैन ही प्रचलित थी । युद्ध के उपरान्त से सांश्लेषिक मलेरिया-निरोधक अधिकाधिक संख्या में प्रयुक्त किए गये हैं क्योंकि उनका मूल्य अपेक्षाकृत कम है । किन्तु अभी तक विद्यमान सिंकोना बगानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत को कुनैन में स्वावलम्बी बनाने की कोई योजना है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर:: हां, श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास : वह निश्चित समय क्या है जब तक भारत के स्वावलम्बी हो जाने की आशा है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर: कुनैन का अधिक उत्पादन करने के लिये अनामलाई पहाड़ियों में एक निर्माणशाला बनाने पर विचार हो रहा है । तत्पश्चात हम लगभग १५० पौ० कुनैन का उत्पादन करेंगे और हम स्वावलम्बी हो जायेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत में मलेरिया निरोधक साश्लेषिक औषधि का उत्पादन करने की कोई योजना है, तथा यदि हां, तो उसका क्या कार्यक्रम है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर: आजकल पश्चिमी बंगाल में रिशरा मे 'इम्पीरियल कैमीकल इंन्डस्ट्रीज़' द्वारा एक निर्माणशाला स्थापित करने की योजना है ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या भारतीय भेषजों से कोई मलेरिया निरोधक भेषज तैयार करने की दृष्टि से कोई गवेषणा हो रही है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर: कुनैन के अतिरिक्त और किसी चीज़ का मुझे पता नहीं है ।

डा० राम राव : माननीय मंत्री ने अभी यह बताया है कि मलेरिया की रोक थाम के लिये सांश्लेषिक भेषजों की मांग बढ़ रही है, इस कथन की दृष्टि से इस प्रकार के भेषजों का उत्पादन आरम्भ करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर: मुझे ऐसी किसी कार्यवाही का पता नहीं है ।

बर्मा से चावल समझौता

*९४९. **श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बर्मा से तीन वर्ष के लिये एक समझौता किया है जिस के अनुसार बर्मा सरकारी खाते पर २,३०,००० टन तथा व्यापार द्वारा १,२०,००० टन चावल देगा; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या १९५४ में बर्मा से कुछ चावल का आयात होगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) सितम्बर १९५१ के भारत बर्मा व्यापार समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार को आश्वासन दिया गया था कि १९५२ से १९५५ तक प्रति वर्ष बर्मा भारत को सरकारी खाते पर २,३०,००० टन तथा व्यापार द्वारा १,२०,००० टन चावल देता रहेगा ।

(ख) हां ।

श्री दाभी: इस तथ्य की दृष्टि से कि सरकार ने बताया है कि वे बम्बई राज्य को, जितना वह चाहे, चावल दे सकते हैं, क्या सरकार ने उस राज्य में चावल के अन्तर्जिला परिवहन से प्रतिबन्ध हटाने के साथ साथ चावल का राशन तोड़ने की सलाह देने पर भी विचार किया है, और यदि हां, तो क्या बम्बई सरकार यह सलाह स्वीकार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक प्रश्न कर सकते हैं । उन्होंने तीन प्रश्न किये हैं माननीय मंत्री क्या उतर देते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ज्यों ही बर्मा का चावल भारत पहुंचेगा, हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे । एक प्रस्ताव यह है कि उन ग्यारह नगरों को छोड़कर जहां अनुविहित राशन है, बम्बई में एक पखवारे में चावल के लाने लेजाने, उपभोग की मात्रा आदि पर से सारे प्रतिबन्ध हटा दिये जायें । अत: वर्मा चावल के आने के पश्चात् हम उस प्रश्न पर भी ध्यान देंगे ।]

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सच है कि तामिल नाद चैम्बर आफ कामर्स

ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि बर्मा सरकार के साथ अपनी सरकार के इस समझौते का प्रभाव उन पर उलटा पड़ेगा और वे उस चावल का आयात नहीं कर सकेंगे जिसके लिये उन्हें अनुमति पत्र दिये जा चुके हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: झगड़ा यह नहीं था । वास्तव में साउथ इण्डियन चैम्बर आफ़ कामर्स के पास बहुत सा चावल जमा है । उनका विचार था कि यदि हम बर्मा से चावल का आयात करते है तो वह वर्ष के कमी के मासों में अधिक धन प्राप्त न कर सकेंगे । यह एक मुख्य कारण था । दूसरी आपत्ति यह थी कि कदाचित हमें अच्छी प्रकार का चावल प्राप्त न हो क्योंकि बर्मा के पास पिछले वर्ष का स्टाक शेष है । इन्हीं दो कारणों से उन्होंने अपने उस अभ्यावेदन में, जो उन्होंने केन्द्रीय मंत्रालय को प्रस्तुत किया था, आपत्ति की थी ।

डा० रामा राव: क्या सरकार को विदित है कि बर्मी प्राधिकारी, हमें चावल देने के लिये बिगड़े हुये चावल पर पुन: पालिश कर रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने किस्म के संबंध में समझौते में कुछ विशेषतायें रखी हैं तथा भारत को सम्भरण होने वाले चावल की किस्म के संबंध में हम अधिक से अधिक सावधान तथा सतर्क रहेंगे । यदि यह विशेषताओं की अपेक्षा गिरा होगा तो हम वह चावल अस्वीकार कर देंगे । माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में ऐसे कोई शंका नहीं होनी चाहिये कि हम ऐसा चावल स्वीकार करेंगे जो हमारी विशेषताओं से गिरा होगा ।

डा० रामा राव : क्षमा कीजियेगा, श्रीमान् उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया

अध्यक्ष महोदय : मैं ने एक प्रश्न की अनुमति दी है । मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री शिवनंजप्पा : बर्मा से प्राप्त होने वाले चावल की दृष्टि से, क्या सरकार का विचार देश भर में चावल पर से नियन्त्रण हटाने का है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसका अनेकों बार उत्तर दिया जा चुका है ।

डैक यात्री समिति का प्रतिवेदन

*९५०. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस समिति ने, जो यात्रा करने वाले डैक यात्रियों की कठिनाइयों की जांच पड़ताल करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये १९५० में नियुक्त की गई थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; तथा

(ख) यदि हां तो उस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया जा चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन): (क) हां ।

(ख) एक विवरण, जिसमें समिति की मुख्य मुख्य सिफ़ारिशों दी हैं तथा यह भी बताया गया है की वे कहां तक लागू की जा चुकी हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २**]

डा० राम सुभग सिंह : इस समिति की मुख्य सिफ़ारिशों में से एक सिफ़ारिश यह थी कि भारत तथा अफ्रीका के बीच चलने वाले जहाज़ों पर डैक यात्रियों के लिये सोने के स्थान की व्यवस्था होनी चाहिये । सदन पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार बी० आई० एस० एन० कम्पनी ने बड़ी चालाकी से इस सिफ़ारिश को स्वीकार

करना टाल दिया है। सरकार ने उन्हें ऐसा क्यों करने दिया है ?

श्री अलगेशन: यह समिति १९५० में नियुक्त की गई थी तथा इसने कुछ समय पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति की सिफ़ारिशों पर आदेश गत अक्तूबर में दिया गया था। संबंधित कम्पनी सिफ़ारिश को कार्यान्वित करने के लिये पग उठा रही है।

डा० राम सुभग सिंह : कथन से यह प्रतीत होता है कि डरनी कम्पनी ने भारत तथा फारिस की खाड़ी के बीच की यात्रा के लिये २५ प्रतिशत सोने के स्थानों के उपबन्ध से छूट पाने के लिये सरकार से प्रार्थना की है तथा सरकार छूट देने के प्रश्न पर विचार कर रही है। क्या सरकार इस कम्पनी से कहेगी कि वह छूट के लिये प्रार्थना न करे ?

श्री अलगेशन: यह सच है कि इस कम्पनी ने भारत तथा फारिस की खाड़ी के बीच की यात्रा के लिये इस उपबन्ध से छूट पाने की प्रार्थना की है। परन्तु वह प्रार्थना विचाराधीन है, तथा हमने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

श्री वी० पी० नायर : मद्रास से बर्मा तथा अन्य स्थानों को जाने वाले स्टीमर में डैक यात्रियों की अति अधिकता होने की दृष्टि से क्या सरकार ने इन मार्गों पर अधिक सेवा प्राप्त करने के लिये कोई पग उठाये हैं ?

श्री अलगेशन: अधिक सेवा प्राप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

दिल्ली के हस्पतालों का सरकार द्वारा लिया जाना

*९५१. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) दिल्ली के दो अस्पतालों को सरकार के ले लेने से क्या वर्तमान कर्मचारियों के वेतन में कोई परिवर्तन होगा; तथा

(ख) यदि हां, तो कितना ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) तथा (ख). सफदरजंग अस्पताल को प्रत्यक्ष प्रशासन के लिये भारत सरकार द्वारा लिये जाने से उस अस्पताल के वर्तमान कर्मचारियों के वेतन में कोई अन्तर नहीं पड़ा है। विलिंगडन अस्पताल तथा नर्सिंग होम, नई दिल्ली के मामले में कुछ उन डाक्टरों के वेतनो में, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों की चिकित्सा करते हैं, १ फरवरी १९५४ से संशोधन कर दिया गया है। एक विवरण जिसमें उनको पहिले मिलने वाले वेतन व भत्ते तथा अब संशोधित परिश्रमिक दिये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३**].

श्री के० पी० सिन्हा : केन्द्रीय सरकार ने इन अस्पतालों को अपने प्रशासन में क्यों लिया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अखिल भारतीय चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने की दृष्टि से सफदरजंग अस्पताल को लिया गया है।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या नगरपालिका को कुछ क्षतिपूर्ति देनी है, यदि हां, तो कितनी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सफदरजंग अस्पताल दिल्ली राज्य के अधीन था।

श्री एस० एन० दास : क्या विलिंगडन अस्पताल में काम करने वाले समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों की काम करने की शर्तों पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं प्रश्न नहीं समझ सकी

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या अब विलिंगडन अस्पताल के समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों की काम करने की शर्तों पर विचार किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो सुविधायें दी जाती हैं उसका प्रश्न अंशदायी चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आता है। यह योजना सम्भवत: नये वैत्तिक वर्ष के आरम्भ में ही कार्यान्वित हो जायेगी।

श्री नानादास : इन दो अस्पतालों में उत्तम परिस्थितियों की व्यवस्था करने तथा रोगियों के लिये सुविधाओं में सुधार करने के लिये सरकार क्या करेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : बिस्तरों की संख्या तथा कर्मचारियां की संख्या में वृद्धि करने के कार्यक्रम हैं।

मद्रास में खाद्यों का लाना तथा ले जाना

*९५२. **श्री मनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मद्रास राज्य में खाद्यों के लाने ले जाने पर से रोक हटाली गई है ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारी, मद्रास राज्य में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले के लिये, खाद्यों का बुकिंग करने से इन्कार कर रहे हैं; तथा

(ग) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) खाद्यों से, माननीय सदस्य का तात्पर्य, संभवत: खाद्यान्नों से है। हाल में, मद्रास राज्य में, खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर लगाई गई रोक, बहुत शिथिल कर दी गई है परन्तु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं की गई है।

(ख) नहीं। यदि, सरकार द्वारा लाने ले जाने पर रोक न लगी हुई हो।

(ग) रेलवे अधिकारियों को लाने ले जाने पर, राज्य सरकार द्वारा, लगाई गई रोक का पालन करना ही पड़ता है।

श्री मुनिस्वामी : क्या इन कठिनाइयों के सम्बन्ध में, मदुराय तथा सलेम ज़िलों से, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री अलगेशन : नहीं, जहां तक मुझे ज्ञात है। क्या माननीय सदस्य किसी विशेष बात का हवाला दे रहे हैं ? अब भी, बहुत से ऐसे प्रतिबंध हैं, जो राज्य सरकार ने, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को, अथवा एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन को, खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर लगा रक्खे हैं। इसके अतिरिक्त और कोई निषेध नहीं है जो रेलवे ने लगा रक्खा हो।

श्री वेंकटारमन : क्या सरकार को ज्ञात है कि यद्यपि तंजौर से मद्रास तक खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर से रोक हटा ली गई है तथापि रेलवे ने इस रोक को हटाया नहीं है ?

श्री वी० पी० नायर : यह तो स्वाभाविक है।

श्री अलगेशन : जहां तक लाने ले जाने का प्रश्न है, सरकार की ओर से, चावल, मद्रास, चिंगिलपुट, उत्तर अर्काट, दक्षिण अर्काट, तिरुचिरापल्ली, सलेक, कोयम्बूटूर, मदुराय, रामनाथपुरम, तथा तिरुनलवेल्ली जा रहा है।

श्री वेंकटारमन : क्या सरकारको ज्ञात है कि हालांकि मद्रास सरकार ने, तंजौर से मद्रास तथा, चावल के परिवहन पर से रोक हटा ली थी, रेलवे ने इस रोक को यथावत बनाये रक्खा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: ऐसी दशा एक पखवारे तक रही। उस के बाद इस की ओर रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया तथा इसे ठीक कर दिया गया। अब चावल बिना किसी रोक के तंजौर से मद्रास जा रहा है।

श्री मुनिस्वामी: क्या सरकार को ज्ञात है कि रेलवे अधिकारियों को उचित रूप से सूचना नहीं भेजी गई, जिस के फलस्वरूप इन रोकों के न हटाये जाने से लोगों को हानि उठानी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय: पिछले उत्तर में ही इस प्रश्न का उत्तर भी सम्मिलित है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि १५ दिन तक असुविधा रही।

बहुत पुराने इंजन

*९५३. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तरी रेलवे में, कितने बहुत पुराने इंजनों से काम लिया जा रहा है; तथा

(ख) उनको बदलने के कौन से उपाय किये जा रहे हैं।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तरी रेलवे में ५४४ बहुत पुराने इंजनों से काम चलाना पड़ता है।

(ख) सभी रेलों के पुनस्संस्थापन कार्यक्रमों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्य की गति, जिस में उत्तरी रेलवे भी सम्मिलित है, यथासंभव बढ़ा दी गई है।

श्री डी० सी० शर्मा: साधारणतया एक इंजन कितने वर्ष काम देता है तथा कितने मील चलता है ?

श्री अलगेशन: ४० वर्ष।

अध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न है कितने मील।

श्री अलगेशन: डेढ़ लाख मील चलने के बाद सारे इंजन को खोल कर उस की मरम्मत आदि की जाती है।

श्री डी० सी० शर्मा: इन में से कितने इंजन मेन लाइन पर तथा कितने ब्रान्च लाइनों पर चलते हैं ?

श्री अलगेशन: इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

रेलों में होने वाली चोरियां

*९५४. **श्री विश्वनाथ राय:** क्या रेलवमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ३० दिसम्बर १९५३ की रात को, उत्तर पूर्वी रेलवे लाइन पर, पहेलजाघाट से सोनेपुर रेलवे स्टेशन को आने वाली ३३३ डाउन गाड़ी, मार्ग में रोक ली गई थी, तथा गाड़ी के ब्रेक वान से, एक तिजोरी गायब कर दी गई जिस में रेलवे का रुपया था; तथा

(ख) यदि हां, तो जांच से क्या पता चला ?

रेलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह गाड़ी मार्ग में रोकी नहीं गई थी, परन्तु जब गाड़ी जा रही थी तो उसके ब्रेक-वान से एक सफ़री तिजोरी गायब कर दी गई जिस में रेलवे का रुपया था।

(ख) पालेजाघाट तथा सोनपुर के मध्य तार खम्भा संख्या २/४ पर रेल की पटरी से आधे मील की दूरी पर, तिजोरी, जिस दशा में थी, उसी दशा में, मिल गई।

पुलिस की अन्तिम रिपोर्ट की अभी राह देखी जा रही है।

श्री एस० एन० दास: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तिजोरी चलती गाड़ी

में से उठाई गई थी, मैं यह जान सकता हूं कि उस समय गाड़ी किस रफ्तार से चल रही थी और इसे उठाना कैसे सम्भव हुआ ?

श्री अलगेशन: मेरे पास उस की रफ्तार के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : रफ्तार चाहे कुछ भी हो, इसे बाहर फेंका जा सकता है ।

रेलवे में वेतन क्रम

***९५५. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे के विभिन्न महा-खण्डों में एक ही सेवा-श्रेणी के वेतनक्रम में कोई अन्तर है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो (१) इसके क्या कारण हैं ; और (२) प्रत्येक श्रेणी के वेतन-क्रम में कितना अन्तर है ; और

(ग) क्या एक ही महाखण्ड में भी वेतन-क्रम में अन्तर के कोई मामले हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में विभिन्न खण्डों में तथा एक ही खण्ड में केन्द्रीय वेतन आयोग और संयुक्त मंत्रणा समिति की सिफारिशों को लागू करके समता स्थापित की जा रही है । परन्तु यदि माननीय सदस्य कोई विशेष मामला हमारे ध्यान में लायें तो रेलवे बोर्ड से उस पर विचार करने के लिये कहा जायेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: क्या निज़ाम स्टेट रेलवे के प्रूफ़ रीडरों को पूर्व रेलवे के प्रूफ़ रीडरों से कम वेतन मिलता है ?

श्री अलगेशन : हम इस पर विचार कर सकते हैं । इन मामलों में यद्यपि पद-नाम तो एक ही होता है, किन्तु कर्त्तव्य और उत्तर-दायित्व अलग अलग होते हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम इस पर विचार अवश्य कर सकते हैं ।

श्री वीरस्वामी: क्या यह सत्य नहीं है कि गोल्डन रॉक तथा पेराम्बूर के कारखानों में एक ही श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन क्रम अलग अलग है और इस के कारण कर्मचारियों में बड़ी निराशा उत्पन्न हो गई है ?

श्री अलगेशन: मैं यह जानना चाहूंगा कि वे किस श्रेणी का उल्लेख कर रहे हैं । वे बाद में इस का विस्तृत ब्यौरा दे सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे ---

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

भारतीय वन कालेज, देहरादून

***९५६. श्री गिडवानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वन कालेज, देहरादून में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण शुल्क को घटाने तथा उसे अन्य व्यावसायिक कालेजों के समान कर देने और खुली प्रति-योगिता के द्वारा विद्यार्थियों का चुनाव करने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख). प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री गिडवानी: क्या यह सत्य है कि प्रत्येक राज्य विद्यार्थियों को चुनता और

मनोनीत करता है और वही उन का खर्च उठाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां मुझे यह ज्ञात नहीं है कि राज्य द्वारा दिये गये खर्च में से विद्यार्थियों से कुछ भाग लिया जाता है या नहीं।

श्री गिडवानी : विदेशी विद्यार्थियों तथा राज्यों के विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क में क्या अन्तर है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक का शुल्क होता है और दूसरे का खर्च को पूरा करने के लिये दिया गया अंशदान । यदि हमारे विदेशी विद्यार्थियों को अधिक रियायतें देने के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो, तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम न इसमें केवल नेपाल और श्रीलंका के विदेशी विद्यार्थी ही प्रविष्ट किये हैं। पांच श्रीलंका के हैं और ६ नेपाल के ।

श्री टी० एन० सिंह : क्यों कि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन आगामी आय-व्ययक के ठीक पहले प्रस्तुत किये जाते हैं, क्या आय-व्ययक तैयार करते समय समिति के निश्चयों को आय-व्ययक में सम्मिलित करने का कोई प्रयत्न किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का हर प्रयत्न किया जाता है और जब हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे तो आवश्यक बचत अवश्य की जायेगी ।

गोरखपुर डिवीजन में डाकिये

*९५७. **श्री धूसिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गोरखपुर डिवीज़न में अलग अलग कुल कितने अस्थायी तथा स्थायी डाकिये हैं; और

(ख) उनमें कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)

(क) अस्थायी १२
स्थायी ३१०

(ख) अस्थायी १
स्थायी ४

श्री धूसिया : इन नम्बर्स से जाहिर होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की तादाद बहुत कम है। क्या यह जो नम्बर कम है तो यह कोई गवर्नमेंट आफीशियल्स की या गवर्नमेंट की गलती से है ? अगर गवर्नमैंट की गलती से है जिस को दूर किया जा सकता है, तो उस में गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

श्री राज बहादुर : इस में कोई शक नहीं कि पूरी कोशिश नहीं की गयी, वरना जितने उम्मीदवारों की हमको जरूरत है वे शायद हम को मिल जाते।

श्री धूसिया : इस में और क्या किया जा रहा है ? यह जो नम्बर कम है तो यह कब तक कम रहेगा ?

श्री राज बहादुर : जो भी कदम इस में उठाये जा सकते हैं वे उठाये जा रहे हैं, मसलन् यह भी किया जा रहा है कि जो रिज़र्व्ड वेकेन्सीज़ के एरियर्स एक साल से दूसरे साल को जाते थे वे तीन साल में जा कर खत्म कर दिये जाते थे। अब इस के लिये ऐसे कायदे बनाये गये हैं कि जब तक पूरी संख्या इन की न हो जाये तब तक एरियर्स ज्यों के त्यों रहें ।

श्री नानादास : क्या यह सत्य है कि अब भी उन्हें डाकिये के पद के लिये उम्मीदवार कठिनता से मिल रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, हमें सभी मामलों में कठिनाई नहीं हो रही, किन्तु

कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रक्षित स्थानों के लिये आवश्यक उम्मीदवार नहीं मिलते ।

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति

*९६२. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१५ के उत्तर को निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति में पटसन उगाने वालों को प्रतिनिधित्व देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने समिति को दिये जाने वाले वार्षिक अनुदान में कोई वृद्धि की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति में पटसन उगाने वालों का पहले ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ।

(ख) समिति का वार्षिक अनुदान १० लाख रुपये है । १९५४-५५ के लिये इसे बढ़ा कर २५ लाख रुपये कर दिया गया है । परन्तु भविष्य के लिये कोई वचन नहीं दिया गया ।

(ग) समिति को २५ लाख रुपये का बढ़ा हुआ अनुदान इसलिये दिया गया है जिस से वह पटसन कृषि गवेषणा संस्था के भवन तथा अपने कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण को पूरा कर सके और उन कुछ योजनाओं में धन लग सके जो कि धनाभाव के कारण रुकी पड़ी थीं ।

श्री एल० एन० मिश्र : पटसन उगाने वालों के हितों को तथा पटसन उगाने वालों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को किस सिद्धान्त के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मेरे पास प्रतिनिधियों का विस्तत ब्यौरा यहां विद्यमान है । इस में पदेन २, भारत सरकार द्वारा मनोनीत ४, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि ५, पश्चिमी बंगाल का सहकारी आन्दोलन १, पटसन मिल संघ २, व्यापार मंडल ४, नौवहन तथा पटसन संघ १, पटसन व्यापार, बिहार १ हैं । उगाने वालों के प्रतिनिधि: पश्चिमी बंगाल ३, आसाम २ और बिहार २, कुल ७ हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : प्रतिनिधित्व किस प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अस्थायी रूप से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से चुने जाते हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या विशेषज्ञ समिति ने इस निकाय के पुनर्गठन का सुझाव दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री अमजद अली : ८-१२-५३ को पूछे गये प्रश्न संख्या ७१५ के उत्तर में माननीय मंत्री ने इस समिति के पुनर्गठन का वचन दिया था । क्या उसे क्रियान्वित कर दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान्, मैं यह बता देना चाहता हूं कि अन्य बहुत सी समितियों के विषय में भी विचार किया जा रहा है और जब सिफारिशें प्राप्त होंगी तो इस का भी ध्यान रखा जायेगा ।

बिना टिकट यात्रा

*९६३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर बिना टिकट

यात्रा को रोकने के लिये १९५३ में कितनी बार टिकट देखने की विशेष रूप से व्यवस्था की गई ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी राशि वसूल हुई ; और

(ग) अब तक कितने व्यक्ति जेल भेजे गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विशेष रेलवे मजिस्ट्रेटों ने बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये ५,७५५ बार विशेष रूप से टिकट देखे।

तूफानी दलों तथा विभागीय अधीक्षकों और टीटियों की निरीक्षकों द्वारा भी इस प्रकार से टिकट देखे जाते हैं, किन्तु उन की संख्या सारणीबद्ध नहीं है, अतः तुरन्त ज्ञात नहीं हो सकती।

(ख) ५,२८,३५८ रुपये।

(ग) १,४०० ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि बहुत से रेलवे स्टेशनों पर समय से टिकट नहीं दिये जाते हैं जिस के कारण मुसाफिर बगैर टिकट के यात्रा करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सत्य है कि कुछ रेलवे स्टेशनों पर समय पर टिकट नहीं दिये जाते ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): मुमकिन है कि ऐसा कहीं होता हो कि बुकिंग विंडों जितनी पहले खुलनी चाहिये न खुलती हो, लेकिन सिर्फ वही एक कारण नहीं है जिस की वजह से टिकटलेस ट्रैवलिंग होती है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह वाकया नहीं है कि रेलवे के बहुत से गार्ड लोग मसाफिरों को बगैर टिकट के गाड़ी में सवार कर लेते हैं और उन से पैसा ले लेते हैं तब जाने देते हैं, अगर यह होता है तो सरकार इस के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे खेद है कि अक्सर यह बिहार में ही होता है।

श्री भागवत झा आजाद : सारे हिन्दुस्तान में होता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के लिये मंत्री महोदय से सीधे कुछ कहने का तरीका गलत है। उन्हें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह बात सही है कि .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई के छोटे छोटे कार्य

*९६५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को सिंचाई के छोटे छोटे कार्यों के लिये १,४१,००,००० रुपया दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यह रुपया सिंचाई की नई योजनाओं पर खर्च करेगी या कि पुरानी योजनाओं को पूरा करने में ; और

(ग) यह सहायता कितनी योजनाओं के लिये दी गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): माननीय सदस्य ने यह उल्लेख नहीं किया है कि उन्हें किस वर्ष या वर्षों के विषय में जानकारी चाहिये । प्रथम पंच वर्षीय योजना के तीन वर्षों में, उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं

के लिये केन्द्र से ८०२.८२८ लाख रुपये तक ऋणों या अनुदानों के रूप में सहायता दी गई है ।

(ख) दोनों पर ।

(ग) कुल ७९ योजनाओं के लिये सहायता दी गई है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को देखते हुए कि पूर्वी युक्त प्रान्त में नहर की योजना नहीं हो सकती, क्या कोई ट्यूब वैल की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं कुछ कह नहीं सकता ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये दिये जाने वाले अनुदान का अनुपात इस राज्य के क्षेत्रफल के अनुरूप है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम इस बात पर विचार नहीं करते । जो राज्य हमें ऐसी योजनाएं भेजते हैं जिन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं उन्हें प्राथमिकता दे दी जाती है । जो 'पहले आता है, वह पहले पाता है, यह सिद्धान्त है और हम जनसंख्या या क्षेत्रफल के अनसार अनुदान नहीं देते ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): हमारे क्षेत्र में गंगा यमुना नहीं बहती ।

अध्यक्ष महोदय : विषयान्तर मत कीजिये ।

फल तथा सब्जियों का विकास बोर्ड

*९६६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग के सुझाव के अनुसार फल तथा सब्जियों का विकास बोर्ड बना दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो उस सुझाव पर अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं ।

(ख) सुझाव अभी विचाराधीन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सब्जियों के विकास बोर्ड के लिये कोई धनराशि पृथक् रखी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मुझे पता है, अभी तक नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : बोर्ड के द्वारा जो कार्य किये जाते है वे अब कैसे किये जा रहे हैं ? अब उन कार्यों का माध्यम कौन है ?

डा० पी० एस० देशमुख: बोर्ड तो इस समय है नहीं । कार्य का एक अंश तो कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् कर रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सब्जी केन्द्र आदि जैसे कोई संगठन हैं और यदि हैं तो उन्हें कैसे चलाया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सब्जी के बीजों के उत्पादन केन्द्र हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को उनके विषय में पूरी पूरी जानकारी है ।

श्री एस० एन० दास : क्या सुझाव पर सक्रिय विचार हो रहा है या सामान्य विचार ही हो रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि उस पर बहुत ही सक्रिय विचार हो रहा है ।

क्लर्कों का स्थानान्तरण

*९६७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि डाक तथा तार विभाग में वरिष्ठ अधीक्षक (सीनियर

सुपरिन्टेन्डेण्ट) तथा सर्कल प्रमुख के स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिकार ऐसे नहीं जो आपस में बदले जा सकें ;

(ख) क्या हैदराबाद सब-सर्कल में क्लर्कों के एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में होने वाले स्थानान्तरण मद्रास के पोस्ट मास्टर जनरल अथवा डी० पी० एस० हैदराबाद सर्कल की सहमति के बिना ही हो रहे हैं ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो इसके कारण ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बाहदुर): (क) प्रश्न स्पष्ट नहीं है । स्थानान्तरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधीक्षक और सर्कल प्रमुख के अधिकार भिन्न प्रकार के हैं अतः आपस में बदले जा सकने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में क्लर्कों के स्थानान्तरण केवल डाक सेवाओं के निदेशक के आदेश द्वारा ही हो सकते हैं । किन्तु पारस्परिक स्थानान्तरण की अनुमति डिवीज़न प्राधिकारियों द्वारा स्वयं दी जा सकती है ।

(ग) उक्त भाग (क) तथा (ख) के प्रति दिये गये उत्तरों को देखते हुये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री टी० वी० विट्ठल राव : क्या कोई ऐसे प्रकरण सरकार के नोटिस में आये हैं जिनमें वरिष्ट अधीक्षक ने किन्हीं क्लर्कों को एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में हैदराबाद के डाक सेवाओं के निदेशक की सहमति के बिना स्थानान्तरित कर दिया हो ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैं बता चुका हूं, वरिष्ठ अधीक्षक दूसरे डिवीज़न के प्रभारी अधीक्षक की सहमति से एक डिवीज़न से दूसरे डिवीजन में स्थानान्तरण कर सकता है ।

जोतों की गणना

*९६८. **श्री आर० एस० लाल :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्यों की सरकारों को जोतों की गणना के लिये कोई निदेश दिये गये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार उनकी एक प्रति सदन पटल पर रखने का है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) हां ।

(ख) भारत सरकार के राज्य सरकारों के नाम लिखे पत्र संख्या एफ-५-२७/५३-पी० सी-२, दिनांक ८ जनवरी, १९५४, को एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस-७८ ५४]

श्री एन० एम० लिंगम : यह कैसे है कि एक ओर तो सरकार भूमि समस्या को और उसके द्वारा बेकारी समस्या को हल करने के लिये उत्सुक है और दूसरी ओर राज्य सरकारें इस विषय में इतनी धीमी गति से कार्य कर रही है, यहां तक कि भूमि के सम्बन्ध में गणना भी नहीं कर पाई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता । इस में इतने अधिक संकेत किये गये हैं ।

श्री तिम्मय्या: क्या राज्य सरकारों द्वारा जोतों की अधिकतम सीमा के बारे में कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ राज्य इस विषय पर विचार कर रहे हैं ।

सामन्य राजस्व के प्रति रेलवे द्वारा भुगतान

*९६९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९५२-५३ में भारतीय रेलवे

द्वारा सामान्य राजस्व के प्रति ब्याज रूप में दी जाने योग्य कुल राशि ;

(ख) वास्तव में दी गई राशि; तथा

(ग) पूर्ण राशि का भुगतान न हो सकने के कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). १९५२-५३ में भारतीय रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व में कोई ब्याज देय नहीं था। किन्तु १९५२-५३ में लगी हुई पूंजी पर सामान्य राजस्व को ४ प्रतिशत की दर से ३३.९९ करोड़ रुपया लाभांश के रूप में देय था तथा दिया गया।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री के० सी० सोधिया : यह लाभांश कितनी पूंजी पर देय है ?

श्री अलगेशन : लगभग ८५७·४ करोड़ रुपये।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस में रेलवे की सभी पूंजी सम्मिलित है ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान्, सिवाय भूतपूर्व बंगाल आसाम रेलवे तथा उत्तर-पश्चिम रेलवे के जिनके लेखे अभी तक निपट नहीं पाये हैं।

श्री के० सी० सोधिया : उन रेलों की लम्बाई कितनी है ?

श्री अलगेशन : लगभग ३४,००० मील।

श्री के० सी० सोधिया : उन में कितनी पूंजी लगी हुई है ?

श्री अलगेशन : यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या उन ६० करोड़ रुपयों पर, जिनके लिये भारतीय रेलवे जांच समिति के मतानुसार कोई मूर्त अस्तियां उपलब्ध नहीं हैं, लाभांश दिया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान्, यह तो रिकार्ड का प्रश्न है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

*९६०. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर के कर्मकरों को जो चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी गई हैं वे अपर्याप्त हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : नहीं, इन चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को पर्याप्त नहीं समझा जाता। किन्तु इस फ़ैक्टरी के आवास क्षेत्र में एक अस्पताल की स्थापना कर के और सुविधायें दिये जाने का विचार है। यह काम चालू वर्ष में आरम्भ हो जाने की आशा है। यह विचार भी है कि स्त्री कर्मचारियों के लिये आवश्यकता होने पर एक शिशु गृह (क्रेश) की स्थापना की जाये।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस फैक्टरी में जहां सैंकड़ों स्त्रियां काम कर रही हैं कोई लेडी डाक्टर नहीं है ?

श्री राज बहादुर : स्त्रियों की संख्या १६७ है और हमारे पास एक नर्स, एक दाई और एक मैडिकल अफसर हैं जो उनकी देखभाल करते हैं और उनके लिये चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। अभी तक तो नियम यह रहा है कि केवल अविवाहित स्त्रियों तथा विधवाओं को ही काम पर लगाया जाता था।

श्री वी० पी० नायर : क्या चिकित्सा की उचित सुविधाओं के न होने के कारण ही वहां काम करने वाली स्त्रियों पर विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

श्री राज बहादुर : यूं तो विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु अभी तक अविवाहित स्त्रियों को ही सेवायुक्त किया गया है । अब हम ने नियमों में परिवर्तन कर दिया है अत: विवाहित स्त्रियों को भी काम पर लगाया जायेगा तथा उन्हें अपेक्षित चिकित्सा सुविधायें दी जायेंगी ।

गुन्टूर में तम्बाकू को फिर से सुखाने वाली मशीन

*९७१. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गुंटूर जिला तम्बाकू विक्रय समिति ने यह प्रार्थना की है कि केन्द्रीय तम्बाकू विक्रय समिति द्वारा खरीदा गया तम्बाकू को फिर से सुखाने वाला संयंत्र इसे दे दिया जाये ;

(ख) सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया; तथा

(ग) इस संयंत्र को बेचने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). यह मामला विचाराधीन है ।

श्री सी० आर० चौधरी : इस मामले के सम्बन्ध में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि इसे अगले कुछ सप्ताहों में अन्तिम रूप से तय कर दिया जायगा ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या यह सच नहीं है कि इस संयंत्र के बहुत से पुर्जे पहिल से ही गायब हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री नानादास : यह संयंत्र कब खरीदा गया था और कितने समय तक इससे काम नहीं लिया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कुछ वर्ष पूर्व खरीदा गया था और यह सच है कि इस मे काम नहीं लिया गया है क्यों कि इस बीच में गैर सरकारी एजेन्सियों ने तम्बाकू साफ़ करने के पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये थे इसलिये इस संयंत्र से काम नहीं लिया जा सका ।

अत्यधिक पुराने इंजन

*९७२. **श्री एच० एस० प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तरपूर्वी रेलवे में लाइन पर कितने अत्यधिक पुराने इंजन चल रहे हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है ; और

(ख) इन्हें कितने समय में बदल देने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस समय २९४ अत्यधिक पुराने इंजन लाइन पर चल रहे हैं ।

(ख) इन्हें लगभग पांच वर्ष की अवधि में बदलने की योजना है ।

श्री एच० एन० प्रसाद : क्या इन्हें भारत में बने हुए या विदशों में बने हुए इंजनों से बदला जाएगा ?

श्री अलगेशन : दोनों में ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि इस इंजनों के ठीक काम न करने के कारण, यात्रियों की अगली गाड़ियां प्राय: छूट जाती हैं और उन्हें बहुत असुविधा होती है ?

श्री अलगेशन : ऐसे मामले हो सकते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या देश में बनाया हुआ इंजन अधिक अच्छा काम देता है या विदेशों से आयात किया हुआ ?

श्री अलगेशन : दोनों अच्छा काम देते हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इन रेलवेज़ पर प्रयोग किये जाने वाले इंजनों की औसत अवधि २० वर्ष है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बे

*९७३. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारतीय रेलवेज़ के विभिन्न महाखंडों पर कितने शीतोष्ण नियन्त्रित डिब्बे चल रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : केन्द्रीय ११, पूर्वी १२, उत्तर ५, दक्षिणी ७, पश्चिमी १७।

श्री एम० डी० जोशी : क्या यह संख्या बढ़ाई जायेगी ?

अलगेशन : जी हां; निर्माण के लिये हमारा एक कार्यक्रम है।

श्री एम० डी० जोशी : इस पर कितना व्यय होगा।

श्री अलगेशन : मैं तत्काल नहीं बतला सकता।

श्री एम० बी० रामस्वामी : क्या उन सब गाड़ियों में जिन से पहला दर्जा हटा दिया गया है, शीतोष्ण नियन्त्रित डिब्बे रखे गये हैं ?

श्री अलगेशन : सब गाड़ियों में नहीं किन्तु अधिकांश गाड़ियों में जिन से पहला दर्जा हटा दिया गया है, ये डिब्बे हैं।

श्री एस० वी० रामास्वामी : रेलवे प्रशासन का प्रतिवर्ष कितने शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बे चालू करने का विचार है ?

श्री अलगेशन : हमारा २२८ ब्राड गेज और १२६ मीटर गेज डिब्ब बनाने का विचार है।

श्री के० के० बसु : इन शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों में से कितने प्रतिशत भारत में बनाये या जोड़े जाते हैं और कितने प्रतिशत बाहर से आयात किये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : सब डिब्बे यहीं बनाये जाते हैं।

रेल के किराये

*९७५. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कितनी रेलवे लाइनें हैं जिन पर किराया प्रति मील पर डेढ़ मील के हिसाब से लिया जाता है ;

(ख) ऐसी रेलवे लाइनें कुल कितने मील लम्बी हैं ; और

(ग) किन सिद्धान्तों के आधार पर इस प्रकार किराये का हिसाब लगाया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चार।

(ख) इन रेलवे लाइनों की वास्तविक लम्बाई निम्न है :—

	मील
हरिद्वार—देहरादून	३२.२५
ग्वालियर—शिवपुरी	७४.४५
ग्वालियर—शिवपुरी कलां	१२४.१५
उज्जैन—आगरा	४१.५०

(ग) विशेष कारणों से अर्थात् निर्माण, संधारण तथा कार्यवहन के अधिक व्यय के कारण किराया अधिक लिया जाता है।

श्री आर० सी० शर्मा : क्या ग्वालियर-शिवपुर लाइन पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण अधिक किराया लिया जा सके ?

श्री अलगेशन : इन्हीं कारणों से ही जो कि मैं ने अभी बतलाये हैं, अधिक किराया लिया जा रहा है ।

श्री आर० सी० शर्मा : इस लाइन में कितने मील लम्बा पहाड़ी भाग है, जिस के कारण अधिक किराया लिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि कितने मील लम्बी लाइन के लिये अधिक किराया लिया जाता है--क्या इस सम्बन्ध में कोई सामान्य नियम है--और क्या पहाड़ी भाग की लम्बाई इतनी है कि अतिरिक्त किराया लिया जाये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह लम्बाई पर निर्भर नहीं है ।

श्री यू०एम० त्रिवेदी : क्या यह सत्य है कि बढ़ाये हुये किराये की दरें हाल में अन्य रेलवेज़ से हटा दी गई हैं ?

श्री अलगेशन : १६ विभागों से ये हटा दी गई थीं । अब ये कुल १४ विभागों में जारी हैं ।

माल का जहाज़ "आशा"

*९७६. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि झजारिया ट्रेडिंग कम्पनी, कलकत्ता के माल के जहाज़ "आशा" को जिस पर जापान ले जाने के लिये ५००० टन भंगार था, के ५३ भारतीय नाविकों ने सिंगापुर से आगे जाने से इन्कार कर दिया था और भारत लौट जाने की मांग की थी ;

(ख) क्या यह सत्य है कि जहाज़ पुराना था और समुद्र यात्रा के अयोग्य था;

(ग) क्या यह सत्य है कि जहाज़ को अब खींच कर जापान ले जाया जायेगा और वहां इसे भंगार के रूप में बेचा जायेगा ; और

(घ) समुद्र यात्रा के अयोग्य जहाज़ का प्रयोग करने के लिये इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या पग उठाये है या उठाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । ५४ नाविकों, (८ पदाधिकारियों और ४६ नाविकों) और जहाज़ के मास्टर ने सिंगापुर से आगे जापान की यात्रा जारी रखने से इन्कार कर दिया था और भारत लौट आने के लिये मांग की थी ।

(ख) यद्यपि जहाज पुराना था परन्तु २४ दिसम्बर, १९५३ को जब वह बम्बई से चला था तो समुद्र यात्रा के योग्य होने के सम्बन्ध में इसे के पास सब प्रमाणपत्र थे ।

(ग) हां ।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या नाविक भारत पहुंच गये हैं ?

श्री अलगेशन : वे सम्भवत: कल पहुंच जायेंगे ।

श्री अमजद अली : भारतीय समुद्र क्षेत्र से बाहर जाने से पूर्व क्या इस के पास समुद्र यात्रा के योग्य होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र था ?

श्री अलगेशन : जी हां, इस के पास सब प्रमाणपत्र थ ।

बार्सी लाइट रेलवे

*९७८. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस तारीख को सरकार ने बार्सी लाइट रेलवे का कार्यभार अपने हाथ में लिया था उस समय इसके इंजन तथा डिब्बों का मूल्य कितना था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पुस्तक मूल्य ४७,७०,७४५ रुपये है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : इसके इंजनों की संख्या कितनी है ?

श्री अलगेशन : इंजनों तथा डिब्बों के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एच० जी० वैष्णव : इन इंजन तथा डिब्बों के लिये कम्पनी को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई थी ?

श्री अलगेशन : यह क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न नहीं है । इस कम्पनी का कार्यभार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, और समझौते के अनुसार हमने मूल्य दे दिया है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या इंजन तथा डिब्बों का अलग मूल्य नहीं लगाया गया था ?

श्री अलगेशन : जी नहीं ।

श्री के० के० बसु : सरकार ने इस कम्पनी का कार्यभार जब अपने हाथ में लिया था तो क्या उसने कम्पनी की पुस्तकों में दिखाये गये मूल्य के स्टाक की वास्तविक जांच की थी ?

श्री अलगेशन : निरीक्षण तो केवल इस बात का किया गया था कि स्टाक कम तो नहीं है ।

रायलसीमा में टेलीफोन एक्सचेंज

*९७९. **श्री लक्ष्मय्या :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रायलसीमा में कोई नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है ; तथा

(ख) इस समय उस क्षेत्र में इस प्रकार के कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) :

(क) जी हां ।

(ख) १० ।

श्री लक्ष्मय्या : विभिन्न स्थानों पर इन नये टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने के विषय में किन किन बातों का ध्यान रखा जायेगा ?

श्री राज बहादुर : आरम्भ में हमारा विचार सभी ज़िला प्रधान केन्द्रों तथा ३०,००० या इससे अधिक जन संख्या वाले शहरों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है ।

श्री लक्ष्मय्य : क्या उखकोंडा के निवासियों द्वारा उस व्यापारिक शहर में टेलीफोन एक्सचेंज खोलन के बारे में अभ्यावेदन किये जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था पब्लिक काल कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई थी । अपेक्षित सामग्री उपलब्ध होने पर यह यथा सम्भव शीघ्र खोल दिया जायेगा ।

उर्वरक खरीदने के लिये ऋण

*९८०. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ वर्ष म अमोनियम् सल्फेट के क्रय तथा वितरण के हेतु विभिन्न

राज्यों के लिये स्वीकृत किये गये अल्पकालीन ऋणों की कुल राशि ; तथा

(ख) विभिन्न राज्य सरकारें इन ऋणों का उपयोग किस सीमा तक कर सकी हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ६-३-५४ तक रु० ५८६·८१ लाख ।

(ख) आशा है कि राज्य सरकारों द्वारा इस ऋण में से काफ़ी राशि का उपयोग किया गया होगा । वस्तुतः उपयोग की गई राशि का पता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कुछ समय बाद चल सकेगा ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्याँ इस समय में यह जानने की कुछ चेष्टा की गई थी कि विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले इन ऋणों का कुछ उपयोग किया गया है और किया गया है तो किस सीमा तक ।

डा० पी० एस० देशमुख : वस्तुतः ये नगद-ऋण नहीं है । हम उन्हें उर्वरक की मात्रा प्रदान करते हैं । किसी अन्य कार्य में धन के प्रयुक्त होने की सम्भावना नहीं है । हमारे यह कहने का कारण कि क्या पूरी राशि का उपयोग किया गया है या नहीं, यही है कि हमें पता नहीं है कि उर्वरक की मात्रा को वस्तुतः काम में लाया गया है या नहीं ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों नें अपनी आगामी वर्ष की आवश्यकता बता दी है, और यदि बता दी है, तो वे कुल कितनी मात्रा चाहते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: वर्तमान वर्ष के लिये हमने १० करोड़ रुपयों की राशि का उपबन्ध किया है । हमने वितरण से सम्बद्ध पदाधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था और उन्होंने अपनी अपनी आवश्यकता बता दी है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों को ऋण के रूप में दिये जाने वाले उर्वरक किसानों को नगद दाम पर दिये जाते हैं या ऋण के रूप में ?

डा० पी० एस० देशमुख : उर्वरक ही ऋण के रूप में दिया गया था । वास्तविक दाम जून में या उस के कुछ पहले लिया जायेगा ।

श्री के० के० बसु: मेरा प्रश्न यह था कि क्या राज्यों ने भी उर्वरक ऋण के रूप में किसानों को दिया था या नकद दाम पर बेचा था ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें आशा है कि उन्होंने वह ऋण के रूप में उनको दिया होगा ।

रेलवे पदाधिकारियों की ज्येष्ठता

***९८१. श्री मुनिस्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों की ज्येष्ठता सभी रेलों के आधार पर निश्चित की जाती है ;

(ख) इन प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों का तबादिला एक रेलवे से दूसरी रेलवे तक कितने कितने अन्तर से होता रहता है ;

(ग) इन पदाधिकारियों का तबादिला करने में रेलवे द्वारा क्या नीति अपनाई जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि कार्य-दक्षता बनाये रखने के लिये तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का पांच वर्ष म तबादिला कर दिया जाता है ; तथा

(ङ) क्या प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में भी वही नीति अपनाई जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) । विशेष पदाधिकारियों के निवेदन पर उनके आपसी तबादिले के अलावा एक रेलवे से दूसरी रेलवे में किये जाने वाले तबादिले लोक हित को दृष्टि में रखते हुये किये जाते हैं ।

(घ) यद्यपि कुछ समय पहले जन-साधारण के सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे निदेश निकाले गये थे, तथापि विद्यमान परिस्थितियों की कुछ कठिनाइयों के कारण उनका कड़ाई के साथ प्रवर्तन नहीं किया गया है । तबादिले साधारणतः प्रशासनीय कारणों से किये जाते हैं ।

(ङ) प्रशासनीय कारणों से और लोकहित की दृष्टि से आवश्यक होने पर इन पदाधिकारियों का तबादिला किया जा सकता है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता कि दक्षिण रेलवे से कुछ व्यक्तिगत अभ्यावदन या मज़दूर-संघ के द्वारा हो कर कुछ ऐसे अभ्यावदन भेजे गये हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति का और दक्षिण रेलवे को भेजे गये निदेशों का पालन वहां के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता ?

श्री अलगेशन : क्या माननीय सदस्य पांच वर्ष के नियम का निर्देश कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : किन निदेशों का पालन नहीं हो रहा है ?

श्री मुनिस्वामी : तबादिला, पदोन्नति आदि से सम्बन्धित निदेशों का पालन नहीं किया जाता ।

श्री अलगेशन : वे साथ साथ नहीं चलते ।

पर्यटन सम्बन्धी प्रचार

*९८२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवहन मंत्रालय की पर्यटक-यातायात शाखा ने कितनी सचित्र पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं ; तथा

(ख) उनका क्या उपयोग किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आठ ।

(ख) प्रकाशित सामग्री का लक्ष्य पर्यटक-यातायात की वृद्धि करना है । यात्रा-व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न एजेन्सियों को ये मुफ्त बांटी जाती हैं । समूल्य प्रकाशनों की प्रतियां भारत में बेजी भी जाती हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या वे विभाग में ही तैयार की जाती हैं अथवा उसके लिये बाहर से लोगों को बुलाया जाता है ?

श्री अलगेशन : उनको विभाग में ही तैयार किया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं इन आठ पुस्तिकाओं का विषय जान सकता हूं ।

श्री अलगेशन : यह सूची लम्बी है और . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पुस्तक-सूची को देख सकते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : यदि पर्यटन सम्बन्धी प्रचार बढ़ाने के लिये हिमालय की कुछ पहाड़ी स्टेशनों के बारे में पुस्तिकायें तैयार की गई हैं, तो मैं जान सकता हूं कि इसके लिये दक्षिण की कोई पहाड़ी स्टेशनों क्यों नहीं चुनी गईं ?

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य को अपनी पहाड़ी-स्टेशन की चिन्ता है, तो मैं इस पर विचार करने का वचन दे सकता हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा : ये सब पुस्तिकायें किन भाषाओं म प्रकाशित होती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हिंदी तथा अंग्रेज़ी में ।

रेलवे सेवाओं में ज्येष्ठता

*९८३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे-सेवाओं में ज्येष्ठता का निर्धारण खंड (ज़ोन) वार होता है या ओ० टी० आर०, ई० आई० आर० आदि रेलों के पुराने विभागों के आधार पर, तथा

(ख) क्या प्रदेशों या खंडों (ज़ोनों) की सेवाओं में आपसी अदला-बदली या तबादिला होता है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उच्च पदों में ज्येष्ठता का निर्धारण सभी रेलों के आधार पर होता है ।

(ख) प्रदेश-प्रदेश (रीजन) के बीच तबादिले सामान्यत: उन पदों के सम्बन्ध में होते हैं, जो खण्ड के आधार पर भर जाते हैं, सामान्यत: खण्ड-खण्ड के बीच तबादिले नहीं होते ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हू कि कितने मामलों में दूसरे खंड से तबादिला होने पर एक खंड की ज्येष्टता पर प्रभाव पड़ा था ?

श्री अलगशन : जैसा मैंने बताया, साधारणत: खंड खंड के बीच तबादिले नहीं होते ।

पंडित डी० एन० तिवारी : जब तबादिले हुये थे, तो क्या दूसरे खंड की ज्येष्ठता पर प्रभाव पड़ा था ?

श्री अलगेशन : जब संबंधित व्यक्ति के निवेदन पर तबादिले होते हैं, तो उसकी ज्येष्ठता सबसे कम हो जाती है ।

श्री वेंकटारमन : मैं जान सकता हूं कि एक स्थायी कर्मचारी और एक अधिक दीर्घ सेवा-काल वाले कर्मचारी के बीच ज्येष्टता का निर्धारण करते समय रेलवे प्रशासन द्वारा क्या नियम अपनाया जाता है ? ऐसे दो व्यक्तियों में किसे ज्येष्ठ माना जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : निश्चय ही स्थाई कर्मचारी को ।

श्री वेंकटारमन उठे—

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर तर्क नहीं चाहता ।

रेलवे दुर्घटना

*९८४. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १७ जनवरी, १९५४ को दक्षिण रेलवे के गंटाकल-हुबली भाग (सेक्शन) पर कोई मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई था ;

(ख) हताहतों की संख्या क्या थी ;

(ग) अन्य हानि कितनी हुई थी ;

(घ) क्या कुछ जांच की गई है ;

तथा

(ङ) यदि की गई है, तो जांच का नतीजा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां । १७-१८ जनवरी, १९५४ की रात को लगभग १-५० बजे जब ३१११ अप मालगाड़ी गंटाकल-हुबली सेक्शन की बंटानहल और वीरपुर स्टेशनों के बीच चल रही थी, चार सब से पीछे के

डिब्बे नदी में गिर गये और अगले तीन डिब्बे पुल के पार गिर गये ।

(ख) दो रेल-कर्मचारी मर गये और दो रेल-कर्मचारी घायल हुये ।

(ग) रेल-सम्पत्ति को रु० ६०,६५० की अनुमानित हानि हुई ।

(घ) रेलवे के प्रादेशिक-पदाधिकारियों की एक समिति द्वारा एक जांच की गई थी ।

(ङ) प्रथम दृष्टि में प्रकट होता है कि अत्यधिक चाल के कारण और एक डिब्बे के ब्रेक लगे रहने के कारण ही गाड़ी पटरी से उतर गई थी ।

नलकूप

* ९८५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की नलकूप लगाने की योजना जिस पर २५ करोड़ रुपया व्यय होगा, किसी राज्य में प्रारम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस राज्य में ; और

(ग) किस कम्पनी को ये नलकूप लगाने का ठेका दिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमख) : (क) तथा (ख) हां । यह कार्य जिस पर लगभग २३ करोड़ रुपया व्यय होगा पहिले से ही उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथो पेप्सू राज्यों में प्रगति कर रहा है ।

(ग) जिन फ़र्मों को ठेके दिये गये हैं उनके नाम निम्न हैं :

(१) मैसर्स असोसियेटेड ट्यूबबेल्स लि० .

(२) मैसर्स हरोल्ड टी० स्मिथ इन्कार्पोरेटेड ।

(३) मैसर्स जर्मन वाटर डेवल्पमेण्ट कारपोरेशन ।

(४) मैसर्स फ्रेंच ग्रुप आफ़ ड्रिलिंग कोस० ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार को नल-कूप-निर्माण-कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है, और क्या वे राज्य भी जहां यह कार्य आरम्भ किया गया है कुछ व्यय-भार उठाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इनमें से अधिकतर राज्यों को दिये गये ऋण हैं तथा उनका कुछ भाग टी० सी० एम० निधि से आता है । समझौते में प्रतिबार यह बताया जाता है कि कार्य के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा । यह कार्य आरम्भ होने से दो वर्ष से अधिक नहीं होता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन नल-कूपों के पानी की दर निर्धारित करने में, जो भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋण से बनाये जायेंगे, भारत सरकार का हाथ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां । दरों तथा ठेकों को निश्चित करना पूर्णतया हमारे हाथ में है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या वे राज्य जहां विद्यमान पानी दर प्रचलित है, भारत सरकार को पानी की दूसरी दर लागू करने देंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : ये नलकूप एक विशेष दर पर बनाये जायेंगे जो ठेके में दी है । यदि इसके बाहर कोई नलकूप हैं तो ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि यही दर स्वीकार्य की जाये ।

श्री वी० पी० **नायर :** अमरीका की फ़र्म मैसर्स हरोल्ड टी० स्मिथ इन्कार्पोरेटेड को कितने नलकूपों का ठेका दिया गया है तथा उनकी दरों व दूसरों की दरों में क्या अनुपात है ?

डा० पी० एस० देशमख : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं । ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तथा मुझे कुछ लम्बा उत्तर देना पड़ेगा ।

श्री लक्ष्मय्या : क्या सरकार का विचार रायलसीमा में कुछ नलकूप बनाने का है ?

डा० पी० एस० देशमख : यह उस खोज-कार्य पर निर्भर होगा जिसे करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं । उसके परिणामस्वरुप रायलसीमा के किसी भाग के नलकूप बनाने के लिये उपयुक्त समझे जाने पर ही हम यह करने का साहस कर सकेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि चार प्रदेशों में, चार राज्यों में, यह काम चल रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि और किस किस राज्य में इसके चलने की सम्भावना है और कहां कहां इसकी खोज हो रही है कि यह नलकूप वहां पर सुभीते से बन सकते हैं या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारे पास ३५० एक्सप्लोरेटरी वैल्स का इन्तज़ाम होने वाला है और काफ़ी स्टेटों में हमारी कार्यवाही होने वाली है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इण्डियन फारस्ट कालिज, देहरादून

*९४४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि देहरादून के इण्डियन फारेस्ट कालिज में विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के आधार पर नहीं लिया जाता ;

(ख) क्या कारण हैं कि इस कालिज को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं किया गया है और;

(ग) क्या कृषि स्नातकों को इस कालिज में लिया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) वन विद्यालय में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है वे राज्य की बन सेवाओं के परीक्षणाधीन कर्मचारी होते हैं । उन्हें प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाता है तथा इस की व्यवस्था राज्य के लोग सेवा आयोग की सलाह से राज्य अधिकारी करते हैं ।

(ख) यह विद्यालय अधिकांश भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण विद्यालयों की प्रकार का या उन के अनुरूप है । अतः इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्ध करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) वे उम्मीदवार , जो प्राकृतिक विज्ञान, गणित या कृषि की पदवी परीक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुये हों, विद्यालय में प्रवेश हो सकते हैं ।

रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति

*९४६. **श्री ए० के० गोपालन :** (क) **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मद्रास के पश्चिमी तट के मछली व्यापारियों को रेल प्रयोक्ता सलाह-कार समिति में स्थान देने की आवश्यकता के बारे में कोई अभ्यावेदन या ज्ञापन प्राप्त हुये हैं ?

(ख) यदि हां , तो सरकार इस मामले में क्या कर्यवाही करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) हां ।

(ख) दक्षिण रेलवे से प्रार्थना की गई है कि जब कभी कोई स्थान रिक्त हो

तब वह अन्य अभ्यावेदनों के साथ साथ इस पर राज्य सरकार की सलाह से विचार करे ।

मैसूर में रेलवे कारखाना

*९४८. **श्री केशवैयंगार** : (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे कारखाना, मैसूर में प्रति वर्ष कितने डिब्बे बनाये जाते हैं ?

(ख) लकड़ी के डिब्बे की चलने की अवधि कितनी होती है ?

(ग) लकड़ी के उस डिब्बे के मूल्य में, जिसमें तृतीय श्रेणी के छोटे छोटे भाग हों, तथा विदेश से आयात किये गये धात के बने डिब्बे के मूल्य में क्या अन्तर है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) १२

(ख) लगभग ३० वर्ष

(ग) आयात किये गये छोटी लाइन के ऐसे डिब्बे के ढ़ांचे का मूल्य, जो पूर्णतया धात का बना हो, रेलवे कारखाने में सुसज्जित होने पर तृतीय श्रेणी के लकड़ी के बने डिब्बे के मूल्य से लगभग १३,००० रुपये अधिक होता है ।

गन्ना कृषि

*९५८. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) गन्ने से चीनी के उत्पादन का तथा प्रति एकड़ गन्ने के उत्पादन का औसत प्रतिशत क्या है ; तथा

(ख) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष कितनी भूमि में गन्ना-कृषि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५२-५३ की फसल में गन्ने से चीनी के उत्पादन का अखिल भारतीय प्रतिशत ९.९७ था । उसी वर्ष प्रति एकड़ भूमि गन्ने का औसत उत्पादन २,६९३ पौं० था ।

(ख) १९४८-४९ से १९५२-५३ तक के वर्षों में गन्ना कृषि का क्षेत्रफल निम्न है :–

(आंकड़े हजार एकड़ों में)

१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
३,७५२	३,६२४	४,२१७	४,७९३	४,३७६

भारतीय श्रम सम्मेलन

*९५९. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय श्रम सम्मेलन के १३वें अधिवेशन में, जो ७ से ९ जनवरी, १९५४ तक मैसूर में हुआ था, किन किन महत्व पूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ तथा क्या क्या निश्चय हुये ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :

जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ वे निम्न हैं :

(१) हाल में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) के सम्मेलनों तथा समितियों की बैठकों का पुनरीक्षण ;

(२) शिल्पिक (टेकनिकल) सहायता ;

(३) स्त्री-मज़दूरों की समस्यायें;

(४) मजूरी निर्धारण व्यवस्था;

(५) औद्योगिक (मज़दूर) आंकड़े नियमों को कार्यान्वित करना;

(६) गोरखपुर मज़दूर योजना;

(७) प्रसूति निमित्त, भत्तों तथा सुविधाओं की एक रूपता ; तथा

(८) नौकरी से निवृत्ति प्राप्त करने के पूर्व अंश दाता को भविष्य निधि का भुगतान ।

दो संकल्प जो इस सम्मेलन में स्वीकार हुये थे, पहिले ही सदन पटल पल रखे जा चुके हैं । अन्य मदों के सम्बन्ध में सम्मेलन ने बहुत से सुझाव दिये ।

रेलवे लेखा समायोजना कार्यालय के कर्मचारी

*९६०. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रेलवे लेखा समायोजन कार्यालय के लगभग २४० प्रत्यावर्तित कर्मचारियों को, जिन्हें जून, १९४८ में अस्थायी प्रबन्ध के रूप में एक कमरे के मकानों में रखा गया था, अभी तक कोई अन्य वैकल्पिक मकान नहीं दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन व्यक्तियों का आधा नियमोचित किराया अथवा वेतन का १० प्रतिशत, जो भी कम हो, के अतिरिक्त अपना पूर्ण मकान किराया भत्ता भी बन्द हो जाता है !

(ग) इसके क्या कारण हैं ; तथा

(घ) क्या निकट भविष्य में उन्हें मकान देने के लिये सरकार की कोई योजना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान्, । तत्पश्चात् १० कर्मचारियों को पृथक् मकान दे दिये गये हैं ।

(ख) हां, श्रीमान ।

(ग) मकान-किराया-भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें कोई सरकारी मकान नहीं दिया जाता है तथा उन्हें नहीं दिया जाता है जिन्हें सरकारी मकान मिल चुके हैं ।

(घ) हां, श्रीमान् । क्वार्टरों की कमी एक कार्यक्रम के अनुसार प्रति वर्ष पूरी की जा रही है । अन्य कर्मचारियों की मांग का भी ध्यान रखते हुये अवसर प्राप्त होते ही पृथक् मकान नियत कर दिये जायेंगे ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

*९६१. **श्री गोपाल राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के प्रयोग लाभदायक सिद्ध हुये हैं ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, मछली पकड़ने के स्थानों, मछली पकड़ने के कंडों तथा व्यक्तियों के प्रशिक्षण के बारे में सूचना देने में ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे के मकानों का किराया

*९६४. **श्री राघवैय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हुबली के रेलवे कर्मचारियों

ने मकानों के किराये में की गई वृद्धि के बारे में विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण ; तथा

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) सारी दक्षिण रेलवे में उसी आधार पर एक सी व्यवस्था लागू करने के हेतु जो अन्य सरकारी रेलों में जारी है, किरायों में यह वृद्धि की गई थी ।

(ग) इस वृद्धि को १ अक्तूबर, १९५३ से चार अर्ध वर्षीय क़िस्तों में लागू करने का निर्णय किया गया है । किसी हालत में कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक किराया नहीं लिया जा सकता ।

पालार पुल

*९७७. **श्री काचिरोयर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पालार नदी (मद्रास राज्य) पर रानीपेठ तथा अर्काट के बीच एक ऊपरी पुल बांधने की योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस व्यय की अनुमानित राशि जो इस काम पर किया जाना है ; तथा

(ग) यह काम कब आरम्भ होने जा रहा है और कब पूर्ण होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) लगभग २१ लाख रुपये ।

(ग) १९५४–५५ में इस काम के आरम्भ किये जाने की आशा है और दो से तीन वर्षों के अन्दर वह पूर्ण हो जायेगी ।

टेलीग्राफ तार की चोरी

*९८६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में कितनी टेलीग्राफ तार चुराई गई और उसका मूल्य कितना था ; और

(ख) इस चोरी के कितने मामले पकड़े गये और कितने चालान किये गये ?

संचार उप मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) मात्रा : २५७७३८ पौंड ।
मूल्य : ८,४१,२०५ रुपये ।

(ख) पकड़े गये मामले : ३,६८९ ।
चालान किये गये मामले : ८० ।

डाक कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त समय का भत्ता

*९८७. **श्री राघवय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि डाक कर्मचारियों के कुछ श्रेणियों को छुट्टियों के दिन में भी काम करना पड़ता है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई अतिरिक्त समय भत्ता दिया जाता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, चिट्ठियों के लेने, भेजने तथा बांटने के काम से सम्बद्ध कर्मचारियों को ही छुट्टियों में काम करना पड़ता है ।

(ख) नहीं, किन्तु डाकियों तथा गट्ठे बांधने वालों की छुट्टियों के काम के लिये १ रुपया प्रति दिन का निश्चित भत्ता दिया जाता है ।

सब्जी के बीजों की किस्मों में सुधार करने सम्बन्धी केन्द्र कुलू

*९८८. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कुलू (पंजाब) के सब्जी के बीजों

की किस्मों में सुधार करने सम्बन्धी केन्द्र के अधीन की भूमि का क्षेत्र विस्तार; तथा

(ख) उस पर किये जाने वाला वार्षिक व्यय ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख). कुलू के केन्द्रीय सब्ज़ी के बीजों की किस्मों में सुधार करने सम्बन्धी केन्द्र के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं :

भूमि का क्षेत्रविस्तार : २३ एकड़ (लगभग)

(२) वार्षिक व्यय:-

१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
४९०६४रुपये	५८३३४रुपये	६०८०५रुपये

युद्ध आघात प्रतिकर बीमा अधिनियम

***९८९. श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या **श्रम** मंत्री युद्ध आघात प्रतिकर बीमा अधिनियम के अनुसार श्रमिक कल्याण पर अब तक खर्च की गई कुल राशि बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) इन उपायों का स्वरूप क्या है और यह काम कितने केन्द्रों में किया जा रहा है ?

(ग) ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें इससे लाभ होता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) अब तक २,३४,००० रुपये की राशि मंजूर की गई है; वास्तव में खर्च की गई राशि के सम्बन्ध में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जिन दो योजनाओं के अधीन अनुदान दिये जाते हैं उनकी प्रतिलिपियां सदन-पटल पर रखी जाती हैं। [पुस्तकालय में रख दी गईं। **[देखिये संख्या** एस० ७९/५४]

(ग) छात्रवृत्तियां देने की योजना के अधीन ४२ कर्मचारियों को और अन्य योजना के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र के लगभग ६५०० कर्मचारियों को। राज्यों के क्षेत्रों में यह संख्या बड़ी होगी किन्तु निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वनमहोत्सव

***९९०. श्रीमती कमलेन्दुमति शाह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वनमहोत्सव योजना के अधीन अब तक लगाये गये पेड़ों की संख्या ;

(ख) अब तक बचे हुये पेड़ों की संख्या ; तथा

(ग) इस योजना पर किये गये खर्च की राशि ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख) १७ फ़रवरी, १९५४ को पूछे गये प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के भाग (क) तथा (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) चार वर्ष के पहले जब से यह योजना आरम्भ हुई थी तब से ४९७०८ रुपये।

'जलमोती' की टक्कर

***९९१. श्री विश्वनाथ राय :**
श्री एच० एस० प्रसाद :
सरदार ए० एस० सहगल :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग :

(क) क्या यह तथ्य है कि फरवरी, १९५४ म एल्ब के नदीमुख में भारतीय माल जहाज 'जल मोती' टक्कर की दुर्घटना में ग्रस्त हुआ था ; तथा

(ख)टक्कर के कारण हुई क्षति की राशि ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) (क) हां ।

(ख) अभी यह निश्चित नहीं की गई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद्

*९९२. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य हैकि भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् को यह सूचित कर दिया गया है कि जुलाई १९५३ से जून, १९५४ के वर्ष के लिये अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत नियत १० लाख टन के गेहूं के कोटे को वह नहीं ले रही हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत पुनरीक्षित तथा नवीकृत प्रथम फसल वर्ष १ अगस्त १९५३ से ३१ जुलाई १९५४ है न कि जुलाई १९५३ से जून १९५४ तक । अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् को यह सूचित कर दिया गया है कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के प्रथम वर्ष का कोटा नहीं ले रही है ।

रेडियो लाइसेन्स

*९९३. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, १९५३ से अब तक बग़ैर लाइसेंस रेडियो सेट रखन और चलाने के कितने मामले पकड़े गये है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर मामला चलाया गया ; और

(ग) रेडियो सेटों को रजिस्टर कराने के लिये क्या पग उठाय गये ह ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १ जनवरी, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक १२,४३६ ।

(ख) १,५७५ ।

(ग) विभाग द्वारा नियुक्त कर्मडियो सेटों की जांच तथा लाइसेंस के लिये वर्ष भर सक्रिय कार्यवाही की जाती है ।

विभागेतर कर्मचारी वर्ग द्वारा निर्वाचन प्रतियोगिता

*९९४. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **संचार** मंत्री ३० नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१३ को निर्दिष्ट करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभागेतर डाक कर्मचारी वर्ग को पंचायत तथा अन्य स्थानीय निर्वाचनों में भाग लेने की अनुमति देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) अन्य किन किन श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को यह छूट दी जायेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, वे इन निर्वाचनों म भाग ले सकते हैं ।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो कि पूर्ण क़ालीन सरकारी कर्मचारी नहीं है तथा किसी नियमित असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है, भाग ले सकता हे ।

पेट्रोल का स्थानापन्न

*९९५. **श्री गिडवानी :** क्या **परिवहन** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५३ को पेट्रोल की बजाय पानी तथा मिट्टी के तेल से चलने वाले एक यंत्र के विषय में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१४ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इसका परीक्षण किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाकघरों के लिये सामान

*१९६. **श्री राघवय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार इन तथ्यों से अवगत है कि ब्रांच डाकघरों, स्थायी तथा प्रायोगिक दोनों में न्यूनतम आवश्यकताओं का सामान जैसे घड़ियां, रिकार्ड बॉक्स आदि नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : घड़ियां केवल ऐसे महत्वपूर्ण ब्रांच डाकघरों को दी जाती हैं जिनका आर० एम० एस० से सीधा सम्बन्ध रहता है अथवा जो डाक-बसों से डाक बदलते हैं तथा ऐसे अन्य डाकघरों में जहां परीक्षक पदाधिकारियों द्वारा घड़ी आवश्यक समझी जाती है । सब ब्रांच डाकघरों को रिकार्ड बॉक्स अथवा लोहे की पेटियां दी जाती हैं । स्थायी तथा प्रायोगिक दोनों प्रकार के डाकघरों में, केवल नये खुले कुछ डाकघरों को छोड़ कर जहां कि रिकार्ड बाक्स अभी दिये जाने हैं, निरपेक्ष रूप से आवश्यक फरनीचर तथा अन्य सामान दिया गया है ।

(ख) विभाग के पदाधिकारियों को आदेश भेजे जा चुके हैं कि किसी ब्रांच डाकघर को चलाने के लिये आवश्यक कोई भी सामान अविलम्ब दिया जाये तथा कोई भी नवीन डाकघर तब तक नहीं खोला जाये जब तक कि फरनीचर तथा आवश्यक सामान उपलब्ध न हो ।

आर० एम० एस० डाक के डिब्बे

१७५. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अनेक आर० एम० एस० विभागों में ऐसे तीसरे दर्जे के डिब्बे डाक-डिब्बों के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हैं जिनमें सुरक्षा युक्तियां नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण ; और

(ग) कब तक इन डिब्बों के स्थान पर उचित डाक-डिब्बों को प्रयुक्त किये जाने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, कुछ मामलों में ।

(ख) सज्जित डिब्बों की कमी । विद्यमान डाक के डिब्बे भी समय समय पर मरम्मत आदि के लिये वापस भेज दिये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न पर सरकार पहले से ही सक्रिय विचार कर रही है । यथासम्भव शीघ्र ही अतिरिक्त डाक के डिब्बों का निर्माण करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

अमरोहा में टेलीफोन एक्सचेंज

१७६. **श्री राम शरण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद ज़िले में अमरोहा के लिये कई मास हुये एक टेलीफोन ऐक्सचेंज की स्वीकृति दी गयी थी और अभी तक यह स्थापित नहीं किया गया है ; और

(ख) इसके कब तक कार्य करने लगने की सम्भावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). ५० लाइनों के लिये पहले स्वीकृत की गयी योजना टेलीफोन कनक्शनों की कम मांग के कारण रद्द कर दी गयी है। २० लाइनों के एक्सचज की एक संशोधित योजना विचाराधीन है ।

मोकामे घाट पर गाड़ियों का रुकना

१७७. श्री एस० एन० दास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पटना तथा हावड़ा के बीच चलने वाली कितनी ही मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में से, केवल एक ऐक्सप्रेस गाड़ी पूर्वी रेलवे पर मोकामे घाट से होकर गुजरती है तथा वहां रुकती है ;

(ख) क्या इस प्रकार के कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुये हैं कि उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसाफिरों की सुविधा के लिये सब मेल तथा ऐक्सप्रेस गाड़ियां मोकामे घाट हो कर गुज़रें तथा वहां ठहरें ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और कोई निर्णय लिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं, हावड़ा से आने जाने वाली ६ मेल तथा ऐक्सप्रेस गाड़ियों में से जो कि पटना हो कर गुज़रती हैं, तीन डाउन और चार अप गाड़ियां मोकामे घाट पर ठहरती हैं ।

(ख) जी हां, ९-११-५३ तथा १६-११-५३ और ६-१२-५३ तथा २७-१-५४ के बीच के इस काल में जबकि मोकामे घाट का घाट स्टेशन हथडा घाट हटाना पड़ा था ।

(ग) मोकामे घाट पर स्टेशन के वापस आने के साथ, २९-१-५४ से रेलों को पहले वाले मार्ग पर ही चलाया जान लगा है ।

खाद्यानों में आत्मनिर्भरता

१७८. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन खाद्यान्नों के सम्बन्ध में भारत ने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है तथा उनके उत्पादन के नवीनतम आंकड़े ;

(ख) किन खाद्यान्नों के सम्बन्ध में भारत को चालू वर्ष में आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है, उनका उत्पादन गत वर्ष कितना था और इस वर्ष कितना होने की आशा है ; और

(ग) गेहूं तथा चावल में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). सन् १९५३-५४ में अच्छी फ़सल होने की दृष्टि में हमें आशा है कि चालू वर्ष में चावल तथा मोटे खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे । सन् १९५३-५४ के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सन् १९५२-५३ के अन्तिम प्राक्कलन के अनुसार इन अन्नों का उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

(हज़ार टन में)

चावल	२३,४२४
ज्वार	६,०३८
बाजरा	२,९२२
मक्का	२,६०७
रागी	१,२३५
छोटा अनाज	१,९३२
जौ	२,६६४

(ग) चावल तथा मोटे अनाज के सम्बन्ध में स्थिति ऊपर बतलाई जा चुकी है । जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, हमारा

आंतरिक उत्पादन हमारी समस्त आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं समझा जाता। अस्तु बहुत कुछ आगामी रबी की फसल पर निर्भर रहेगा, जो लगभग २ मास में काटी जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथ

*१७९. **श्री दाभी** : क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार राष्ट्रीय राजपथों पर २७ करोड़ रुपय व्यय कर रही है ;

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो प्रत्येक राज्य में कितनी रक़म खच की जायेगी ;

(ग) (१) नई सड़कों, (२) दो मार्गों को मिलाने, (३) बड़े बड़े नये पुलों का निर्माण करने और बम्बई राज्य की वर्तमान सड़कों का सुधार करने में कितनी रक़म खर्च की जायेगी ; और

(घ) राज्य के किन किन क्षेत्रों में यह काम होगा।

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४] ऊपर प्रत्येक राज्य के लिये बताई गई रक़में प्रयोगात्मक हैं तथा स्वीकार किये जाने वाले कार्यों की प्रगति पर ही इन रक़मों का वास्तविक आवंटन निभर करता है।

(घ) उक्त कार्य मुख्यतया बम्बई राज्य के बम्बई-अहमदाबाद-उदयपुर-अजमेर-दिल्ली और बम्बई-पूना-बेलगाम-बंगलौर-मद्रास राष्ट्रीय राजपथों पर हैं।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

१८०. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंग :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा १९५१, १९५२ और १९५३ में कृषि योग्य बनाया गया राज्य वारकुल क्षेत्र कितना है ;

(ख) राज्यवार और वर्षवार कृष्याधीन कुल कितना क्षेत्र है ; और

(ग) उक्त अवधि में उगाये गये गेहूं और धान की कुल मात्रा कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

राज्य	कृषिकरण ऋतु में कृषियोग्य बनाई गई भूमि (एकडों में)			कुल योग
	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	
उत्तर प्रदेश	४२,१७५	५७,४९६	५०,६४८	१,५०,३१९
मध्य प्रदेश	९९,६२४	७२,००४	६३,०३०	२,३४,६५८
मध्य भारत	३९,०९०	४४,५२६	८८,७१२	१,७२,३२८
भोपाल	१,०३,७१३	७९,४२०	६०,९६३	२,४४,०९६
कुल योग	२,८४,६०२	२,५३,४४६	२,६३,३५३	८,०१,४०१

नोट : (१) उक्त आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के ३६,२५१ एकड़ पर फैले जंगलों की सफाई भी शामिल है। शेष एकड़ उस भूक्षेत्र के सूचक हैं जहां से कास की झाड़ियां हटा दी गई हैं। (२) उपरिलिखित राज्यों तक ही कार्य सीमित रखा गया है क्योंकि इन्हीं राज्यों में पास पास बड़े-बड़े भूखण्ड मिलते हैं जिनमें कि कम खर्च में भूमि को कृषि

योग्य बनाने का कार्य किया जा सकता है ।

(ख) १९५०-५१ में 'बोये गये युद्ध क्षेत्र' और 'बोये गये कुल क्षेत्र के सम्बन्ध में नवीनतम उपलब्ध राज्यवार जानकारी देने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५] (विवरण १)

गेहूं और चावल का अखिल भारतीय उत्पादन

वर्ष	गेहूं	चावल
१९५०-५१	६,३६०	२०,२५१
१९५१-५२*	६,०३९	२०,७४१
१९५२-५३*	६,७६२	२३,४२४

*इनमें संशोधन किया जा सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संस्था

१८१. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **सचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में विमान परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संस्था की ओर से भारत को क्या क्या लाभ प्राप्त हुये हैं ;

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद कितने व्यक्तियों को और किन किन विषयों में विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ग) क्या विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन साधनों से ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संस्था से जो लाभ प्राप्त होंगे वे बराबर जारी रहेंगे अतः विमान सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत को प्राप्त होने वाले विशिष्ट लाभों को बताना कठिन है । संस्था से प्राप्त लाभ में सम्मिलित होने वाले राज्यों द्वारा समान रूप से ग्रहण करने के लिये प्राविधिक प्रमाप और प्रक्रियायें स्थिर करना, अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन सेवाओं के संचलन को सुविधा जनक बनाना, सम्मिलित होने वाले राज्यों को संस्था की ओर से विमान सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने के लिये विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमंडल भेजना, और संस्था के प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन उक्त राज्यों के निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण हैं ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संस्था प्राविधिक सहायता परियोजनाओं के अधीन भारतीय एयरलाइन्स कारपोरेशन के पांच पदाधिकारी विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गये हैं । उनके प्रशिक्षण के विषय निम्न हैं :

(१) विमान परिवहन अर्थव्यवस्था और प्रबन्ध ;

(२) हवाई जहाज़ों के इंजिनों की मरम्मत, उन का आमूल परिवर्तन और संधारण ;

(३) हवाई जहाज़ों के पुर्ज़ों की मरम्मत तथा आमूल परिवर्तन ;

(४) उड़ान कार्य ; और

(५) एयरलाइन सांख्यकी तथा विश्लेषण ।

(ग) और (घ). अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संस्था की ओर से असैनिक उड्डयन विभाग को तीन विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराई गई थीं । इन में से एक विशेषज्ञ अमरीका के सिविल एरोनाटिक्स बोर्ड का एक पदाधिकारी था जिसका कार्य एयर लाइन्स द्वारा संचालन और वित्तीय सांख्यकी की समान पद्धति के पुरःस्थापित तथा विमान परिवहन के मूल्य पर सलाह देना था । दूसरा विशेषज्ञ बेल्जियम निवासी था जो उड्डयन संचरण के क्षेत्र में संगठन

तथा उपकरण पर सलाह देने के लिये आया था और तीसरा विशेषज्ञ अमरीका के असैनिक उड्डयन प्रशासन का एक पदाधिकारी उड्डयन निरीक्षण के संगठन, अनुसंधान तथा विकास के सम्बन्ध में सलाह देने आया था। उड़ान सम्बन्धी तथा ज़मीन पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये संस्था द्वारा एक अन्य विशेषज्ञ की सेवायें अर्पित की गई थीं लेकिन असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा उनका उपयोग नहीं किया गया।

सहायक स्टेशन मास्टर

*१८२. **पंडित डी० एन० तिवारी** क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर पूर्वी रेलवे के ओ० टी० विभाग पर सहायक स्टेशन मास्टरों की ज्येष्ठता उनके सम्पूर्ण परीक्षायें पास कर लेने की तिथि से गिनी जाती है अथवा भरती के दिन से ; और

(ख) क्या दूसरी रेलों से आने वालों की ज्येष्ठता उनके सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर क़ाम करने की तिथि से समझी जाती है जब कि इस रेलवे के सहायक स्टेशन मास्टरों की ज्येष्ठता उनके स्थायी रूप से सहायक स्टेशन मास्टर नियुक्त होने के दिन से समझी जाती है।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १ मार्च, १९४५ के पूर्व नियुक्त किये गये सहायक स्टेशन मास्टरों की ज्येष्ठता उनकी १ मार्च १९४५ की वेतन दर पर निर्धारित की गई है और १ मार्च, १९४५ के पश्चात् नियुक्त किये जाने वालों की श्रेणी के लिये नियुक्त की तिथि के आधार पर निर्धारित की गई है।

(ख) प्रशासन के आधार पर दूसरी रेलवेज से आने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों को उनके सहायक स्टेशन मास्टरो के पद पर सेवा की अवधि के अनुसार ज्येष्ठता प्रदान की जाती है तथा स्वयं अपनी इच्छा से स्थानान्तरित होने वालों अथवा पारस्परिक विनिमय के आधार पर आने वालों को ज्येष्ठता सूची में सब से नीचे रखा जाता है। एन० ई० रेलवे पर भाग (क) में समझायी गई रीति के अनुसार पद पर स्थायी होने की तिथि से नहीं बल्कि श्रेणी पर नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता मानी जाती है।

ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन

१८३. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश पर विचार किया है कि खाद्यान्न ले जाने के लिये स्टीमरों को अनुसूचित करने का काम विदेशी अभिकर्ताओं के सुपुर्द करने के स्थान पर ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के सुपुर्द कर दिया जाये जो कि सरकार और निजी उद्योग दोनों का संयुक्त उद्योग है, और

(ख) यदि हां, तो उनका निर्णय क्या है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख)। उक्त सिफारिश अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

अभ्रक खान श्रम कल्याण समिति, नल्लोर

१८४. **श्री राघवय्या** : क्या **श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कल्याण समिति के सभापति ने अभ्रक खदान श्रम कल्याण निधि मंत्रणा समिति, नील्लोर के लिय श्रमिक संघों से अपन प्रतिनिधि भेजने को कहा था ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उन संघों के नाम तथा उक्त प्रश्न पर उनके द्वारा दिये गये उत्तर क्या हैं ; और

(ग) क्या श्रमिक संघ द्वारा नामज़द व्यक्ति सभापति द्वारा स्वीकार कर लिये गये ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये दो नामों की नियक्ति हेतु सभापति ने सुझाव आमंत्रित कि थे।

(ख) आंध्र राष्ट्र अभ्रक मज़दूर पंचायत ने तीन नाम भेजे थे। नल्लौर ज़िला खदान श्रमिक संघ ने संघ द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को ५१ प्रतिशत स्थान न दिये जाने तक नाम देने से इन्कार कर दिया।

(ग) आंध्र राष्ट्र अभ्रक मज़दूर पंचायत द्वारा प्रस्तुत नामावली में से सरकार न एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी। नल्लोर ज़िला खदान श्रमिक संघ की सिफ़ारिश स्वीकार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि इस संघ ने किसी भी प्रकार के नाम भेजने से मना कर दिया था।

भोपाल डाक जोन में नियुक्तियां

१८६. **श्री सूर्य्य प्रकाश :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में मध्य भारत में, भोपाल डाक ज़ोन में कितने लोगों को नियुक्त किया गया ; और

(ख) इन में अनुसूचित जाति के कितने लोग थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भोपाल की भूतपूर्व देशी रियासत में (जैसा कि कदाचित भोपाल डाक ज़ोन से अभिप्रेत है) १९५२-५३ में नियुक्तियों की संख्या न्टतीय श्रणी में ४ और चतुर्थ श्रणी में ३ है।

(ख) तृतीय श्रेणी में एक और चतुर्थ श्रेणी में एक भी नहीं।

गेहूं की कीमत

१८५. **श्री बर्मन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कंट्रोल समाप्त करने के पश्चात् विभिन्न राज्यों तथा दिल्ली में गेहूं का बाज़ार भाव ; और

(ख) पश्चिमी बंगाल में कंट्रोल के पूर्व और १९४४ से १९५३ के बीच की अवधि में कंट्रोल जारी करने के बाद प्रत्येक वर्ष गेहूं की खपत क्या थी।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). (i) कंट्रोल समाप्त करने के बाद नवम्बर, १९५३ से फरवरी, १९५४ तक दिल्ली तथा विभिन्न राज्यों में गेहूं के बाज़ारी भाव, और (ii) कंट्रोल के पूर्व तथा कन्ट्रोल के बाद १९४४ से १९५३ के बीच पश्चिमी बंगाल में गेहूं की खपत प्रकट करने वाले विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]

Par. S. 13. II. 21. 54.
280

अंक २ — शुक्रवार
संख्या २१ — १२ मार्च १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

श्री भजहरि महाता का अपराधी ठहराया जाना [पृष्ठ भाग १२७५]
सदन पटल पर रखे गये पत्र—
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आयव्ययक प्राक्कलन [पृष्ठ भाग १२७५—१२७६
प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त [पृष्ठ भाग १२७६—१३१७]
भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग १३१७]
बेकारी सहायता विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग १३१७]
सरकार द्वारा वित्तपोषित उद्योग नियन्त्रण बोर्ड विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग १३१८]
भारतीय दण्ड संहिता संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग १३१८]
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—अग्रेतर विचार स्थगित [पृष्ठ भाग १३१८—१३२०]
मुस्लिम वक्फ विधेयक—संशोधित रूप में पारित [पृष्ठ भाग १३२०—१३३८]
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—चर्चा स्थगित [पृष्ठ भाग १३३८—१३४१]
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—चर्चा करने के लिए प्रस्ताव—असमाप्त [पृष्ठ भाग १३४१—१३४४]
औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति का प्रतिवेदन—चर्चा समाप्त [पृष्ठ भाग १३४४—१३६६]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

10 PSD

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

शुक्रवार, १२ मार्च, १९५४

सभा डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

२ म० प०

श्री भजहरि महाता का अपराधी ठहराया जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि पुरुलिया के मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, से मेरे पास यह संदेश आया है कि उन्होंने बिहार सार्वजनिक व्यवस्था संधारण अधिनियम, १९४९ की धारा ९ (५) के अन्तर्गत श्री भजहरि महाता, संसद् सदस्य, को एक वर्ष के साधे कारावास तथा १,००० रुपये के जुर्माने का दण्ड दिया है और जुर्माना न देने की अवस्था में उन्हें और तीन मास का कारावास भुगतना पड़ेगा । उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा गया है ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के १९५३-५४ के पुनरीक्षित आयव्ययक प्राक्कलन तथा १९५४-५५ के आयव्ययक प्राक्कलन

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): क्या कर्मचारी बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा

३६ के अन्तर्गत मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के १९५३–५४ के पुनरीक्षित आयव्ययक प्राक्कलन तथा १९५४–५५ के आयव्ययक प्राक्कलन की एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई—देखिये एस ६९/५४]

प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० काटजू द्वारा प्रस्तुत प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, १९५१ का संशोधन करने वाले विधेयक पर अग्रेतर चर्चा करेगा । हमारे पास अब केवल तीन घंटे का समय बाकी बचा है । ढाई घंटे आज मिलेंगे और आधा घंटा कल अब डा० काटजू अपना उत्तर देंगे ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्रीमान, कल मैं विधेयक के इस पहलू के बारे में चर्चा कर रहा था कि यह सर्वथा एक न्यायिक प्रक्रिया है । बार बार निवारक निरोध अधिनियम का निर्देश किया गया है और उस सम्बन्ध में मेरे आचरण का भी निर्देश किया गया है । उसके सम्बन्ध में कहा गया कि बिना परीक्षण बन्दी बनाया जा रहा है । परन्तु इस मामले में तो केवल प्रतिभूति मांगी जाती है अथवा परीक्षण के बाद ही कार्यवाही की जाती है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, परन्तु मैं इतना बताना चाहता हूं

[डा० काटजू]

कि इस अधिनियम की धारा ३ दण्डनीय अपराधों से सम्बन्धित है, केवल अपना मत प्रकट करने अथवा राजनैतिक टीका-टिप्पणी करने से नहीं । कई अपराध हैं जो पहले ही भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय हैं । मैं सविश्वास यह कहता हूं कि धारा ३ के छः के छः खण्ड दण्डनीय अपराधों से सम्बन्धित हैं । राजनैतिक मत व्यक्त करने से उनका कोई सम्बन्ध नहीं और वे व्यक्ति अथवा प्रेस के राजनैतिक मामलों के सम्बन्ध में कड़ी से कड़ी आलोचना करने के स्वातन्त्र्य को प्रतिबन्धित नहीं करते । परन्तु मुझे आशा है कि आप इस बात में मुझ से सहमत होंगे कि अपराधों का प्रोत्साहन देना स्वातन्त्र्य नहीं कहलाया जा सकता ।

कलकत्ता के मेरे माननीय मित्र ने पुस्तकों तथा अन्य छपे हुये विषयों की ज़ब्ती का निर्देश किया जो आपत्तिजनक थे उन्होंने कहा कि ऐसा करने में कौन सी न्यायिक प्रक्रिया पर चला जाता है । इसका सम्बन्ध धारा ११ से है । भूतपूर्व विधि में कार्यपालिका का स्वविवेक ऐसी कार्यवाही किये जाने के लिये पर्याप्त समझा जाता था । परन्तु १९५१ में इस उपबन्ध को हटा लिया गया और यह बात इसमें रखी गई कि एक विधि पदाधिकारी—अर्थात् केन्द्रीय सरकार के लिये महान्यायवादी और राज्य सरकारों के लिये महाधिवक्ता—का प्रमाणपत्र आवश्यक है । ये लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और साथ ही माने हुये वकील होते हैं । जब यह इस बात की तसदीक़ करें कि प्रत्यक्ष रूप में कोई विषय आपत्तिजनक है तब इसको ज़ब्त किया जा सकता है । इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक नहीं क्योंकि कई बार तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता होती है । साथ ही धारा २४ में यह उपबन्ध भी है कि जिस व्यक्ति की पुस्तक अथवा और कोई छपा हुआ विषय ज़ब्त किया जाये वह उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध शिकायत कर सकता है । पिछली विधियों में यह शर्त थी कि इस व्यक्ति को ही यह सिद्ध करना होगा कि उस पुस्तक अथवा अन्य लिखित विषय में कोई भी बात आपत्तिजनक नहीं है । परन्तु इस नये विधान में यह उपबन्ध है कि न्यायालय जो निर्णय उचित समझे दे सकता है । यह असामान्य प्रक्रिया नहीं अपितु न्यायिक है ।

इस तथ्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि मैंने यह स्पष्ट करने के लिए कि अधिनियम का प्रवर्तन कैसा रहा है, उदाहरणों का उल्लेख नहीं किया । मैं ने उदाहरण तो दिये थे परन्तु सम्भवतः माननीय सदस्यों ने उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया । मैं अब आंकड़े बताऊंगा ।

अधिनियम की धारा ३ को दो विभागों में बांटा गया है । उप-खण्ड (४) का सम्बन्ध अश्लील विषयों से है, जबकि उप-खण्ड (१) से (५) अहिंसा वध और सशस्त्र सेनाओं इत्यादि की निष्ठा को दूषित करने के लिये उत्तेजना देने से सम्बन्धित हैं ।

मेरे पास १ जनवरी १९५२ से अर्थात् जब से अधिनियम लागू हुआ, तब से ३१ अक्टूबर १९५३ तक की कालावधि से सम्बन्धित आंकड़े हैं । धारा ३ (४) के अधीन ५३ मामलों में प्रतिभूति लेने के लिए १८ मास तक अभियोग चलाया गया । इनमें से १३ मामलों में सत्र न्यायाधीश ने प्रतिभूति मांगी अर्थात् कार्यवाही की पुष्टि की । चार मामलों में राज्य सरकारों की शिकायत का निराकरण किया गया । दो मामलों में सरकार ने स्वयं कार्यवाही बन्द कर दी और शिकायत वापस ले ली और ३४ ऐसे

मामले हैं जिनका निर्णय अभी नहीं किया गया और वे लम्बित हैं।

कई राज्यों ने यह कहा है कि यह प्रक्रिया अत्यन्त विलम्बकारी है और इस न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है। अब मैं इस सम्बन्ध में बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता था परन्तु मैं पहले वैसा करने से रुका रहा। परन्तु सदन को याद होगा कि ५३ मामलों में से केवल १७ का निर्णय हुआ है और ३४ मामले लम्बित हैं।

धारा ३ के उपखण्ड (१) से (५) के अधीन कुल ३३ मामले थे। इन में से एक का निबटारा सत्र न्यायाधीश ने चेतावनी देकर कर दिया था। ३ मामलों में प्रतिभूति मांगी थी। १६ मामलों में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रतिभूति मांगने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। मैं कह नहीं सकता कि उन में विषय को आपत्तिजनक समझा गया अथवा नहीं परन्तु प्रतिभूति नहीं मांगी गई। १३ मामले अभी लम्बित हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कुल ८६ मामलों में से ४७ अभी तक न्यायालय में लम्बित हैं।

फिर आपत्तिजनक विषय वाले प्रलेखों की जब्ती के सम्बन्ध में धारा ११ के अधीन कार्यवाही हुई है। धारा ३ के उपखंड (१) से (५) के अधीन कार्यवाही करके १५ प्रलेखों—समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं—को जब्त किया गया था। धारा ३ (६) के अधीन कार्यवाही द्वारा ३३ प्रलेख ज़ब्त किये गये। अतः ८६ मामलों से, जिन में अभियोग चला कर कार्यवाही की गई थी, ४८ मामलों में पुस्तकों अथवा समाचार पत्रों को ज़ब्त किया गया।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह कार्यवाही बहुत ध्यानपूर्वक की गई थी। राज्य सरकारों ने शिकायत की है कि या तो वे इसे बन्द कर देंगी अथवा वे महत्वपूर्ण और नकदी के मामलों के सिवाय कोई कार्यवाही नहीं करेंगी। उन्होंने कहा है कि चाहे विषय महत्वपूर्ण हो, और प्रतिभूति लेने की आवश्यकता हो, कुछ भी नहीं किया जाता और क्योंकि न्यायिक कार्यवाही विलम्बकारी है, उस में केवल समय व्यर्थ नष्ट होता है।

मेरा निवेदन है कि जब मेरे माननीय मित्रों ने मुझ से पूछा कि 'सामग्री क्या है' तो मैंने आंकड़े बताये थे। मैं ने आपको विवरण दिये हैं। अब हमारे पास ८६ और ४८ मामले हैं। आप यह प्रत्याशा कैसे कर सकते हैं कि मैं उन सब पत्रों को सदन पटल पर रखूं। वे न्यायिक मामले हैं। मेरे माननीय मित्रों में से एक ने द्रावड़ भाषा के समाचार पत्रों के सम्बन्ध में कहा है। उसने पूछा कि उनमें आपत्तिजनक सामग्री क्या है? मुझे अभी आते हुए कार्यालय से एक लेख मिला है, परन्तु मैं तामिल नहीं जानता इस लिए वह उन्हें भेज दूंगा।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां): श्रीमान्, मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

डा० काटजू: यह सदन पटल पर रखने के लिए है। मेरे पास अनुवाद है। यह तामिल समाचार पत्र का काग़ज़ है—यदि मेरा उच्चारण ठीक है—तो इसका नाम दीना तांती है।

श्री वीरस्वामी: यह द्राविड़ कज़गम समाचार पत्र नहीं।

डा० काटजू: कोई बात नहीं। यह २५ फरवरी १९५४ का है, और—जहां तक मैं समझ पाया हूं—संक्षेप में यह है कि "यदि द्राविड़ स्थान की मांग पूरी न की गई तो कतिपय व्यक्ति—जिसका भाषण दिया गया है—उस समय दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण करेगा जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में फंसा होगा। पंडित नेहरू को चाहिये कि वे शीघ्र ही द्राविड़स्थान बनाने

[डा० काटजू]

के हेतु बातचीत करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजें।" और कुछ इसी प्रकार का विषय एक बड़े स्तम्भ में दिया गया है। क्या माननीय सदस्य इसे पसन्द करते हैं ? क्या उनका यह अभिप्राय है कि प्रेस की स्वतन्त्रता इस सीमा तक होनी चाहिये।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इसमें क्या कुछ है ? हम समझ नहीं सके।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में लिखा है :

"वादा इंडिया मीड पडाई एडूपोम"

[हम उत्तर भारत पर आक्रमण करने को तैयार हैं।]

डा० काटजू : एक दूसरा पत्र है। यदि वह मुझे मिला तो उसे सदन पटल पर रखूंगा, परन्तु मेरे पास उसका अनुवाद है। इस पत्र का नाम 'विधुथालाई' है।

उपाध्यक्ष महोदय विधुथालाई के अर्थ हैं विमुक्ति।

डा० काटजू : इसमें यह लिखा है :

"पत्थर की देव मूर्तियों को तोड़ने में क्या वीरता है।" मुझे बताया गया है कि देवमूर्तियों को तोड़ने का एक आन्दोलन हो रहा है—एक अहिंसात्मक और देशभक्ति का कार्य ! फिर वक्ता ने कहा है :

"हमें किस पर धावा बोलना है क्या हम दिल्ली सरकार पर आक्रमण करेंगे ? क्या हम दिल्ली सरकार को तोड़ेंगे।"

"जी० डी० नायडू यह कैसे आशा कर सकते हैं कि मूर्तियों के तोड़ने का यह बुद्धिहीन विचार-रहित प्रदर्शन अधिकारियों पर कोई प्रभाव छोड़ेगा ? क्या इन मूर्तियों को हथौड़ों से तोड़ने की अपेक्षा हम में से हर एक के लिए यह अच्छा नहीं होगा कि कैंची लेकर ब्राह्मणों की चुटिया को काट दें" (**अन्तर्बाधा**)। यह है अहिंसा का प्रचार। संसद् के बाहर देशभक्ति का कारनामा !

फिर कहा है :

"हम अत्याचारी के विरुद्ध क्यों न उठें—यह अत्याचारी उत्तर के लोगों की सरकार है ? उत्तरी नागरिक का यहां क्या काम है ? हम उसे यहां क्यों आने दें ; उसके बैंकों को यहां क्यों चलने दें; तथा, इसी प्रकार से हम यहां एक भी ब्राह्मण को क्यों रहने दें ?"

यह सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न संसद है; मैं समझता हूं कि इसके कई एक तामिल सदस्य भी हैं। मैं नहीं जानता कि वे इस बारे में क्या कहते हैं।

एक और उदाहरण है। इसमें कहा है :

"यदि बर्मा में दस मंत्रियों को गोली से उड़ाया जा सकता था तो क्या यहां दक्षिण भारत में मंत्रियों को गोली से उड़ाना सम्भव नहीं है ? कितना घोर अन्याय ! ब्रह्मणों ने सरकार पर शरारत से, बुरे इरादों से तथा बेईमानी से आधिपत्य जमा लिया है तथा हमारे शासक निःसंकोच भाव से दुर्व्यवहार करते हैं, तथापि हमारे हनुमान ने इस शासन को लोकतन्त्र तथा 'जनता का शासन' बताया है।"

अन्त में एक और बढ़िया वाक्य है :

"व्यथा चाहे कितनी भी हो, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। हम निर्भय होकर बढ़ेंगे तथा सिरों को लुढ़का देंगे।"

मैं प्रत्येक उस सदस्य से जिसका भविष्य के सम्बन्ध में उचित दृष्टिकोण है तथा जो इस देश की एकता के विषय में गम्भीर

पूछना चाहता हूं कि ऐसे विषयों में

क्या कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि सरकार ज़मानत मांग ले तो क्या यह ग़लत होगा ? मेरा निवेदन है कि यह सब से अधिक दयापूर्ण तथा नरम कार्यवाही होगी ।

अतएव मेरा निवेदन है कि यह सब कुछ हो रहा है तथा हमें इससे अपनी रक्षा करनी है । श्रीमती सुचेता कृपलानी यहां उपस्थित नहीं हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कई एक सदस्य यहां मौजूद हैं । मैं एक दो वाक्य पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । यदि मैं उनकी भाषा का प्रयोग करूं तो शायद वे इसे पसन्द नहीं करेंगे, परन्तु यह उनके अपने ही एक अत्यन्त सम्मानित नेता के शब्द हैं । मैं पहले उनके वक्तव्य को पढ़ कर सुनाऊंगा तथा प्रतिक्रिया को देख कर उनका नाम बताऊंगा । यह नेता कहते हैं :

> "आज संसार संकट में से निकल रहा है, आज मानव के कामों में सर्वत्र मतभेद, संघर्ष तथा अस्तव्यस्तता है । आज बहुत बड़े तूफ़ान वर्तमान व्यवस्था की नीवें हिला रहे हैं तथा पुरानी प्रथाओं को नष्ट करके नई प्रथाओं का निर्माण कर रहे हैं ।"

ये शब्द आचार्य नरेन्द्र देव के हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु, क्या दूसरे मामलों के सम्बन्ध में दिये गये भाषणों से इस विधेयक के औचित्य को सिद्ध किया जा सकता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : यह वस्तुस्थिति की एक अभिव्यक्ति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह विषय से संगत उद्धरण दे सकते हैं । माननीय मंत्री भाषण जारी रखें ।

डा० काटजू : मैंने कल तथा परसों भी चर्चा को आरम्भ करते समय कहा था कि आज हालत बहुत ख़तरनाक है । अन्तर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, तथा देशभक्ति के नाम पर मैं बारम्बार उन्हीं युक्तियों को दोहराना नहीं चाहता हूं । हमें अपनी रक्षा करनी है । कल रात्रि को पढ़ते समय मैंने ये बातें देखी थीं । मैंने महान् वक्ता के सुन्दर शब्दों के स्थान पर अपनी टूटी फूटी भाषा का प्रयोग किया है तथा मैं समझता हूं कि इससे स्पष्ट अर्थ निकलते हैं ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : यदि आचार्य नरेन्द्र देव को इस संदर्भ में उद्धरित किया गया है तो क्या वह इस विधेयक के पारित किये जाने का समर्थन करते हैं ?

डा० काटजू : यह आप उन्हीं से पूछिये ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में स्थिति यह है । मुझे चलाये गये मामलों का भी पता है तथा एक मामला तो जूरी द्वारा परीक्षण में अपेक्षित परिवर्तन के कारण संगत भी है । एक माननीय मित्र ने बड़ी सुन्दरता से बोलते हुए कहा है कि जूरी से अधिकार छीने जा रहे हैं । इस देश की सामान्य विधि क्या है ? सामान्य विधि यह है कि अभियोग चलते हुए तथ्यों का निर्णय जूरी करती है तथा न्यायाधीश द्वारा विधि सम्बन्धी निर्णय किया जाता है । वह परीक्षण के समय इस अभिप्राय के निर्देश देता है कि कौनसा साक्ष्य ग्राह्य है तथा कौनसा अग्राह्य, परन्तु अभियुक्त को दोषी या निर्दोष घोषित करने का काम जूरी का है इसके बाद जूरी के कृत्य की समाप्ति हो जाती है । इस प्रश्न का फैसला करना न्यायाधीश का कृत्य है कि दण्ड क्या हो अर्थात् क्या अभियुक्त को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाय या न्यायालय के उठने के समय तक बन्दी रखा जाय अथवा २० वर्ष का कारावास दिया जाय या एक फार्दिंग

[डा० काटजू]

जुर्माना किया जाय अथवा २०,००० रुपये। इस अधिनियम में हम असामान्य उपबन्ध देखते हैं। जब तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री ने इसमें वह उपबन्ध निविष्ट किया था तो उन्होंने सम्भवतः यह अनुभव नहीं किया था कि इससे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा था कि जूरी केवल तथ्यों के सम्बन्ध में ही निर्णय नहीं देगी अर्थात् केवल मामले के आपत्तिजनक या आपत्तिरहित होने का ही फैसला नहीं करेगी बल्कि दण्ड को भी निश्चित करेगी। निस्सन्देह मेरा निवेदन है कि संसद् ने ऐसा किया है तथा संसद् जो चाहे कर सकती है। परन्तु यह समस्त पूर्व उदाहरणों के विपरीत है; यह उन देशों द्वारा अनुसरित पद्धति के विपरीत है जहां जूरी-पद्धति प्रचलित है। मैंने इस विधेयक में एक उपबन्ध निविष्ट किया है जिसमें जूरी तथा न्यायाधीश के कृत्यों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से भेद किया है तथा मैं प्राप्त किये गये अनुभव के आधार पर ही यह प्रस्थापना सदन के सम्मुख रख रहा हूं। मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी जो यहां उपस्थित हैं, दिल्ली के मामलों पर बोले हैं। एक मामले से मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है परन्तु मैं समाचार पत्र का नाम लेकर उसकी अनुचित प्रकाशना नहीं करूंगा। इसके एक छोटे से पैरे में लिखा है कि किसी देश में भेजे गये भारतीय राजदूत का आचरण ऐसा था जिसकी छानबीन की आवश्यकता थी। इन शब्दों के अनुसार उक्त राजदूत ने एक स्त्री का अपहरण करके उससे बलात्कार किया था तथा बाद में पद्धति के अनुसार विवाह कर लिया था। इस पैरे के अन्त में कहा गया था कि "इस बारे में छानबीन की आवश्यकता है।" क्या यह ठीक है? यह बहुत घृणित लेख है तथा बिल्कुल झूट है और इसका एक शब्द भी सत्य नहीं है। सम्बन्धित व्यक्ति बारह वर्ष से सुखी गृहस्थी चले आते थे। इस बारे में शिकायत दाखिल की गई तथा जूरी ने जांच पड़ताल के बाद कहा कि यह आपत्तिजनक मामला है तथा विधि का निर्णायक होने के नाते इसने कहा कि किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। क्या हम ऐसी किसी बात का विचार भी कर सकते हैं?

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व): मैं एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जूरी पर जिसने किसी मामले में निर्णय दिया है, सांकेतिक आक्षेप कर रहे हैं। जूरी को न केवल इस मामले के आपत्तिजनक होने का फैसला करने का ही अधिकार था बल्कि सम्बन्धित पक्ष को दण्ड देने के लिए काफ़ी कारणों को निश्चित करने का भी अधिकार था। हम न्यायाधीशों के आचरण पर आक्षेप नहीं कर सकते हैं, अतएव क्या गृह-कार्य मंत्री जूरी पर आक्षेप कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने इसमें थोड़े से अन्तर को नहीं देखा है। इसमें जूरी की तटस्थता पर आक्षेप नहीं किया गया है। बात यह है कि जूरी को तथ्यों तथा दण्ड सम्बन्धी निर्णय के दो हरे अधिकार दिये गये हैं। माननीय मंत्री का कहना है कि पिछले दो वर्षों के अनुभव से इस पद्धति को संतोषजनक नहीं समझा जा सकता है। वह जूरी से इस कृत्य को वापस लेकर न्यायाधीश को सौंपना चाहते हैं। समाज के हित में संसद् को समय समय पर विधियों के प्रवर्तन पर विचार तथा फ़ैसले करने का अधिकार है। संसद् को विधि में संशोधन करने के लिए मनाने में इसके प्रवर्तन का वर्णन संगत है।

डा० काटजू: जब पिछले अवसर पर यह विधान संसद् के विचाराधीन था तो कम से कम कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि वे व्यवसायिक जूरियों के पक्ष में नहीं थे। वे

सामान्य न्यायज्ञा क पक्ष में थे। यदि विचार यही है तो उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु चाहे आप सामान्य जूरी नियुक्त करें या व्यवसायिक जूरी, मेरा निवेदन है कि इन जूरियों का अपना मूलभूत आधार कोई नहीं है। या तो आप जूरी पद्धति को रखें अथवा बिल्कुल न रखें। मेरा विचार है कि जूरी पद्धति के बन्द करने के सम्बन्ध में एक विधेयक सदन के सामने है। परन्तु यदि आपने जूरी पद्धति को रखना ही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर इस प्रकार के सामान्य मामले के निर्णय के लिए "कि क्या किसी व्यक्ति से २००० रुपये की ज़मानत ली जाय या अधिक राशि की" नियुक्त की गई जूरी तथा किसी क़त्ल के मामले के निर्णय के लिए—जिसमें जीवन और मौत का प्रश्न होता है—नियुक्त की गई जूरी में परस्पर विभेद क्यों किया जाय ? प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसी आपराधिक मामले में जूरी द्वारा दोषी अथवा निर्दोष का निर्णय दिये जाने के बाद जूरी का काम समाप्त हो जाता है। दण्ड का प्रश्न सदैव न्यायाधीश पर छोड़ दिया जाता है। मेरे विचार से दण्ड के प्रश्न सम्बन्धी उत्तरदायित्व को व्यवसायिक जूरी पर छोड़ देने से वास्तव में उसके बोझ में वृद्धि हो जायगी। इससे किसी जूरी पर आक्षेप नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया को समस्त आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में विद्यमान प्रक्रिया के तदनुरूप किया जाय। मेरा विश्वास है कि सदन इस विचार से सहमत नहीं होगा कि प्रेस (आपत्तिजनक मामले) अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड सम्बन्धी कार्यवाही का अपना पृथक् विशेष महत्व है। तथा इस कारण सत्र न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों को दण्ड के निर्णय का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

दण्ड क्या है—यदि वह एक आपत्तिजनक विषय है, तो क्या दण्ड १००० रुपये की प्रतिभूति हो, क्या वह एक चेतावनी हो अथवा क्या २००० रुपये की प्रतिभूति हो ? इसी दृष्टि से यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है; इसके पीछे कोई भी कुटिल मन्तव्य नहीं है।

इसके बाद आता है अपील का अधिकार। पता नहीं मेरे माननीय मित्रों ने उसमें क्या खोज निकाला है। क्या आप इस कार्यवाही को एक पृथक् वर्ग मानना चाहते हैं ? सही हो या ग़लत, गत सौ वर्षों से दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन यह प्रथा रही है कि जूरी द्वारा सुनवाई वाले मुकद्दमे में तथ्यों के आधार पर अपील होती है उच्च न्यायालयों ने बार बार कहा है कि जब तक संतोषजनक रूप से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि दिया गया निर्णय अनुचित है, और कोई भी समझदार व्यक्ति उस निर्णय पर नहीं पहुंच सकता था, तब तक वे उसको बहाल रखेंगे। कटघरे में जाने वाले प्रत्येक नागरिक के लिये ही नहीं वरन् सरकार के लिये भी अपील का अधिकार है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि तथाकथित प्रेस की स्वाधीनता एक ऐसा पवित्र अधिकार है कि जबकि उन व्यक्तियों के मामलों में, जिन पर यह निर्णय करने के लिये मुकद्दमा चलाया जा रहा है कि उन्हें मृत्यु दण्ड दिया जाय या नहीं, सरकार उनके विरुद्ध अपील कर सकती है—उनकी विमुक्ति के विरुद्ध—तो प्रेस से सम्बन्धित व्यक्तियों को वह अधिकार न प्राप्त हो ? मैं कहता हूं कि यह भेदभाव का दूसरा उदाहरण है, जो कि संविधान की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक अजीब सी बात है, इलाहाबाद के समाचार पत्र 'लीडर' में, जिसे मैं आम तौर पर रात में पढ़ता हूं, कल रात मैंने पढ़ा था.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का सुझाव क्या है ? क्या हम लोग रात तक के लिये अपनी बैठक स्थगित कर दें ?

डा० काटजू : उसमें मुझे आचार्य नरेन्द्र देव का प्रशंसनीय लेख मिला। और ये सुर्खियां देखिये—"विमुक्ति के विरुद्ध सरकारी अपील स्वीकृत"—गोरखपुर के सत्र न्यायाधीश के विमुक्ति आदेश को रद्द करने वाले और अभियुक्त प्रतिवादी को मृत्यु दण्ड देने वाले उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने कहा कि सत्र न्यायाधीश का निर्णय बिल्कुल ग़लत था। फिर दूसरे कालम में लिखा था—"जूरी का निर्णय रद्द"—यह दूसरा मामला है। जैसा कि मैंने कहा या तो आप दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करें.....

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : निवारण सम्बन्धी मामलों के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपील की कोई व्यवस्था नहीं है।

डा० काटजू : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे माननीय मित्र कभी कभी बिल्कुल बहक जाते हैं। यहां पर इस अधिनियम के अधीन एक मामला है। एक शिकायत के आधार पर कार्यवाही आरम्भ की जाती है। उन पर समन प्रक्रिया के अधीन मुक़द्दमा चलाया जाता है। अपील करने का अधिकार दिया गया है। क्या प्रतिभूति के मामलों में अपील का अधिकार दिया गया है? मुझे नहीं मालूम; कदाचित पुनर्विचार या ऐसी कोई चीज़ हो सकती हो। परन्तु यह एक निर्णय है और निर्णय यह है कि २००० रुपये प्रतिभूति या मुक्ति। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील करना बर्बरता है, वह अमानुषिक है और इस चीज़ को समाप्त कर दिया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों को विमुक्ति के विरुद्ध अपील करने पर बहुत क्रोध आया है। यह एक असामान्य बात है। परन्तु इस विशेष मामले में, इस छोटे से मामले में, भेदभाव क्यों किया जाये? मैं फिर यही कहता हूं कि अनुभव यह बताता है कि कभी कभी बहुत उदारता दिखाई जाती है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं—न तो न्यायाधीश को और न जूरी को—परन्तु मैं यह बात ज़रूर कहता हूं कि इस प्रकार के तथा लाखों अन्य मामलों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। इसको स्वीकार करने का यही औचित्य है। कोई भी कुटिल उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि न्याय हो। जहां अभियुक्त के हितों की रक्षा की जानी है, वहीं सरकार के हितों की भी रक्षा की जानी है, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

मैं अपने इस भाषण को यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि हमारा प्रेस अच्छा है, और हम प्रेस की स्वाधीनता को सुरक्षित रखने के लिये बहुत उत्सुक हैं। मैं उस को उसी के उत्पादकों से बचाना चाहता हूं। (**श्री फ्रैंक एन्थनी** : ईश्वर हमें हमारे रक्षकों से बचाये।) और मैं यह चाहता हूं कि भारतीय प्रेस किसी भी रूप में हिंसा, हत्या, सरकार को उखाड़ फेंकने, तोड़ फोड़, सशस्त्र सेनाओं को भड़काने, जनता में असंतोष फैलाने, विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता की भावना पैदा करने का समर्थन करने वाला साधन न बने। मैं उसके लाभ के लिये ही यह सब कुछ कर रहा हूं।

श्रीमान्, मैं भारी उत्तरदायित्व की भावना से यह कहता हूं कि यह अधिनियम अत्यन्त उदार है। यह ठीक है कि मेरे माननीय मित्रों के विचार भिन्न हैं। वे लोग कौन हैं? लेखक, प्रकाशक, मुद्रक। इन तीनों ही पर, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, धारा ३ में उल्लिखित सामग्री प्रकाशित करने के लिये न्यायालय में मुक़द्दमा चलाया जा सकता है। मैं एक उचित प्रस्ताव रखता हूं। आप मुक़द्दमा चलाया जाना चाहते हैं या यह चाहते हैं? यह किसी राजनीतिक विचार के दमन का प्रश्न नहीं है। मेरा आपसे यही निवेदन है।

इसके बाद मेरे माननीय मित्र ने ज़ोर देकर यह कहा कि पत्रकारों के साथ एक अपराधजीवी जाति जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह बात एक ओछेपन की भावना से कही गई थी। ऐसा कभी नहीं कहा जाना चाहिये था। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि यदि किसी प्रकाशक से प्रतिभूति मांगी जाती है तो उससे श्रमजीवी पत्रकारों को किस प्रकार हानि पहुंचती है; यदि किसी प्रेस के मालिक से प्रतिभूति मांगी जाती है तो उन लोगों को जो लेखक हैं किस प्रकार हानि होती है।

अन्य बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि सदन उन पर विचार कर सकता है। मैंने उनको पढ़ा है और उन पर विचार किया है। परन्तु सच तो यह है कि उनमें से किसी को भी स्वीकार करना बहुत कठिन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन को मतदान के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विचाराथ प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, १९५१ का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सदन में मत विभाजन हुआ। पक्ष में २२६; विपक्ष में ६७।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन खण्डवार विचार आरम्भ करेगा।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : क्या कार्यक्रम मंत्रणा समिति की सिफारिश केवल सदन पर ही लागू होती है या अध्यक्ष पर भी? सच तो यह है कि अधिकांश समय समाप्त हो चुका है और इस विधेयक के अन्य भागों के लिये बहुत थोड़ा ही समय बचा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य और उनके नेताओं की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने सहयोगियों और मित्रों पर इस बात का नियंत्रण रखें कि वे समय सीमा के भीतर ही अपना भाषण समाप्त कर दें। यह केवल मेरी ही ज़िम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक माननीय सदस्य ने अधिक समय लिया है। सरकार ने भी ऐसा ही किया है।

खंड २.—(धारा १ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० के० बसु का संशोधन संख्या २१ नियम विपरीत है। संशोधन संख्या १०—श्री वल्लाथरास।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं उसको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री एन० एल० जोशी (इन्दौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ में,—

(१) पंक्ति ६ में—"two years" ["दो वर्ष"] के स्थान पर "a period of two years" ["दो वर्ष की अवधि"] शब्द रख दिये जायें; तथा

(२) पंक्ति ७ में—"four years" ["चार वर्ष"] के स्थान पर "such period as Government think fit" ["ऐसी अवधि जो सरकार उचित समझे"] शब्द रखे जायें।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ७ में "four years" ["चार वर्ष"] के स्थान पर शब्द "three years" ["तीन वर्ष"] शब्द रखे जायें।

श्री एन० एल० जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन आपने पढ़ कर सुना ही दिया है, इसलिये मैं उसको सभा भवन के सामने पढ़ कर नहीं सुना रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि जब इस विधेयक पर विचार हो रहा था, उस समय जो विचार व्यक्त किये गये, उन से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस विधान का बनाना बड़ा आवश्यक है। इस के कई कारण हैं। उन में से प्रमुख कारण यह है कि समय समय पर कुछ समाचार पत्रों में जो बातें प्रकाशित होती रहती हैं, उनसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वे समाचार समाज में या तो हिंसा का प्रचार करते हैं या देश में और समाज में एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध भड़काते हैं। जब इस प्रकार के समाचार प्रकाशित होते हैं तो यह बात बड़ी आवश्यक हो जाती है कि उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। अगर उनको बिना किसी प्रतिबन्ध के छोड़ दिया जाता है तो उसका परिणाम यह होता है कि देश की शान्ति और सुव्यवस्था को बड़ा भारी खतरा पहुंचता है। इसलिये इस विधान को जैसे कि माननीय गृह-मंत्री जी ने आगे बढ़ाने के लिये रखा है, इस विधेयक की मीआद को बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा है, वह मीआद अवश्य बढ़ायी जानी चाहिये।

अब सवाल यह है कि वह मीआद कितनी हो ? एक बात जो कही जाती है वह यह है कि यह बहुत ग़ैर मौजूं है कि और ज्यादा मीआद इस विधेयक की बढ़ाई जाय। मेरा ख्याल है कि इस की मीआद इस प्रकार बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जितने भी अखबार हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं, वे यह निश्चय कर लें कि हम कोई भी बात इस प्रकार की नहीं छापेंगे जिससे कि देश में हिंसा का प्रचार हो, या जिससे कि एक जाति के विरुद्ध दूसरी जाति को भड़काने का किसी तरह का कोई लेख हो तो मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट कल ही से यह कह दे कि इस विधान को आगे लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी। दो साल की मीआद तो बहुत होती है। आज ही अगर देश के सब समाचार पत्र यह निश्चय कर लेते हैं कि ऐसी कोई भी बात वे नहीं छापेंगे तो कल ही शासन इस पर विचार कर सकता है कि एक दिन से भी अधिक इस को और लागू रखना आवश्यक है या नहीं।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस में जो दो साल की मीआद रखी गयी है, उस को न रखते हुए और आगे को बढ़ाने के लिये ४ साल न करते हुए, इस को ऐसे समय तक के लिये रखा जाय कि जिस समय तक के लिये शासन ऐसा करना ठीक या उपयुक्त समझे। इस तरह से जब शासन यह बात जान लेगा कि अगर इस की मीआद बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, आगे इस तरह के क़ायदे की आवश्यकता नहीं है, तो उसी समय इस विधान को वह स्थगित कर सकता है। इसीलिये मैंने यह अपना इस तरह का संशोधन रखा है।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि यह वांछनीय नहीं है कि यह अधिनियम व्यपगत हो जाये। मैं यह माने लेता हूं कि यही सदन का निश्चय है। अब सदन के सामने केवल यही प्रश्न रह जाता है कि यह अधिनियम कितने समय के लिये बढ़ाया जाये। सरकार इसको ३१ जनवरी, १९५६ तक बढ़ाना चाहती है। उद्देश्य और कारणों के विवरण में केवल एक आधार दिया गया है और वह यह है कि यह उचित है कि संसद् प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करे। वह प्रतिवेदन मई या जून १९५४ में उपलब्ध हो जायेगा। सरकार उस पर नवम्बर, १९५४ तक भली प्रकार विचार करके

अपना अन्तिम निर्णय ले सकती है। अतः मैं समझता हूं कि इसको अधिक से अधिक ३१ जनवरी तक बढ़ाना ही उचित होगा। तब तक सरकार, संसद् और जनता इस सम्बन्ध में अन्तर्ग्रस्त महत्वपूर्ण विवाद विषयों पर भली प्रकार विचार करके अपना निश्चय कर सकती है। अतः ३१ जनवरी, १९५६ तक इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना उचित नहीं प्रतीत होता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक इस अधिनियम के विस्तार का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव यह है कि इसे न्यूनतम सम्भव समय के लिये बढ़ाया जाये। यह अधिनियम किसी आपात का सामना करने के लिये नहीं बनाया गया था और अभी भी कोई आपात नहीं दिखाया गया है कि इस कारण विधेयक की आवश्यकता है। विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की अवधि दो वर्ष रखी गई थी। इन दो वर्षों में किसी आपात का सामना नहीं करना पड़ा और न ही कोई नई चीज़ें पैदा हुईं। केवल एक प्रयोग किया जा रहा था, जो असफल हुआ। माननीय मंत्री ने जो कुछ बताया उससे पता चलता है कि राज्य सरकारें इस अधिनियम के पक्ष में नहीं थीं। वे और अधिक प्रभावशाली विधान चाहती थीं। परन्तु तत्कालीन गृह-मंत्री सारे देश को अपने साथ ले चलना-चाहते थे—जूरी की व्यवस्था करके, जो भारतीय प्रेस के लिये नई चीज़ थी। वह समझते थे कि देश उनका साथ देगा, परन्तु उनका अनुमान ग़लत था। हमारे वर्तमान गृह-मंत्री को जो अच्छे परिणाम चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिये बिल्कुल तैयार रहना चाहिये जो प्रभावशाली होगी। बिहार में एक कहावत है : "भात भी नहीं खाया, मज़ा भी नहीं आया।" जिसे फ़ारसी में कहते हैं : "गुनाह बेलज़्ज़त।"

हमें अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उपक्रम करना चाहिये, किन्तु वह उपक्रम अक्रियाकारी नहीं होना चाहिये। समस्त भारत में केवल ८६ मामले थे, जिन में से अधिकतर अश्लीलता के थे। इस से प्रतीत होता है कि इस विधेयक की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। दूसरे यह विधेयक अक्रियकारी होने के कारण व्यर्थ है और इस के कारण हमारी बदनामी होती है। देश में विधि व्यवस्था सुचारु नहीं है और हम आशा रखते थे कि माननीय मंत्री इतने बड़े न्यायवेत्ता होने के नाते कोई उत्तम विधान प्रस्तुत करेंगे। किन्तु अब राजद्रोह सम्बन्धी कोई निर्णयात्मक विधान नहीं है। संघ न्यायालय ने जब श्री मजूमदार के मामले में वह निर्णय दिया, तो मामला प्रीवी कौंसिल में गया और उस ने बाल गंगाधर तिलक के मामले में दिये गये निर्णय का अनुमोदन किया और जब मास्टर तारासिंह का मामला उच्च न्यायालय, शिमला में आया तो उस न्यायालय ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारायें १२४ ख और १५३ अधिकारबाह्य हैं। तब हम ने विधान बनाया, जिस के अनुसार वे निर्णय अक्रियकारी हैं। अब इस देश में राजद्रोह सम्बन्धी विधान की क्या अवस्था है। संविधान से 'राजद्रोह' शब्द निकाल दिया गया है और 'सार्वजनिक व्यवस्था' शब्द रखा गया है। अमरीका और इंगलिस्तान में भी यही स्थिति है। यदि सार्वजनिक व्यवस्था के लिये कोई खतरा है तो इसे राजद्रोह समझना चाहिये, अन्यथा नहीं।

केवल 'राजद्रोह' के सम्बन्ध में जनता और प्रैस में चर्चा चल रही है, इसलिये इस शब्द की परिभाषा निश्चित करनी चाहिये। गन्दा प्रकाशन, किसी को मारने के लिये उकसाना इत्यादि मामलों के लिये, सब चाहते हैं कि विधान का होना जरूरी है। जब तक सरकार राजद्रोह के सम्बन्ध में निश्चित परिभाषा नहीं देती, और इस प्रकार का कोई

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

मामला उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय में नहीं जाता और उस पर न्यायालय अपना निर्णय नहीं देता, तब तक हमें यह पता नहीं है कि हमारी क्या स्थिति है । जब ऐसी स्थिति है, तब तक यह विधान नहीं बनाया जा सकता है ।

इस अधिनियम के कारण १९३१ का अधिनियम रद्द हो चुका है और यदि यह अधिनियम भी निकाल दिया जाय तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है ।

जैसा सरकार समझती है, यदि देश की वर्तमान परिस्थिति की दृष्टि से हमें इस दिशा में किसी विधान की आवश्यकता है, तो हमें प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार विधान बनाना चाहिये, और यदि सरकार इस आयोग के प्रतिवेदन को अपनाना नहीं चाहती, तो नवीन विधान बनाया जा सकता है । परन्तु यह अच्छा विधान होना चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो हम परिस्थिति का नियंत्रण नहीं कर सकेंगे ।

दो वर्ष से इस सम्बन्ध में प्रयोग हो रहे हैं और अब दो वर्ष और लेने का कोई लाभ नहीं होगा । पहले माननीय मंत्री प्रैस आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करते थे । मैं नहीं चाहता कि इस अधिनियम को एक भी दिन के लिये बढ़ाया जाये, क्योंकि यह संविधान में दिये गये मूल अधिकारों के विरुद्ध है । संविधान सभा में हम ने इस प्रश्न के लिये दिन रात एक कर दिया था और मैं ने तर्क संगत शब्द के रखे जाने के लिये संघर्ष किया था । यह सब काम मैं ने स्वयं किया था और तब मैं डा० अम्बेडकर के पास भी गया था । मैं एक नागरिक के नाते चाहता हूं कि मेरे देश की विधि खराब न होने पाये, किन्तु गृह-कार्य मंत्री को तो देश की शान्ति और व्यवस्था तथा अन्य बातों को भी दृष्टिगत रखना चाहिये । डा० श्यामा-प्रसाद मुकर्जी ने कहा था कि "संविधान मेरे लिये एक पवित्र वस्तु है ।" माननीय मंत्री को यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल देनी चाहिये कि प्रत्येक सदस्य केवल इसलिये बोलता है कि उस का नाम समाचार पत्रों में आ जाये । हम केवल नागरिक के नाते और अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा के निमित्त बोलते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री के शब्दों का जोरदार खण्डन करता हूं जो उन्हों ने कल मेरे तथा अन्य कई सदस्यों के विषय में कहे थे । हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारे देश के विधान अच्छे हों तथा देश उन्नति करे और प्रैस स्वतंत्र हो । मैं भी यही चाहता हूं कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाना चाहिये, किन्तु यदि उसे विधि के अनुसार दण्डित न किया जा सके तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिये । यह केवल दृष्टिकोण में अन्तर है । मैं माननीय मंत्री का आदर करता हूं, और जो लोग ईमानदार हैं, उन के प्रति कोई आरोप नहीं लगाता हूं । माननीय मंत्री को हमारे सम्बन्ध में यह कहने का कोई कारण नहीं है कि हम किसी हित विशेष के लिये बोलते हैं । मेरा सविनय निवेदन है कि यह विधेयक आवश्यकता से अधिक एक मिनट भी संविधि पुस्तक में नहीं रहना चाहिये ।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरी–दक्षिण) : मैं श्री मुकर्जी की तरह तीन वंशों से संपादक नहीं हूं, अपितु २३ वर्ष से संपादन कार्य कर रहा हूं । अंगरेजी तानाशाही के हाथों मैं ने बहुत नुकसान उठाया है, केवल एक वाक्य के लिये २००० रुपये तक प्रतिभूति दी है, किन्तु फिर भी मैं इस धारा के पक्ष में हूं । मैं श्री ठाकुर दास भार्गव का आदर करता हूं किन्तु मैं यह भी देखता हूं कि प्रतिदिन पत्रों में ऐसी बातें प्रकाशित होती हैं, जिन से साम्प्रदायिक विरोध बढ़ता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने यह नहीं कहा कि किसी भी उपबन्ध की आवश्यकता

नहीं है, किन्तु मैं ने यह कहा है कि यह विधेयक अनावश्यक है। पहले जो उपाय वर्तमान हैं, वे ही पर्याप्त हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : सरकार उन को काम में क्यों नहीं लाती है ?

श्री एम० डी० जोशी : मैं न केवल धारा १९२, तथा न्यायालय अपमान अधिनियम को ही आवश्यक समझता हूं अपितु यह भी जरूरी समझता हूं कि देश की जो भयंकर स्थिति है, उस की दृष्टि से इस अधिनियम को और अधिक समय के लिये बढ़ा देना चाहिये। कल इस विधेयक के विरुद्ध जो कुछ कहा गया है, वह केवल सैद्धान्तिक बातें थीं। मैं श्री देशपांडे की बात का समर्थन करता हूं कि आपत्तिजनक प्रैस के साथ कड़ाई का व्यवहार किया जाना चाहिये। किन्तु सरकार नर्मी का व्यवहार करती है, इसीलिये इतने मुकदमे चलते हैं। यदि सरकार इस स्थिति पर नियंत्रण करना चाहती है तो उसे प्रैस के अपराधों के विरुद्ध सख्ती का व्यवहार रखना चाहिये।

मैं स्वयं प्रैस की स्वतंत्रता का पक्षपाती हूं किन्तु इस के द्वारा प्रैस की स्वतंत्रता पर आघात नहीं किया गया है। अपितु यह अधिक स्वतंत्रता पर पाबन्दी लगाने के लिये किया गया है। प्रैस जांच समिति ने भी कहा था कि जहां बोलने का अधिकार होता है वहां कर्तव्य, दायित्व और आभार भी होते हैं, इसलिये जहां निम्न कोटि की बातें हों वहां इस अधिकार पर पाबन्दी लगाना भी आवश्यक हो जाता है। जो मामले राज्य के हित में गोपनीय हों तथा जिस बात से राज्य को हिंसात्मक ढंग से बोलने के लिये उकसाया जाये तथा जो गन्दे शब्द हों तथा जो शब्द दूसरों की प्रतिष्ठा तथा मान नष्ट करने वालों हों उन पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिये।

अभी भी देश की परिस्थिति ऐसी है कि इस प्रकार की कविताओं और अभिव्यक्तियों पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता है। म हैरान हूं कि श्रीमती सुचेता कृपालानी, अब कैसे इस का विरोध करने लगी हैं, जब कि उन्हों ने समिति के सदस्य के नाते इस के पक्ष में हस्ताक्षर किये थे। इस में प्रैस की स्वतंत्रता को रोकने का नहीं, अपितु देश की एकता को नष्ट करने वाली प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयत्न है।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : अंगरेज़ भी ऐसा ही कहा करते थे।

श्री एम० डी० जोशी : यदि आप सत्तारूढ़ हों, तो आप कुछ और बातें कहेंगे। मैं यह चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में अधिक सख्त होना चाहिये। पहले सरकार प्रतिभूति मांगा करती थी, किन्तु अब सरकार ऐसा नहीं करती है, अपितु न्यायालय में साधारण शिकायत ले कर जाती है और वहां भी संपादन का उत्तम अनुभव रखने वाले न्याय सभ्य होते हैं जो प्रैस की स्वतंत्रता का संरक्षण करते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का ज़ोरदार समर्थन करता हूं।

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : संभवतः श्री भार्गव को देश की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जब वे कहते हैं कि देश में आकस्मिकता की स्थिति नहीं है। पत्रों में इतनी नीचता की बातें प्रकाशित होती हैं तथा हमारी सशस्त्र सेनाओं की निन्दा भी की जाती है, और केवल साम्यवादी ही ऐसा प्रचार करते हैं। "क्रॉसरोड" में छपा है कि भारतीय सेनायें नेपाल में दुर्व्यवहार कर रही हैं, वहां की एक लड़की का अपमान किया गया तथा वहां की महिलाओं के प्रति गन्दे शब्द कहे जाते हैं, और जब नेपाली इन बातों का विरोध करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सैनिकों के दुर्व्यवहार से वहां के लोग असंतुष्ट हैं। इस प्रकार हमारे सैनिकों की निन्दा की

[डा० एस० एन० सिंह]

जाती है। मैं जानता हूं कि हमारे सैनिकों का नैतिक-चरित्र अन्य देशों के सैनिकों से कहीं ऊंचा है। कोरिया में सब देशों ने हमारे सैनिकों की भूरि भूरि प्रशंसा की है किन्तु हमारे इस सदन के सदस्य भी अपने सैनिकों की इस प्रकार निन्दा करते हैं। वह इस प्रकार के अपमान के योग्य नहीं हैं। इतना ही नहीं, साम्यवादी देश इन पत्रों का निर्देश कर के इन बातों का प्रकाशन अन्य देशों में करते हैं। इस से अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। जब हम विदेशी पत्रों में ऐसी बातें पढ़ते हैं, तो हमारा सर लज्जा से झुक जाता है। "ब्लिट्ज़" में भी ऐसी ही ख़बरें छपती रहती हैं और उन्हें वे लोग सच मानते हैं। "ब्लिट्ज़" के उद्धरण साम्यवादी दल के उन पत्रों में छपते हैं, जिन को लौह आवरण वाले देशों से सहायता मिलती है। वे हमारे नेताओं के प्रति भी बहुत अपमानजनक बातें कहते हैं। मैं ने संपादक के रूप में आजीविका कमाई है और मैं कह सकता हूं कि सामान्यतः हमारा प्रैस प्रशंसा के योग्य है, किन्तु साम्यवादी प्रैस ऊधम मचाता रहता है। जिस ढंग से यह साम्यवादी प्रैस भारत में काम करता है, उस पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता है। "हिन्दुस्तान टाइम्स" जैसे पत्र पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस की तुलना में "क्रासरोड" एक दम निकृष्ट है। उस का प्रत्येक पृष्ठ निन्दा और अपभाषण से भरा होता है। उस की झूठ की इस फैक्टरी को मास्को से वित्तीय सहायता मिलती है। वह इस गम्भीर अवसर पर हमारा नैतिक पतन करना चाहता है। आज का अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बहुत तनावपूर्ण है और ऐसी परिस्थिति में ऐसे किसी पत्र को चलते रहने देना देश का अपमान है। अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक का जीवन-काल दो वर्ष और बढ़ा दिया जाये।

यह साम्यवादी अपने आप को उच्च सिद्धान्तवादी बताते हैं, परन्तु मेरा कहना है कि यही वह व्यक्ति हैं जो सिद्धान्त रूप से प्रत्येक सिद्धान्त के विरोधी हैं। वह अपने आप को देशभक्त कहते हैं परन्तु वह क्या हैं यह मैं उद्धरण दे कर बताऊंगा।

हमारे सीमान्तों की स्थिति बहुत नाजुक हो रही है। हमें नेपाल के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाये रखने हैं। परन्तु जब हमारी सेनायें नेपाल सरकार की प्रार्थना पर वहां हैं तो यह हमारे सैनिकों पर लांछन लगाते हैं। वह कहते हैं कि भारतीय सैनिक वहां केवल लड़कियों से छेड़खानी करने के लिये ही वहां हैं। किसी भी देश में ऐसी गन्दी बातों को सहन नहीं किया जा सकता है। जर्मनी और रूस में सैनिकों पर लांछन लगाने वालों को फांसी पर लटका दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार के अपराध करने वालों को दंड देना है, और यदि आपने कोई दंड नहीं दिया है तो इस विधेयक को चालू रखने का आशय क्या है ?

डा० एस० एन० सिंह : मैं तो पंडित ठाकुर दास भार्गव की उस बात का उत्तर दे रहा हूं कि देश में कोई आपात नहीं है और इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि आवश्यकता हो तो और भी कठोर कार्यवाही कीजिये।

डा० एस० एन० सिंह : हमारे गृह-मंत्रालय को यह बातें ज्ञात हैं, वह ऐसे समाचार पत्रों से सुरक्षण दिये जाने की मांग क्यों नहीं करता है ? उनके प्रत्येक शब्द में मास्को की गूंज आती है। ऐसे पत्रों में जो गन्दगी तथा झूठ भरा होता है उस की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाना चाहिये।

ऐसा ही एक और पत्र कलकत्ता से निकलने वाला "स्वाधीनता" है। यह भी साम्यवादियों का पत्र है। गत जुलाई में हुई ट्राम हड़ताल का विवरण उस ने ऐसी भाषा में प्रकाशित किया था जिस के पढ़ने से खून खौलने लगता था। उस ने अन्धेरगर्दी तथा अराजकता फैलाने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। इस पत्र के उद्धरण मास्को के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे।

ऐसा ही एक और पत्र "ब्लिट्ज़" है। यह बड़े अपमान की बात है कि लौह आवरण वाले देशों में जो भी समाचार प्रकाशित होते हैं वह ऐसे ही पत्रों से लिये जाते हैं। इस से विदेशों में यह भावना फैलती है कि भारतीय जनता नीच है और यहां के सैनिक कायर तथा दुष्ट हैं। इन कारणों से मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : माननीय मंत्री ने सदन पर यह आरोप लगाया है कि समस्त चर्चा में वाद विषय को छोड़ कर असंगत बातें कही गई हैं, मैं उल्टे माननीय मंत्री पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्हों ने उन बातों को उठाया जिन का वाद विषय से सम्बन्ध नहीं था। इस बात से तो किसी को भी विरोध नहीं है कि अश्लील प्रकाशनों को बन्द किया जाये और उन को हिंसा आदि को प्रोत्साहन देने से रोका जाय। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान क़ानून ऐसे अपराधों का निराकरण करने के लिये पर्याप्त हैं या नहीं। हमारे समक्ष यही प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खंडों पर चर्चा करें क्योंकि सदन ने विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं केवल यह सुझाव दे रहा था कि यदि इस की अवधि बढ़ाई जाये तो वह एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। हमें बताया गया है कि राज्य इस सम्बन्ध में बहुत सतर्कता से कार्य कर रहे हैं और भद्दा तथा भारी होने के कारण वह इसे काम में नहीं लाते हैं। यदि इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो उस की अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि यह अपना कार्य करने में असमर्थ रहा है तो इस को रद्द कर दिया जाना चाहिये। दिये गये उद्धरणों से ज्ञात होता है कि आपत्तिजनक बातें अब भी प्रकाशित होती हैं, इस का अर्थ यह है कि यह विधेयक अपने कार्य में असफल रहा है। ऐसी अवस्था में इसे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम इस की अवधि को दो वर्ष के लिय क्यों बढ़ायें। राज्यों ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि भारी तथा भद्दा होने के कारण वह इसे काम में नहीं लाते हैं। हमारी समझ में अभी तक यह नहीं आया है कि क्या यह सामान्य क़ानून का स्थानापन्न है अथवा उस के अतिरिक्त है। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने का अधिकार राज्यों को है कि वह साधारण क़ानून चाहते हैं या ऐसा दमनकारी क़ानून चाहते हैं।

हम से बार बार पूछा जाता है कि हम क्या चाहते हैं। इस का निर्णय करना तो सरकार का काम है, यदि वह सामान्य तथा साधारण क़ानून से काम नहीं चला सकती है तभी उसे ऐसे कठोर क़ानूनों का आश्रय लेना चाहिये।

यह सारा मामला प्रेस आयोग के विचाराधीन है और इसलिये इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना ठीक नहीं है। यदि सरकार प्रेस आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक के समय के लिये कोई अधिकार चाहती है तो इसकी अवधि छै मास के लिये बढ़ा दी जाये। संशोधन में एक वर्ष का उपबन्ध है अतः मैं उस का समर्थन करता हूं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं श्री चटर्जी के संशोधन तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का समथन करता हूं। माननीय गृह-कार्य मंत्री

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

डा० काटजू इस सदन में व्यक्त की गई भावनाओं का लेश मात्र भी समादर नहीं करते हैं, वह तर्क दे सकते हैं परन्तु हमें सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि इस विधान की अवधि दो वर्ष बढ़ाने के कारण क्या हैं? उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में एक भी बात ऐसी नहीं कही गई है कि जिस से इस मांग का औचित्य सिद्ध हो सके। उसमें कोई कारण नहीं बताये गये हैं। यदि वह इस की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पर्याप्त कारण दिये जाने चाहियें।

इस में सन्देह नहीं है कि अश्लील लेखकों की कमी नहीं है, यदि उद्देश्य उन की लेखनी को कुंठित करना है तो निश्चय ही ऐसा क़ानून होना चाहिये। पर ऐसा प्रतीत होता है कि आप उन को साधारण क़ानून के अनुसार दंडित नहीं करना चाहते हैं।

बहुत से मामले विचाराधीन हैं इसलिये सदन में उन की चर्चा नहीं की जा सकती है। किसी पत्र ने कोई छोटी सी बात प्रकाशित की थी परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की समस्त शासन व्यवस्था उसे कुचल देने के लिये लगा दी गई। परन्तु उस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग नहीं चलाया गया, धारा १३५ क का आश्रय लिया गया। राज्यों को ऐसी छूट नहीं दी जानी चाहिये। यदि आप केवल दिखावे के लिये इसे रखना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो इसे बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

जब तक इसे निवारक निरोध अधिनियम के समनुरूप न बनाया जाये तब तक अवधि के बढ़ाये जाने की मांग करना ठीक नहीं है। इस मांग का कोई औचित्य नहीं है। मेरा निवेदन है कि एक वर्ष की अवधि भी काफ़ी है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी संविधि पुस्तक पर ऐसे अधिनियम रहें जो देश के लिये अपमानजनक हों। हमारा देश लोकतंत्रात्मक है उस में ऐसे विधानों को पारित नहीं किया जाना चाहिये। संभव है डा० काटजू मेरे सुझाव को स्वीकार न करें परन्तु पंडित ठाकुर दास भार्गव जैसे वयोवृद्ध संसदज्ञ की बात को उन्हें स्वीकार करना ही चाहिये और इस की अवधि केवल एक वर्ष के लिये ही बढ़ाई जानी चाहिये।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस द्वितीय धारा का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो वर्ष तक इस क़ानून को बढ़ाने के लिये मैं इसलिये विरुद्ध हूं कि मैं ने देखा है कि किस प्रकार से यह क़ानून पिछले दो वर्ष तक हमारे हिन्दुस्तान देश में बरता गया है। इस बरताव को देखने के पश्चात् मुझे इस के लिये समाधान नहीं हुआ है। यहां वक्ता के बाद वक्ता खड़े हुए। मुझे पता नहीं है कि कांग्रेस दल का विचार क्या है, विशेषतया साम्यवाद के विरोध में और काम्युनिज्म के विरोध में जब कांग्रेसी सदस्य बोलना शुरू करते हैं तो मेरे हृदय में उन के लिये बड़ी दया उत्पन्न होती है। इस का कारण यह है कि काम्युनिज्म का विरोध इन की सरकार कर नहीं रही है। यह मैं जानता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे प्रधान मंत्री और इस सदन के नेता काम्युनिस्टों के साथ हैं। हमारे नेता चाइना की तारीफ़ करते हैं। हमारे शिष्ट मंडल वहां जा कर उन की तारीफ़ करते हैं। और हमारे यहां बेचारे संसद् के बहुत से सदस्य खड़े हो कर उन के ख़िलाफ़ बोलते हैं। आगे चल कर यहां यह भी कहा गया है...

श्री पी० सी० बोस (मानभूम-उत्तर) : श्रीमान्, औचित्य के प्रश्न पर इस ओर का वक्ता अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध नहीं अपितु भारतीय साम्यवादियों के विरुद्ध बोल रहा था और अब वक्ता प्रश्न करता है। (**अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है कि वह यह कहना चाहते हैं कि जब हमारा सम्बन्ध भारतीय साम्यवादियों से है तो हमारा सम्बन्ध

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से क्यों नहीं है । (**अन्तर्बाधायें**)

श्री वी० जी० देशपांडे : कांग्रेस पक्ष के लोग इंटरनेशनल कम्युनिस्ट्स का ही विरोध कर रहे थे, इंडियन कम्युनिस्ट का नहीं कर रहे थे । यहां बहुत सारी बातें कही गयीं, मैं भी मानता हूं कि देश की परिस्थिति बड़ी नाजुक हो रही है । देश के सामने संकट है, कहां कहां से संकट है, यह मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस देश के अन्दर जो उत्पात और संकट की स्थिति हमारे होम मंत्री ने बतायी, उसे देखकर तो मेरा भी हृदय कांपता है । हमारे माननीय त्रिवेदी जी का क्या मत है, उनका कहना है कि हमारे माननीय मंत्री रीजनेबुल तो हैं लेकिन रीज़न देते ही नहीं । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे तो उनकी तरफ़ से प्रिज़न के सिवाय और कुछ मिला नहीं है । अब आज यह जो उत्पात की परिस्थिति का देश में निर्माण हो रहा है, और पाकिस्तान की ओर से भी संकट हमारे देश के लिये आ रहा है, यह सब तो हमें बतलाया जाता है लेकिन उसके लिये जो सरकार की तरफ़ से योजना हो रही है और उपाय हो रहा है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह उपाय और योजना संकट की स्थिति को टालने और उसका मुकाबला करने के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है, देश को इस संकट और उत्पात से बचाने के लिये शस्त्र तैयार कर रहे हैं लेकिन उनकी छुरी बेचारे निरपराध व्यक्तियों पर चल रही है, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन २ पत्रों के बारे में उन्हों ने बतलाया, उन के खिलाफ़ आपने क्या किया है ? जिस चीज़ पर आपत्ति की थी वह जनवरी के महीने में पबलिश हुई थी, लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि ये खबरें इस के पहले भी उन पत्रों में आई थीं । कोई रूल तोड़ता है, कोई उत्पात करता है अथवा बम फेंकता है या पेपर में ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखता है, तो इस काम को बन्द करने के लिए जो ताकत चाहिए वह ताक़त कांग्रेस सरकार में नहीं है । किसी पेपर को बन्द करने की ताक़त इस सरकार में नहीं है । साथ ही इस सरकार में ऐसे निरपराध लोगों को जो इस प्रकार के उत्पात और आंदोलन नहीं करते, उन को बचाने की उदारता भी नहीं है । ये दोनों ही बातें न होनी चाहियें । पिछले दो वर्षों में हम ने देख लिया है कि ग़रीब बेचारे निरपराध लोगों के विरुद्ध केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण इस प्रेस ऐक्ट क़ानून का इस्तेमाल हुआ है जो अत्यन्त अवांछनीय और निन्दनीय है और मैं इस बात को साबित करने के लिये आप के सामने एक केस बताने वाला हूं । यहां दिल्ली के अन्दर और इस सदन में भी बहुत दफ़ा आक्षेप किया गया है और इलज़ाम लगाया गया है कि यहां कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिन को कि पाकिस्तानी दिल्ली कहते हैं, वहां कोई हिन्दू जाकर नहीं रह सकता और वहां अत्याचार भी होता है । हमारे पास इस बारे में शिकायत पहुंची और मैं स्वयं मिलाप के सम्पादक के साथ वहां की हालत देखने गया । मिलाप के सम्पादक ने उस के खिलाफ़ तीन आर्टिकल लिखे और उन्हों ने अपने अख़बार में लिखा कि एक सेकुलर राज्य में केवल मुसलमानों के लिये एक बस्ती नहीं होनी चाहिये, इस के लिये उन को सेशन जज के सामने ले जाया गया, उन के पत्र से सीक्योरिटी मांगी गयी और मैं अपने माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के सेशन जज ने उन को छोड़ दिया, सम्मान के साथ छोड़ दिया और छोड़ते वक्त यह कहा कि राजनैतिक विरोध के कारण ही इन लोगों पर इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाये जाते हैं । हम तो देख रहे हैं कि दो वर्ष के अन्दर जिस प्रकार से इस देश में यह चीज़ चलायी गयी है, उस से देश के अन्दर

लालेसनेस और उत्पात बन्द नहीं हुए हैं । हां यह ज़रूर हुआ है कि ग़रीब और निरपराध लोगों पर अत्याचार किया गया है और उन को सताया जा रहा है । मैं तो प्रार्थना करूंगा कि इस ऐक्ट की अवधि दो वर्ष बढ़ाने के बजाय हम थोड़े दिन के लिये बढ़ायें । क्योंकि प्रेस कमीशन की रिपोर्ट जल्दी हमारे सामने आने वाली है । हां, देश की परिस्थिति को देखते हुए यदि सरकार चाहती है तो उस के लिये चार महीने, छः महीने या एक साल का समय देने के लिये हम तैयार हैं । सरकार का कहना है कि आज के दिन समाचारपत्रों में औबसीन और अश्लील सामग्री निकलती है । हम को दुःख होता है कि नेताओं के खिलाफ़ और खास कर मिनिस्टरों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें लिखी जाती हैं । हालांकि मैं देखता हूं कि जितने अभियोग चले हैं खास तौर पर मिनिस्टर्स के खिलाफ़ लिखने पर ज्यादा चले हैं । मेरा कहना है कि अगर कोई मिनिस्टर के खिलाफ़ आक्षेप करता है तो उसके लिये डीफेमेशन, तौहीन, का क़ानून है । उस के अन्दर उस के खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हैं । हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह के आक्षेप करे अथवा अश्लील सामग्री छापे । हम इस में उन के साथ नहीं हैं । लेकिन उस का मुक़ाबला करने के लिए इतनी बड़ी भारी तैयारी की ज़रूरत हमारी समझ में नहीं है, और आपकी इस तरह की तैयारी करना, हाइड्रोजन बम, मशीनगन और एटम बम के मुहैया करने के समान होगा और इन शस्त्रों से खटमल और मच्छर मारने का प्रयत्न करना होगा और इसी प्रसंग में मुझे पंचतंत्र की एक कहानी याद आ गयी । एक राजा ने एक बंदर को बड़े प्यार से अपने यहां पाला था । राजा के दरबारी लोगों ने बतलाया कि इस बन्दर के हाथ में कुछ नहीं देना । राजा ने माना नहीं और उस को अपना बाडीगार्ड, अंगरक्षक, नियुक्त कर लिया । एक दिन राजा बागीचे में सोया पड़ा था और उस समय वह बन्दर राजा के अंगरक्षक का काम अंजाम दे रहा था । इतने में एक मक्खी कहीं से आकर राजा के मुंह पर बैठ गयी । बंदर तलवार लेकर चला, तो उस को बतलाया गया कि मक्खी को हटाने के वास्ते तलवार की नहीं पंखे की ज़रूरत होती है । लेकिन बन्दर ने नहीं माना और उस ने कहा कि तुम को पता नहीं राजा की जान कितनी मूल्यवान चीज़ है और ऐसा कह कर उस ने तलवार मक्खी मारने के लिये राजा के मुंह पर चलायी जिस के कारण राजा मर गया ।

हमें जो यहां बतलाया जाता है कि देश की परिस्थिति भयंकर है, या कोई मिनिस्टर साहब पर अटैक करता है सो ठीक है और यह जो अश्लील बातें लिखी जाती हैं इन को हमें रोकना है । देश को हमें बचाना है । मैं बिल्कुल सहमत हूं और हमें उस के लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये, लेकिन यह मक्खियों और मच्छरों को इतनी बड़ी तलवार से मारना जिस से प्रेस की स्वतंत्रता और मुद्रण की स्वतंत्रता नष्ट हो, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिये । मैं प्रार्थना करूंगा कि देश का कल्याण और सुरक्षा आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, और इसी कारण मैं आप से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार का ऐक्ट न लाते हुए आप ऐसा विधेयक लाइये जिस से कि आप देश का बचाव कर सकें और जिससे निरपराध लोगों को सज़ा न हो सके ।

डा० काटजू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्य का, जो पीछे बोले हैं, आभारी हूं । एक प्रकार से उन्होंने मेरे माननीय मित्र श्री भार्गव की बातों का बड़ा ही प्रभावशाली उत्तर दिया है । उन्होंने—पिछले वक्ता ने—

उस संकट का, जिसमें हम रह रहे हैं, बड़ी स्पष्ट भाषा में उल्लेख किया है ।

आज, इस क्षण, एक मात्र प्रश्न समय का है । मेरे माननीय मित्र श्री जोशी कहते हैं कि 'आप जितना समय चाहें ले लें' । मेरा विचार है कि यह दृष्टिकोण काफ़ी ज़ोरदार है क्योंकि—मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं—मैं इस विधेयक के बहुत से उपबन्धों से सन्तुष्ट नहीं हूं । कुछ समय से हम इस बात पर विचार करते रहे हैं कि इसे अधिक प्रभावशाली तथा अधिक अनिवार्य बनाने की दृष्टि से इसमें सुधार या परिवर्तन कैसे किया जा सकता है ।

वास्तविकता यह है कि प्रेस आयोग गत वर्ष में नियुक्त किया गया था । हमने सोचा कि अधिनियम ३१ जनवरी १९५४ तक लागू रहेगा तथा सम्भव है कि सदन प्रेस आयोग के विचारों तथा सिफारिशों का पता चलने तक उचित रूप में परिवर्तित सर्वथा एक नये अधिनियम पर विचार करना नहीं चाहेगा । परन्तु इसमें कुछ विलम्ब हो गया है और उनका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है । माननीय मित्रों ने बार बार धीमे या ताने से भरे या क्रोध के स्वर में कहा है कि 'उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को देखो ।' वास्तव में मुझे यह पता नहीं है—मैं एक वकील हूं—कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से क्या आशा की जाती है । क्या यह कोई निबन्ध (थीसिस) होगा ? तो फिर उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में आप क्या चाहते हैं ? इसमें कहा गया है कि प्रेस आयोग इस पर विचार कर रहा है । इसमें कुछ समय लग सकता है । यह उचित नहीं है कि इस अधिनियम को पूर्णतया रद्द होने दिया जाये । अतः हम इसे दो वर्ष के लिये बढ़ायेंगे । आप इससे अधिक और क्या चाहते हैं ? उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण एक प्रकार का मूल तत्व देता जिसे वकील लोग भली प्रकार जानते हैं । मूल-तत्व—केवल तीन पंक्तियां—बस, आपको संक्षेप मिल जाता है ।

स्थिति क्या है ? सरकार का दृढ़ निश्चय है तथा वह चाहती है कि एक व्यापक प्रेस विधान प्रस्तुत किया जाये । सरकार यह तनिक भी नहीं चाहती कि प्रेस की स्वतन्त्रता को क्षति पहुंचाई जाये ।

मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संकेत किया है कि राजद्रोह की परिभाषा की जाये । हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा है, कि भारतीय दण्ड संहिता में कुछ धाराओं का जोड़ना आदि आवश्यक हो । मैं नहीं जानता कि प्रेस आयोग का प्रतिवेदन कब उपलब्ध होगा । इसमें तीन मास लग सकते हैं । हो सकता है कि इसमें कुछ अधिक समय लगे । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह राज्य सरकारों को भेजा जायेगा । हम उनसे जनसाधारण का मत जानने तथा शीघ्रतापूर्ण कार्य करने को कहेंगे । परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्मरण रहना चाहिये कि क, ख तथा ग राज्य कुल तैईस या चौबीस हैं । ये सब समय लेते हैं । मत प्राप्त होने में मासों लग जाते हैं । फिर सरकार अपना निश्चय करती है, तथा मामला संसद् के समक्ष आता है । हो सकता है कि जनसाधारण का मत जानने के लिये विधेयक परिचारित करना पड़े । एक संयुक्त समिति का होना तो आवश्यक ही होगा, कई बातें हो सकती हैं । यह मैं नहीं जानता कि इस सब में कितना समय लगेगा । यदि कोई जोतिषी मुझे निश्चित रूप से यह बता सके कि यह सब बारह मास में समाप्त हो जायेगा तो इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि मैं यह नहीं जानता हूं, इसलिये मैंने ये दो वर्ष ले लिये हैं ताकि मुझे इस सदन में समय के लिये फिर न आना पड़े । जो मैंने निवारक निरोध विधेयक की चर्चा में कहा था मैं उसे फिर दोहराता हूं ।

[डा० काटजू]

जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि यह एक वष हा या दो वर्ष, मैंने कहा था कि सरकार अधिनियम सम्बन्धी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करके सदन को इसके गुणों व दोषों पर चर्चा करने का एक अवसर देगो और इसके परिणामस्वरूप लम्बी चर्चा से बच जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय चर्चा बड़ी मूल्यवान होती है। किसी ने कहा था कि संसद् के प्रत्येक मिनट के लिये कर-दाताओं को लगभग अस्सी या सौ रुपये देने पड़ते हैं। मान लीजिये कि मैं एक वर्ष की यह समय-अवधि स्वीकार कर लेता हूं तथा मान लोजिये कि नवीन विधेयक के बनने में कुछ विलम्ब होता है या इसी प्रकार की कोई बात होती है। ऐसी स्थिति में एक वर्ष अवधि बढ़ाने के लिये मुझे इसे फिर प्रस्तुत करना पड़ेगा। मेरे माननोय मित्र कहेंगे कि इस पर बारह घंटे तक गम्भीर चर्चा होनी चाहिये। इस सारे समय नाश से क्या लाभ है ?

आपसी समझौता यह है कि ज्यों ही प्रेस आयोग अपना प्रतिवेदन प्राप्त करता है तथा इस पर जनता, राज्य सरकारों तथा प्रेस—सम्पादक सम्मेलन, श्रमजोवी पत्रकार सम्मेलन, रुचि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति—के विचार कर लेने के पश्चात् सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी। वह विधेयक एक व्यापक विधेयक होगा। वह इस अधिनियम के अधिष्ठान में होगा। यदि यह एक वर्ष में बन जाता है तो यह अधिनियम रद्द हो जाता है। यदि यह चौदह मास में बनता है तो यह अधिनियम रद्द हो जायेगा। मैं केवल यह चाहता हूं कि हम उस विधेयक के विचाराधीन रहने पर फिर लम्बी चर्चा न करें। सदन इसे एक आश्वासन मान सकता है कि उस विधेयक के तैयार करने, उस विधेयक को संसद् में रखने, तथा सरकार के यह कहने में कि यह सब पर लागू होना चाहिये कोई विलम्ब न होगा। अब स्थिति यह है।

इस चर्चा के बीच जो बहुत सी बातें कही गई हैं मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मुझे विद्यमान स्थिति का पता है। अधिनियम को राज्य सरकारें लागू करेंगी। वे बहुत सतर्क रही हैं। उन्हें कुछ वैधानिक परामर्श दिया गया है कि "आप इस ओर नहीं बढ़ सकते हैं, आप उस ओर नहीं बढ़ सकते हैं।" मैं एक काम करूंगा। मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूं। यहां की सारी चर्चा की एक प्रति मैं राज्य सरकारों को भेजूंगा और कहूंगा, "ये मत प्रकट किये गये हैं, बड़े ज़ोरदार तथा दृढ़ मत ये रहे हैं कि आप बहुत समय लेते हैं, तथा आपको आगे अवश्य बढ़ना चाहिये तथा इस विधेयक के उपबन्धों से अधिक लाभ उठाना चाहिये।" इसकी ही आवश्यकता है, क्योंकि वे सम्भवतः प्रेस के जैसे कटु उद्धरणों को सहन नहीं कर सकते हैं।

मैं विदेशों में यह धारणा उत्पन्न करना नहीं चाहता हूं कि कोई विशेष दल या कोई विशेष प्रकार का मत विधि के क्षेत्र में नहीं है, कि उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। विधि क्षेत्र से कुछ भी परे नहीं है। यह अधिनियम, वर्तमान रूप में, केवल उसका निर्देश करता है जो मैं बार बार कहता रहा हूं अर्थात् साहसापराधों का जो अभी 'क्रासरोड' से पढ़ कर सुनाये गये हैं। यह मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने कल केवल नाम बताये थे—'क्रासरोड' 'स्पोटलाइट न्यूएज'। मैं उन्हें केवल शिक्षा के लिये पढ़ता हूं—अच्छी इंगलिश, बहुत अच्छी तरह लिखी हुई, आदि आदि। वे यह विचार नहीं कर सकते हैं कि उन्हें छुआ नहीं जा सकता है। मेरे मित्र श्री वी० जी० देशपांडे बड़े ज़ोरदार शब्दों में बोले थे। स्वयं उनके

समाचार पत्र हैं। मेरे मित्र सरदार हुक्म सिंह के अपने समाचार-पत्र हैं, वे 'प्रभात' को भली भांति जानते हैं। उसमें क्या प्रकाशित होता है ? यह बात नहीं है कि जो हो रहा है हमें उसका पता नहीं है। राज्य सरकारें, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस मामले में कुछ सावधानी से या कुछ नरमी से काम ले रही हैं। जब मैं उन्हें यहां की चर्चा की एक प्रति भेजूंगा तो कदाचित वे जाग्रत हो जायेंगी और कहेंगी कि उनकी उदारता का दुरुपयोग किया गया है और उन्हें देश को छिन्न भिन्न होने से बचाने की दृष्टि से इन मामलों में कुछ अधिक कठोर होना चाहिये। मैं अपने मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव से यह कहना चाहता हूं कि समय बदल गया है। देश में वह स्थिति जो अक्टूबर या नवम्बर १९५१ में थी, जबकि विधेयक पारित किया गया था, अब नहीं रही है। अब हम, सन् १९५४ में, अधिक संकटकाल में हैं।

मैं इस मामले के इन पहलुओं पर अधिक बोलना नहीं चाहता हूं और न मैं आपका समय लेना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ कहा है उससे मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी का समाधान हो जायेगा और वे चार वर्ष स्वीकार करने को तैयार होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संशोधनों को सदन का मत प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ?

श्री एन० एल० जोशी : श्रीमान्, मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चटर्जी के संशोधन पर मत लूंगा। प्रश्न यह है :

पृष्ठ १ पर पंक्ति ७ में "four years" (चार वर्ष) के स्थान पर "three years" (तीन वर्ष) रखा जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३.—(धारा २ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि खंड ३ के सारे संशोधन अनियमित हैं।

अब मैं खंड ३ को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

श्री साधन गुप्त : मैं इस खंड पर कुछ बोलना चाहता हूं। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि निर्दोषता के वेष में यह प्रेस स्वातंत्र्य का अतिक्रमण करता है। 'अनधिकृत अधिकार' की परिभाषा मूल परिभाषा में इतना अंतर कर देती है जो कि मूल अधिनियम के बहुत परे है। मूल अधिनियम में जो परिभाषा मौजूद थी, उसके अतिरिक्त इसे ऐसा अखबार भी परिभाषित कर दिया गया है जिस पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम नहीं छपा हुआ है। इस परिभाषा का प्रभाव यह होगा कि धारा १५ के अंतर्गत सरकार ऐसे प्रेस को जब्त कर लेगी जिसने कि मुद्रक और प्रकाशक का नाम न देते हुए कोई अखबार निकाला है, यद्यपि उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम में ऐसे प्रकाशनों पर दण्ड का उपबन्ध है जिनमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं होता। अतएव प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ के कम कठोर दाण्डिक उपबन्धों को पर्याप्त न समझ कर प्रस्तुत उपबन्ध लाने के लिए सरकार को समस्त कारण देने चाहियें तथा इस पर सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए। अंग्रेज़ी ज़माने में भी इतना कठोर दण्ड आव-

[श्री साधन गुप्त]

श्यक नहीं समझा गया कि प्रेस को जब्त कर लिया जाए। फिर मैं नहीं समझता कि अब ऐसा उपबन्ध क्यों किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस समय ४.३० बज चुके हैं।

इस विधेयक पर चर्चा कल तक के लिये स्थगित रहेगी।

अब सदन गैर सरकारी विधेयकों को लेगा।

भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन) विधेयक

धारा १ और ३ आदि का संशोधन और धारा २३ आदि का विलोपन

श्री **बीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

श्री बीरेन दत्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

बेकारी सहायता विधेयक

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेकार कामगरों को सहायता देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सरकार द्वारा वित्त पोषत उद्योग नियंत्रण बोर्ड विधेयक

श्री एम० एल० द्विवेदी (ज़िला हमीरपुर): मेरा यह प्रस्ताव है कि सरकारी उद्योगों के नियंत्रण और निरीक्षण के लिए एक केन्द्रीय संगठन की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

श्री एम० एल द्विवेदी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय दण्ड संहिता संशोधन विधेयक

नवीन धारा २९५ ख, २९५ ग और २९५ घ का जोड़ा जाना

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

श्री० वी० जी० देशपांडे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन सेठ गोविन्द दास द्वारा २७ नवम्बर १९५३

को प्रस्तुत भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह बात उठाई गई थी कि यह अधिकार से बाहर है । मेरा सुझाव है कि इस बात पर माननीय विधि मंत्री अपना मत दें ।

श्री वी० जी० देशपांडे : विनिर्णय दिया गया था कि यह अधिकारान्तर्गत है और इसलिए इस बात पर समय व्यय क्यों किया जा रहा है ?

सेठ गोविन्द दास (मण्डला-जबलपुर—दक्षिण): यह विनिर्णय आपने ही दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विनिर्णय माननीय विधि मंत्री से सदन को अपना मत बताने के लिए कहने से संगत है । विधि मंत्री से अपनी राय बतलाने के लिए कहने का मेरा तात्पर्य सदन को इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत देने का अनुनय करना है ; इसमें कोई असंगतता नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख : हमारी इच्छा यह थी कि इस प्रश्न पर महान्यायवादी अपना मत दें, किन्तु वह दुर्भाग्यवश इस समय उपलब्ध नहीं हैं । यदि माननीय प्रस्तावक तथा आप सहमत हों तो इस पर विचार करना किसी आगे के दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को किसी आगे की तिथि के लिए विचारार्थ स्थगित कर दिया जाए । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस विधेयक को वरीयता दी जाए जिससे कि जब यह किसी सरकारी दिवस पर लिया जाए, तो इसमें आधे घंटे से अधिक समय न लगे ।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : सरकार इसके लिए किसी भी सरकारी वैधानिक कार्य के दिन समय दे सकेगी ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : क्या मैं जान सकता हूं कि किस दिन ?

श्री सत्य नारायण सिन्हा : अनुदानों की मांगें समाप्त हो जाने पर, हमें सरकारी कार्य के लिए १५ या १६ दिन मिलेंगे । इनमें से किसी भी दिन समय दिया जा सकता है ।

सेठ गोविन्द दास : मुझे यह कहना है कि अगर आप इस विधेयक को किसी गैर-सरकारी दिन के लिये मुल्तबी करना चाहते हैं तो वह मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि गैर-सरकारी दिन के लिये इसको बैलट में लाना होगा, लेकिन अगर मुझे सरकारी दिन मिलता है और वह भी इसी सेशन में, जल्दी से जल्दी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुदानों की मांगें पारित हो जाने के तुरन्त बाद ही इसे लेने के लिए माननीय मंत्री तैयार हैं ।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : हमने यह आश्वासन दे दिया है । अब और उन्हें क्या चाहिये ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर अग्रेतर विचार स्थगित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस विषय पर विचार के लिये सरकारी समय दिया जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

मुस्लिम वक्फ विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मुस्लिम वक्फ़ विधेयक, १९५२ पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करेगी ।

श्री काजमी (जिला सुल्तानपुर–उत्तर व जिला फैज़ाबाद–दक्षिण–पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारत में मुस्लिम वक्फ़ों के अधिक सुचारु संचालन तथा प्रशासन और मुतवल्लियों द्वारा किये जाने वाले उनके प्रबन्ध की देख रेख की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पहले जब यह विधेयक सभा के सामने आया था तब यह प्रवर समिति को सौंपा गया था। प्रवर समिति में इस पर शान्ति पूर्ण वातावरण में विचार हुआ और इस में जितनी विवादजनक बातें थीं उनमें से अधिकतर बातें हटा दी गई हैं।

इसके विषय में पहली आलोचना यह की गई थी कि सर्व वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। प्रवर समिति ने भी इस कठिनाई को अनुभव किया। अन्त में यह तय किया गया कि यह बात सरकार पर ही छोड़ दी जाय। सरकार बोर्ड पर व्यक्तियों को नामनिर्देशित करते समय विधेयक में उल्लिखित विभिन्न वर्गों का ख्याल रखेंगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या सारे अधिकार एक व्यक्ति को सौंपे जायें या बोर्ड को। निर्णय यह किया गया कि काम तो सरकार द्वारा नियुक्त सचिव चलायेगा किन्तु उस पर बोर्ड का प्रशासनीय नियंत्रण रहेगा।

निधियों के बारे में बोर्ड निर्णय कर सकेगा और यदि किसी को किसी निर्णय के बारे में आपत्ति हो, तो उसे न्यायालय में जाना होगा। न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा। इस व्यवस्था से बोर्ड के कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होगा।

हमने प्रवर समिति में इन सब बातों पर विचार किया और यह भी निर्णय किया कि जिन राज्यों में उनके अपने वक्फ़ अधिनियम लागू हैं, उनके अलावा बाकी सारे राज्यों पर यह विधेयक लागू हो। किन्तु इस विषय में भी हमने अन्तिम निर्णय विभिन्न राज्यों पर ही छोड़ा है।

इन परिवर्तनों के कारण अब बोर्ड मुतवल्ली के अधीक्षण के लिये कार्यक्षम बन जाएगा। यह भी उपबन्ध किया गया है कि यदि राज्य सरकार किसी बोर्ड के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हो, तो वह उसे मिटा सकती है। आरम्भ में यह उपबन्ध किया गया था कि राज्यों के बोर्डों के कार्य का नियंत्रण करने के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड होगा। किन्तु काफ़ी चर्चा के बाद यह पाया गया कि यह व्यवस्था बहुत जटिल तथा खर्चीली होगी। अतः अब यह तय किया गया है कि राज्यों के बोर्डों के कार्य में एकसूत्रता लाने का काम स्वयं केन्द्रीय सरकार ही करेगी।

इन परिवर्तनों को देखते हुए, मैं निवेदन करता हूं कि अब इस विधेयक में कोई आपत्तिजनक बात नहीं रही है। अतः इस पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मोहनलाल सक्सेना (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : मेरी विमति टिप्पणी में "किसी हालत में यह बम्बई राज्य पर अपने आप लागू नहीं होना चाहिये" इस वाक्य में से "बम्बई राज्य पर" ये शब्द छोड़ दिये गये हैं।

***उपाध्यक्ष महोदय** : यह असावधानी से हो गया होगा वे शब्द बाद में जोड़ दिये जायेंगे।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मैं इस विधेयक के गुणावगुणों में नहीं जाना चाहता किन्तु इस के प्रस्तावक से केवल कुछ

*अध्यक्ष महोदय ने बाद में मामले पर विचार करने के पश्चात् निदेश दिया कि प्रतिवेदन में उक्त शुद्धि न की जाय।

जानकारी चाहता हूं। लगभग १२ राज्यों ने इस विधान को स्वीकार नही किया है और ४ अन्य राज्यों में उनके अपने अधिनियम जारी होने के कारण उन्हें भी इसके प्रभाव से मुक्त रखा गया है। क्या वहां के अधिनियम ठीक तरह से काम दे रहे हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री श्री विस्वास) : इन राज्यों से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार वहां के अधिनियम संतोषजनक रूप से काम दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"भारत में मुस्लिम वक्फ़ों के अधिक सुचारु संचालन तथा प्रशासन और मुतवल्लियों द्वारा किये जाने वाले उनके प्रबन्ध की देख रेख की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १ के अतिरिक्त और किसी खण्ड में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है ; अतः मैं पहले और खण्डों पर मत लूंगा उसके बाद खण्ड १ को लूंगा।

खण्ड २ से ६९ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ)

श्री अमजद अली (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ में, पंक्ति १२ से लेकर १४ तक हटा दी जांय।

इन पंक्तियों के हटा देने का प्रभाव यह होगा कि यह अधिनियम सारे भारत पर समान रूप से लागू होगा अभी इन पंक्तियों का प्रभाव यह होगा कि बिहार, देहली, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण देखने से आप को पता लगेगा कि मुस्लिम वक्फ़ अधिनियम १९२३ सारे भारत के लिये बनाया गया था। परन्तु यह पर्याप्त नहीं था इसीलिये और भी मुस्लिम वक्फ़ अधिनियम, विभिन्न राज्यों में बनाये गये।

५ म० प०

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुए]

इन सारे अधिनियमों के व्यवहार से किसी न किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह ठीक है कि ९ राज्यों ने इस अधिनियम के लागू किये जाने का विरोध किया है जिसमें से केवल चार को इस के प्रवर्तन से मुक्त कर दिया गया है। मेरा तात्पर्य यह है कि यह अधिनियम सारे भारत में लागू हो, जिस में वक्फ़ों की व्यवस्था में किसी प्रकार के कुत्सित व्यवहारों तथा गड़बड़ी उत्पन्न होने का कोई अवसर न रहे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"पृष्ठ १ में पंक्ति १२ से लेकर १४ तक हटा दी जायें।"

श्री मोहन लाल सक्सेना : मैं ने भी एक विमत्ति टिप्पणी दी थी परन्तु दुर्भाग्यवश मैं यहां मौजूद नहीं था और समय के भीतर संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सका। फिर भी यदि अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो मैं यह संशोधन करना चाहता हूं कि जिन राज्यों को विमुक्ति दी गई है उन में बम्बई राज्य भी सम्मिलित कर लिया जाये।

सभापति महोदय : वे अपना संशोधन उसी अवस्था में रख सकते जब सरकार

[सभापति महोदय]

को तथा अन्य सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं ।

श्री विस्वास: यह सरकारी विधेयक नहीं हैं इस लिये यह बताना सरकार का कार्य नहीं है उसे कोई आपत्ति है या नहीं है । इस संशोधन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी इस का निर्णय करने के लिये सदन का मत लेना होगा । हम यह मानकर नहीं चल सकते कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करती है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह नहीं है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करती है या नहीं करती है । यदि किसी नये संशोधन की सूचना उसी दिन दी जाये तो ऐसे संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति मैं उसी दशा में दे सकता हूं जब तक विधेयक प्रस्तुत करने वाला या सरकार उसे स्वीकार न कर ले अथवा तथा किसी की ओर से भी आपत्ति न उठाई जाये । अन्यथा मैं ऐसे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

श्री विस्वास : मुझे उन के संशोधन प्रस्तुत करने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय: ऐसा जान पड़ता है कि जहां तक सूचना का प्रश्न है किसी को कोई आपत्ति नहीं है । मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना संशोधन दे दें ।

श्री काज़मी: यह संशोधन समय के भीतर नहीं प्रस्तुत किया गया है इस लिये मुझे आपत्ति है ।

सभापति महोदय: यही तो मैं इतनी देर से पूछ रहा था । मुझे खेद है कि अब मैं निर्णय कर चुका तथा इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता । अब हम श्री अमजद अली के संशोधन पर विचार करेंगे ।

श्री विस्वास : इस विषय पर प्रवर समिति में विस्तारपूर्वक विचार किया गया था । पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में वक्फ़ के सम्बंध में राज्यों के अपने अधिनियम हैं । इस लिये यह तय पाया कि इन राज्यों में इन अधिनियमों को इसी दशा में लागू किया जाये जब वहां की राज्य सरकारें ऐसा करने की सिफ़ारिश करे । जहां तक बम्बई का प्रश्न है वहां ऐसा कोई भी वक्फ़ सम्बन्धी अधिनियम राज्य द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया है । बम्बई लोक न्यास अधिनियम १९५० वक्फ़ की विशेष समस्याओं को हल करने के लिये उपयुक्त नहीं है । इसी लिये निर्णय किया गया कि इस केन्द्रीय अधिनियम को बम्बई राज्य में स्वत: लागू कर दिया जाये । मेरे माननीय मित्र के संशोधन का आधार यही है कि वक्फ़ों का किसी स्थान में भी ठीक से प्रबंध नहीं हो रहा है । इस संबंध में सरकार की अपनी निज की कोई विशेष जानकारी नहीं है । सरकार को इस सम्बंध में वही ज्ञात हैं जो इन राज्यों के प्रतिवेदनों से प्रकट होता है । इन राज्यों ने अपने राज्यों के सम्बंध में प्रतिवेदन भेजा है कि वर्तमान अधिनियम से उनका काम भली प्रकार चल रहा है । अत: सदन को, न्यायोचित रूप से, श्री अमजद अली का संशोधन, स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : मैं श्री अमजद अली तथा श्री मोहनलाल सक्सेना दोनों के संशोधनों का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय: श्री मोहनलाल सक्सेना अपना संशोधन स्वयं ही पढ़ सकते हैं तथा प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री मोहनलाल सक्सेना : मेरा संशोधन है : विधेयक के खण्ड के खण्ड ३

में "West Bengal" (पश्चिमी बंगाल) शब्दों के पश्चात् "the state of Bombay" (बम्बई राज्य) शब्द रख जायें ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि खण्ड ३ पारित हो चुका है । अब उस के सम्बंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है । मैं समझता था कि माननीय सदस्य खण्ड १ के सम्बंध में कह रहे हैं ।

श्री मोहनलाल सक्सेना : तब मैं खण्ड १ के परन्तुक में संशोधन करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : श्री काज़मी को विरोध है इसलिये मैं और किसी संशोधन के प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दे सकता । इस लिये माननीय सदस्य यदि कुछ कहना चाहते हैं तो वे खण्ड १ के सम्बंध में या श्री अमजद अली के संशोधन के सम्बंध में कह सकते हैं ।

श्री मोहनलाल सक्सेना : मैं चाहता हूं कि खण्ड १ के परन्तुक में बम्बई राज्य का नाम और बढ़ा दिया जाये । बम्बई में, हर सम्प्रदाय के लिये, लोक धर्मार्थ न्यास अधिनियम मौजूद है । हमारी नीति तो यही है कि अलग अलग सम्प्रदायों के लिये अलग अलग विधान न बनाये जायें । बम्बई राज्य में एक बहुत ही प्रगतिशील विधान लागू है । यह तो अवश्य सुना गया है कि मुस्लिम सम्प्रदाय उस से असन्तुष्ट है परन्तु हमारे पास इस सम्बंध में न तो कोई विवरण है और न बम्बई विधान मण्डल के मुसलमान सदस्यों का कोई अभ्यावेदन हमें इस सम्बंध में प्राप्त हुआ है । चाहिये तो यह था कि उन सभी दस ग्यारह राज्य सरकारों को इस के निर्णय करने का अधिकार दिया जाता कि यह अधिनियम उन के यहां लागू किया जाये या न किया जाये । फिर भी, कम से कम, अन्य चार राज्यों के समान बम्बई राज्य को तो अवश्य ही यह अधिकार देना चाहिये था ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १ पर पंक्ति १२ से लेकर १४ तक हटा दी जायें ।

श्री एम० शफ़ी चौधरी (जम्मू तथा काश्मीर) खड़े हो गये--

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य विभाजन चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव पर सदन का मत लेने के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि किस बात पर मत लिया जा रहा है । कुछ माननीय सदस्य जो अभी आये हैं उन्होंने वादविवाद भी न सुना होगा ।

यह संशोधन यह चाहता है कि खण्ड १ का परन्तुक निकाल दिया जाये । बात यह है कि अनेक राज्यों में मुस्लिम वक्फ़ के सम्बंध में विधान बने हुए हैं । इतने दिनों से उन से काम चल रहा है । इन राज्यों में, इन के अपने विधान ही लागू रहेंगे, जब तक कि, इन राज्य सरकारों के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार, इन के सम्बंध में भी, अधिसूचना न जारी करे । यदि यह परन्तुक निकाल दिया जाये, तो उन के अपने विधानों का लागू होना बंद हो जायेगा तथा उन के यहां भी यही विधेयक लागू होने लगेगा ।

अब मैं इस संशोधन पर सदन का मत लूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १ में,

पंक्ति १२ से १४ तक हटा दी जायें ।

सदन में विभाजन हुआ ।

[सभापति महोदय]

पक्ष में २३; विपक्ष में ११७ ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये :

श्री **काजमी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इस के द्वारा मुसलमान धार्मिक संस्थाओं के लिये एक अलग विधान बनाया जा रहा है । खण्ड १ के परन्तुक द्वारा कुछ राज्यों को इसके प्रख्यापन से मुक्त कर दिया गया है । हम सभी चाहते हैं कि सारे देश के लिये एक जैसा विधान हो । इसी लिये हम हिंदू विधि तथा अन्य विधियों की असमानतायें भी दूर कर रहे हैं । इस संशोधन का तात्पर्य यही था । इसी लिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं चाहता हूं कि जैसे ही यह विधेयक पारित हो इसकी एक एक प्रति, उन राज्यों के पास भेज दी जाये, जो इस के प्रख्यापन से मुक्त कर दिये गये हैं ।

सभापति महोदय : यह विधेयक राजपत्र में प्रकाशित होगा जो सभी राज्यों के पास भेजा जाता है ।

श्री **मोहनलाल सक्सेना** : उन चार राज्यों को छोड़ कर जिनके यहां अपने विधान हैं शेष राज्यों के मुस्लिम वक्फ़ तथा धर्मार्थ दी गई सम्पत्तियों के लिए यह विधेयक एक समान विधि बनाने जा रहा है, यदि ये चारों राज्य भी इस विधि को अपने यहां लागू करना चाहें तो इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद कर सकते हैं ।.मैं तो केवल एक आदर्श अधिनियम बनाने के पक्ष में हूं जो विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किया जा सके । सभी राज्य स्वायत्तशासी हैं और यह समवर्ती विषय है । समस्त राज्य बोर्डों के नाम की देखभाल करने के लिए विधेयक की मूल योजना में एक केन्द्रीय बोर्ड का उपबन्ध था किन्तु वह योजना अब रद्द हो गई है । केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचिन का उपबन्ध भी रद्द हो गया है । केवल एक चीज़ रह गई है; हम विधान बना रहे हैं और आशा करते हैं कि राज्य सरकारें इसे क्रियान्वित करेंगी । बढ़िया बात तो यह होगी कि विधान पारित करके उन्हें विचार तथा विनिश्चय करने का अवसर दिया जाता कि यह विधान उन उन राज्यों में लागू हो अथवा नहीं । समिति के सदस्यों ने बहुमत से यह स्वीकार नहीं किया । अत: मेरा सुझाव था कि कम से कम बम्बई जैसे राज्यों को, जहां कि सभी जातियों की धार्मिक संस्थाओं के लिए एक सामान्य विधान है, यह अधिकार होना चाहिए था कि वे इस बात का निश्चय कर सकते कि यह विधान उनके लिए आवश्यक था अथवा नहीं । यह भी स्वीकार नहीं किया गया । अत: इस स्थिति में दूसरे सदन के सदस्यों को मैं यह बताना चाहता हूं कि इस उपबन्ध को पारित करने से पूर्व वे इन सभी बातों पर विचार कर लें । हो सकता है कि इस आधार पर सम्पूर्ण विधेयक का मैं विरोध करूं ।

श्री एम० एच० रहमान (ज़िला मुरादाबाद–मध्य) : चेयरमैन साहब, श्री मोहनलाल जी ने अपनी जो राय इस बारे में दी है मैं समझता हूं कि जब यह बिल पेश हुआ था उस वक्त भी यही बहस आई थी और जहां तक मुझे याद है, मौलाना आजाद ने और मैं ने इस बात को साफ कर दिया था कि जहां तक चैरिटेबल ट्रस्ट का ताल्लुक है गवर्नमेंट खुद भी अपनी जगह सोच रही है कि ऐसा कामन ला बनाये जिस में सब मजहब के जो औकाफ हैं उन का एक मुश्तरक बोर्ड की हैसियत से मुश्तरका इन्तजाम हो और हर फिरका को अपने औकाफ के लिये जुदा जुदा सब कमेटियां या सैक्शन बना दिये जायें और वही अलग अलग स्टेटों में तसलीम किये जायें । लेकिन हम यह चाहते थे कि हमारी पार्लयामेंट कम से कम इस वक्त से पहले हमें इतनी मदद दे कि लाखों करोड़ों के वक्फ जो मसजिदों, दरगाहों, दीनी और मजबी मदरसों और बेवाओं और बच्चों के स्कालरशिप्स के लिये हैं उन में मुत्वल्ली जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं उन से हम उन को महफूज कर दें । इस वजह से यह बात कही गई थी कि ऐसा वक्फ एक्ट बन जाये और कानून की शक्ल इख्तियार कर ले जिस से हम इस बारे में मदद ले सकें । इस वक्त से पहले ऐसा एक एक्ट बन जाना हमारे लिये मुफीद पड़ेगा । उन लोगों के लिये जो एक पार्ट हैं, एक हिस्सा है अपने मुल्क, अपने वतन में बसने वालों का, अगर मोहनलाल जी बम्बई चैरिटेबल ट्रस्ट को प्राग्रैस समझते हैं तो आप कामन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जब आप कानून बनायेंगे उस वक्त मुस्लिम नुक्ता नजर से जो जरूरियात होंगी उन को हम इस वक्त पेश करेंगे । बम्बई को इस कानून में इसलिये नहीं रखा गया कि कमेटी में श्री मोहनलाल जी के अलावा सभी ने मुत्तफिक हो कर यह बात सोची और बहुत गौर के साथ सोची कि वहां जिस किस्म का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बनाया गया है वह इस मक्सद के खिलाफ जाता है जिस के लिये हम ने यह बिल पेश किया है । इसी लिये वहां के मुसलमानों ने, जैनी भाईयों ने, पारसियों ने, सभी ने इस की मुखालफत की । और इस की बिना पर इस को उन लोगों पर लागू नहीं किया गया । तो एक ऐसे ट्रस्ट को जिस को खुद वहां की मुख्तलिफ कम्युनीटीज के आदमी अपोज़ कर रहे हैं; उस को हम ज्यों का त्यों रहने दें और इस बिल को बम्बई पर आयद न करें तो इस से तो बेहतर है कि यह वक्फ बिल बनाया ही न जाये । यह बातें साफ सामने आ चुकी थीं इसलिये मैं जहां तक समझता हूं कि मोहनलाल जी को यह मुनासिब नहीं था कि वह इस बिल की मुखालफ़त करें क्योंकि सच्ची और हकीकी बात तो यह है कि हाऊस ने इन तमाम बातों को सोच कर ही इस बिल को लाने का मौक़ा दिया । श्री टंडन जी ने यह भी कहा था कि अगर कोई कानून मुसलमानों के नाम से आ जाये कि यह मुस्लिम वक्फ़ है तो यह ऐसी चीज नहीं है कि जो सैक्युलरिजम के खिलाफ हो बल्कि ऐसी चीज़ यह है कि जिस की बुनियाद अच्छी बातों पर है और इस से सिर्फ मुत्तवल्लियों की ज्यादतियों को रोकना ही मक्सूद है । इस में कोई भी सैक्युलरिजम के खिलाफ,बात नहीं है । अल्बत्ता चार सूबों, उत्तर प्रदेश, देहली, बिहार और वैस्ट बंगाल को इसलिये इस रिपोर्ट में मुस्तफी किया कि इन चारों स्टेटों में मुस्लिम वक्फ एक्ट इसी मक्सद को पूरा करने के लिये बनाया गया जिस मक्सद के लिये पार्लयामेंट में यह बिल पेश किया यगा है और इसीलिये मंजूर किया कि वहां मुस्लिम वक्फ एक्ट बने हुए हैं और इन चारों जगहों पर वह मक्सद पूरा हो रहा है । फिर हमारे ला मिनिस्टर साहब ने तवज्जोह दिलाई थी कि पार्लयामेंट के लिये यह सूरत

[श्री एम० एच० रहमान]

हाल मुनासिब नहीं है कि वह इस को किसी सेर्टेट के ऊपर फोर्स करे। इसलिये चार जगहों को मुस्तफी कर दिया जाये और बाकी पर लागू किया जाये। मैं समझता हूं कि जिस मक्सद के लिये यह पेश किया गया उस को देखते हुए सिलैक्ट कमेटी ने बहुत सूझ बूझ के साथ, पूरी समझ के साथ, पूरे गौर व फिकर के साथ जिस तरह की रिपोर्ट पेश की है वह बहतर है। वह एक बहतरीन मक्सद पैदा करती है। जिस मकसद के लिये हम मजहबी और धर्म की चीजों के लिये तअफज चाहते हैं वह सब इस में आ जाता है। इसलिये मैं हाऊस में गुजारिश करूंगा कि वह इस को मंजूर करे और हमारे इन बहतरीन कामों के लिये मदद करे कि जिन को हम समझते हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा मुफीद हैं।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : जहां तक बम्बई राज्य और इस विधेयक का सम्बंध है मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में कुछ भूल है। बम्बई में लोक धर्मार्थ न्यास अधिनियम चालू है। यह अधिनियम किसी जाति विशेष पर नहीं अपितु मुस्लिम हिन्दू, ईसाई, पारसी आदि सभी जातियों पर समान रूप से लागू होता है। आप क्या करते हैं। इस सम्बन्ध में यह अधिनियम कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यह अधिनियम तो वक्फ़ पर लागू होता है। वक्फ़ का उद्देश्य क्या है और क्या नहीं, इसके बारे में यह अधिनियम कोई हस्तक्षेप नहीं करता इसके अधीन तो यह व्यवस्था की गई है कि सभी लोक धर्मार्थ न्यास इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि धन को उचित रूप में व्यय किया जाता है अपने लेखा प्रस्तुत करेंगे। बम्बई में यह विधान लागू है। मुझे आश्चर्य है कि प्रवर समिति ने बिहार पश्चिमी बंगाल आदि चार राज्यों को इस आधार पर मुक्त कर दिया है कि उनके यहां वक्फ़ अधिनियम लागू है। बम्बई को क्यों नहीं मुक्त किया गया ? प्रवर समिति ने अपने निर्णय में कहा है "कि वक्फ़ों से सम्बन्धित इस प्रकार का कोई विशेष विधान बम्बई में नहीं है; बम्बई लोक न्यास अधिनियम १९५० वक्फ़ों की विशेष समस्याओं का उचित रूप से समाधान नहीं करता।" मैं नहीं समझ सका कि प्रवर समिति ने किस प्रकार ऐसा निर्णय किया। बम्बई सरकार ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर दिया है कि हमारे यहां इस प्रकार का एक अधिनियम है। यह एक समवर्ती विषय है। चूंकि बम्बई लोक न्यास अधिनियम के अधीन वहां के वक्फ़ों का प्रबन्ध होता है अत: उनको कठिनाई है यह बात मैं ने आज तक नहीं सुनी और न प्रवर समिति ने ही अपने प्रतिवेदन में इसके बारे में कुछ कहा है। यह अधिनियम न्यास के उद्देश्यों में किसी प्रकार भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अत: मेरे विचार में यह अधिनियम बम्बई के लिए आवश्यक नहीं है। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि बम्बई में लोक न्यास अधिनियम नहीं होता तो इस वर्तमान स्थिति में इस वक्फ़ अधिनियम के पारित किये जाने का मैं ने विरोध न किया होता क्योंकि हम यह चाहते हैं कि सम्पूर्ण देश में वक्फ़ के मामले में एक समान विधान होना चाहिए। और चूंकि बम्बई में लोक न्यास अधिनियम लागू है अत: बम्बई को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बरी कर देना चाहिए। बम्बई में न केवल मुस्लिम वक्फ़ ही अपितु जैन और पारसी न्यास भी एक समान व्यवहार विधान द्वारा शासित होते हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण का भी ध्यान रखना चाहिए।

बम्बई को मुक्त न करके जहां तक वक़्फ़ का सम्बन्ध है इस विधान को पारित करने का अभिप्राय अब यह होगा कि बम्बई में ये वक्फ़ बम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम द्वारा प्रशासित न होकर इस नये अधिनियम द्वारा, जो कि पारित होगा, प्रशासित होंगे । यह बात अच्छी नहीं है । संभव है कि सम्पूर्ण भारत में सभी मुसलमानों, हिन्दुओं तथा ईसाई आदि के लिए कुछ समय तक के लिए एक समान विधान न रहे । उस अन्तिम ध्येय तक पहुंचने में कुछ समय लगे । किन्तु इस अधिनियम का परिणाम क्या होगा ? मुस्लिम वक्फ़ इससे अलग हो जायेंगे । कल को पारसी और जैन भी कहेंगे कि हमें भी अलग किया जाये । हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सभी लोग भारत को सम्पूर्ण रूप से नहीं अपितु छोटे छोटे खंडों में देखते हैं । यही हमारी शिकायतें है । इस अधिनियम को शेष समस्त भारतवर्ष में चालू करें इससे मुझे कोई शिकायत नहीं । मैं तो यही कहूंगा कि सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए कोई ऐसा विधान होना चाहिए जैसा कि बम्बई में है ।

सभी सदस्यों को मैं इस बात की चेतावनी देता हूं कि यदि केवल इसी विचार से कि सम्पूर्ण-भारत के मुसलमानों के लिए एक वक्फ़ विधेयक हो तो उस स्थिति में बम्बई में चालू उपबन्धों में हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप होने वाले परिणामों को वे गम्भीरता से सोचें । प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे बम्बई के विषय में अपवाद बनायें । यदि यह संभव है तो फिर मुझे इस विधेयक के बारे में कोई आपत्ति नहीं है । जब विधेयक पर विचार हो रहा था तब भी मैं ने यह प्रश्न उठाया था । कोरी भावनाओं और विचारों के आधार पर बारे में हमें विचार नहीं करना चाहिए ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला—मेरठ दक्षिण) : " विधान की एकरूपता होनी चाहिये" मेरा भी यही दृष्टिकोण है । प्रवर समिति की बैठक में इस बारे में मैं ने काफ़ी चर्चा की थी । किन्तु यह निश्चित हुआ था कि जिन राज्यों में स्पष्टतः मुस्लिम वक्फ़ से सम्बन्धित विधान हैं उन राज्यों में यह अधिनियम क्रियान्वित नहीं करना चाहिए अतः उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल तथा बिहार को मुक्त कर दिया गया क्योंकि उनके यहां अपने अधिनियम हैं । बम्बई में ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जो केवल मुस्लिम वक्फ़ों के विषय में हो । जो विधि है वह एच्छिक है और वहां के मुसलमानों ने कहा है कि लोक न्यास अधिनियम उन पर लागू न हो । मुझे ज्ञात हुआ है कि उस अधिनियम में एक धारा है जिससे वह ऐच्छिक बन जाता है ।

श्री **पाटस्कर** : उसी धारा को पिछली बार मैं ने यहां पढ़ा था उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह अधिनियम ऐच्छिक नहीं है । आज भी वह अधिनियम बम्बई के सब नागरिकों पर लागू है ।

पंडित के० सी० शर्मा : उस अधिनियम को इस प्रवर समिति के समक्ष पढ़ा गया था और यह तै किया गया कि यह नया अधिनियम अच्छा रहेगा । क्यों कि इसके उपबन्ध भी लगभग उस सरीखे हैं । अतः इस स्थिति में निवेदन करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाय ; और जब तक सभी धर्मार्थ सम्पत्तियों पर लागू किये जाने वाला एकरूप विधान नहीं बन

[पंडित के० सी० शर्मा]

जाता तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री **काजमी** : श्री पाटस्कर ने जिन बातों का वर्णन किया है वे बातें प्रवर समिति के समक्ष भी रखी गई थी । और यह नहीं कहा जा सकता कि इस दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया गया । मैं भी पूर्णतया इस पक्ष में हूं कि समस्त देश के लिए एक समान विधान हो । बम्बई अधिनियम के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि उसके अनुसार एक व्यक्ति को ही सभी अधिकार दिये गये हैं । यह एक विचारणीय विषय है जिसके बारे में सदन को न केवल आज ही अपितु उस दिन भी जब कि सभी जातियों के लिए एक सामान्य विधान के बारे में चर्चा करनी होगी, उस दिन विचार करना पड़ेगा । व्यक्तिगत रूप में मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि एक ही व्यक्ति को सम्पूर्ण अधिकार देकर कार्य चलाने के लिए उसे नाम-निर्देशित किया जाय । बम्बई अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण अधिकार पूर्त-आयुक्त को दिये गये हैं । सरकार पूर्त-आयुक्त तथा पूर्त-उप आयुक्त नियुक्त करती है उन्हीं को सम्पूर्ण अधिकार होते हैं और यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वे असेसर रख सकते हैं । आज जब सभी व्यक्ति असेसर बनाने की प्रथा के विरुद्ध हैं तो बम्बई अधिनियम में उसकी व्यवस्था की गई है । अत : मैं यह नहीं समझ सका कि क्या इसे आदर्श अधिनियम भी कहा जा सकता है ? सभी लोगों ने—जैन, पारसी, मुसलमानों ने—इसका विरोध किया था । मुझे अच्छी तरह याद है कि बम्बई के गृह मंत्री यहां अभ्यावेदन के बाद अभ्यावेदन किये गये थे कि मुसलमानों तथा पारसियों पर इसे लागू नहीं करना चाहिए । अत : मेरा निवेदन है कि जब तक सामान्य विधान बने तब तक वक्फ़ों का प्रशासन उसी प्रकार हो जिस प्रकार कि अब तक होता रहा है अर्थात् प्रशासन कार्य करने के लिए या तो कोई प्रबन्ध बोर्ड या न्यास हो जिसके सदस्य या तो सरकार द्वारा नाम-निर्देशित हो अथवा निर्वाचित । न्यासों का प्रबन्ध करने के लिए कुछ मनुष्यों की एक समिति होनी चाहिए और सम्पूर्ण अधिकार एक व्यक्ति को नहीं दिये जाने चाहिए जैसे कि बम्बई अधिनियम के अनुसार पूर्त-आयुक्त को दिये गये हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।"

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा २६६, २६७ आदि का निरसन तथा धारा २७२, ३७५ आदि में संशोधन) :

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इससे पूर्व कि माननीय मित्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं जिससे संभवत सदन को कुछ सहायता मिल सके ।

सभापति महोदय : मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव औपचारिक रूप से सदन में प्रस्तुत हो जाय । केवल उसके बाद माननीय मंत्री के वक्तव्य देने का प्रश्न उठता है ।

श्री **एस० वी० रामस्वामी** (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले

विधेयक को पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री हरी विनायक पाटस्कर, श्री कोटे रघुरामय्या, श्री टेकचन्द, श्री नेमिचन्द कासली वाल, श्री मुकुंद लाल अग्रवाल, श्री ए० एम० टामस, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री एन० सोमना, श्री आर० वेंकटारमन, श्री शंकर शांताराम मोरे, श्री कमल कुमार बसु, सरदार हुक्म सिंह, श्री के० एम० वल्लाथरास, डा० लंका सुन्दरम्, श्री सी० सी० बिस्वास, तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और इसे आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय ।"

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि यदि इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय तो यह अच्छा रहेगा । पहिले माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दें और बाद में माननीय सदस्य अपना भाषण दें, अतः इस प्रकार सदन का अधिक समय नहीं लगेगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री डी० सी० शर्मा : यही एकमात्र समिति है जिसमें कोई महिला सदस्य नहीं है ।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने इस प्रश्न पर भारी परिश्रम किया है कि असेसर होने चाहियें या नहीं और जूरी के अस्तित्व के अधिक विवादास्पद प्रश्न पर भी । इस विषय में अगस्त के महीने में भी पूरा वाद-विवाद हुआ था और सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता में आमूल परिवर्तन करने के लिये एक विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया है । कुछ ही दिनों में मैं, मासान्त से पूर्व ही, उस विधेयक को पुरःस्थापित करूंगा और उसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखूंगा ।

उक्त विधेयक में असेसरों तथा जूरी की सहायता से मुकदमें के विषय में भी कुछ उपबन्ध हैं । असेसरों के विषय में लोकमत सर्वसम्मत है कि उनसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । सरकारी विधेयक में यह उपबन्ध है कि असेसरों की सहायता से मुकदमा करने की प्रथा समाप्त कर दी जाये । जूरी के विषय में जनता में मतभेद है अतः हमने कोई परिवर्तन न करके यह राज्यों पर छोड़ दिया है कि वे जूरी प्रथा को रखते हैं या नहीं । अब मेरे विचार में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का यह सरकारी प्रस्ताव अप्रैल में प्रस्तुत होगा और मेरे माननीय मित्र अपने विधेयक को उस विधेयक से जोड़ना चाहें तो दो तरीके हो सकते हैं : या तो मेरे माननीय मित्र यह कह दें कि उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है अतः वे अपना विधेयक वापिस ले लेंगे तथा बड़े विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास जाने देंगे अथवा यदि वे चाहें तो दोनों विधेयक एक ही संयुक्त प्रवर समिति को सौंपे जा सकते हैं ताकि एक ही विषय पर दो प्रवर समितियों में मतभेद की गुंजाइश न रहे । अतः मैं अपने माननीय मित्र प्रस्तावक महोदय को सुझाव देता हूं कि वे सभा से कह दें कि उनके प्रस्ताव को स्थगित रखा जाये, और मैं वचन देता हूं कि जब सरकारी विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आयेगा, तब उनके प्रस्ताव को भी सरकारी प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जायेगा जिससे कि दोनों विधेयक हाथ ही निबटा दिये जायें । इससे सदन का समय भी बच जायेगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं माननीय मंत्री के इस सुझाव को मानता हूं कि इस विधेयक को भी सरकारी विधेयक के साथ

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

ही संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ।

एक बात यह है कि असेसर प्रणाली को समाप्त करने के विषय में तो मतैक्य है, पर जूरी प्रणाली को समाप्त करने के पक्ष में भी ८० प्रतिशत मत आये हैं । अतः इस पर माननीय सदस्यों को अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाये ।

सदन की अनुमति से विधेयक पर अग्रेतर विचार स्थगित रखा गया ।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ३०२ का संशोधन)

श्री काजमी (ज़िला सुलतानपुर—उत्तर व ज़िला फैजाबाद—दक्षिण-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारतीय दंड संहिता १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर १५ मई, १९५४ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये ।"

पहिले एक बार जब मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा था तब सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि यदि मैं इसे परिचालित करने का प्रस्ताव रखूं तो सरकार इसे स्वीकार कर लेगी ।

धारा ३०२ में केवल दो ही वैकल्पिक दंडों का उपबन्ध है : एक तो मृत्यु दंड का और दूसरा आजीवन काले पानी का । कुछ मामले ऐसे ही हो सकते हैं जिनमें धारा १४९ या धारा ३४ के कारण बहुत से लोग फंस जायें । धारा ३०२ में धारा ३९५ तथा ३७९ के समान नैतिक पतन का प्रश्न सन्निहित नहीं होता है । कभी कभी गुस्से में या कुछ कारणों से कोई व्यक्ति धारा ३०२ का अपराध कर बैठता है ।

जब कोई व्यक्ति किसी को मार दे तो मारने वाला व्यक्ति चाहे अच्छा हो और मरने वाला व्यक्ति बुरा हो फिर भी मारने वाले को मृत्यु दंड तो मिलेगा ही, क्योंकि उसे विधि को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं था । इस विषय में तो कोई कठिनाई नहीं हो सकती । किन्तु व्यावहारिक रूप में हम देखते हैं कि यदि एक ही परिवार के कुछ सदस्य आपस में लड़ पड़े और किसी एक पक्ष का कोई व्यक्ति मारा जाये तो वे चाहे परस्पर सम्बन्धी ही क्यों न हों, दूसरे पक्ष के सभी व्यक्तियों को, जो कि घटनास्थल पर उपस्थित हों चाहे उन्होंने उस घटना में कोई सक्रिय भाग न लिया हो, मृत्युदंड मिल सकता है । परन्तु सामान्यतया उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाता और ऐसी अवस्था में केवल आजीवन कारावास का ही विकल्प रह जाता है । मैं यह नहीं कहता कि उचित मामलों में भी आजीवन कारावास का दंड नहीं देना चाहिये—यह अवश्य दिया जाना चाहिये—किन्तु मेरा यह अभिप्राय है कि यदि आजीवन कारावास के दंड से सारे परिवार के समाप्त हो जाने का भय हो तो दंड की मात्रा निर्धारित करने की शक्ति न्यायालयों को मिल जानी चाहिये । मेरा यह कहना है कि "आजीवन कारावास" इन शब्दों के स्थान पर "चौदह वर्ष के कारावास का दंड" ये शब्द रख देने चाहियें । माननीय गृह मंत्री ने पहले एक बार कहा था कि कुछ राज्यों में यह अवधि २० वर्ष की है—इस से अधिक भी हो सकती है—मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है आप १४ की बजाय २० वर्ष रख दें । जब आप अवधि निश्चित कर देंगे तो न्यायालय उचित

मामलों में दंड को घटा सकेगा। अब अंडमान और नीकोबार के भारत का एक अंग बन जाने के कारण दंडित व्यक्तियों को आजीवन कारावास का दंड भुगतने के लिये कहीं भेजने का प्रश्न भी नहीं रहता है। मैं यह चाहता हूं कि न्यायालय आजीवन कारावास का दंड देने की अपेक्षा कुछ निश्चित अवधि के लिये दंड दे सकें। आजीवन कारावास की अवधि को निश्चित करने का काम कार्यपालिका पर नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि कई बार लोग उस दंड में बहुत कमी करवा लेते हैं। न्यायालयों को ही उचित दंड देने की शक्ति दे देनी चाहियें, आजीवन कारावास के दंड के सम्बन्ध में उन पर किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं लगाना चाहिये। इसी कारण मैंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री वेंकटारमन (तंजौर) : मुझे इस विधेयक से बड़ी निराशा हुई है। मैं किसी भी संविधि के अधीन मृत्यु दंड देने के बिल्कुल विरुद्ध हूं। यदि हमें ८० या ९० वर्ष पुरानी देश की दंड विधि में कोई परिवर्तन करना है तो इस पर विचार करने के लिये अलग से एक विधि आयोग बनाना चाहिये जो इसे आधुनिक समय के अनुसार बना सके। इस प्रकार इक्के-दुक्के कोई परिवर्तन नहीं करने चाहियें।

उदाहरण के लिये व्यभिचार के लिये दिये जाने वाले दंड को ही लीजिये। कल ही एक सज्जन नें तो यहां तक कह डाला था कि व्यभिचार सम्बन्धी धारा संविधान के विरुद्ध है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत विधि के समक्ष सब समान हैं। किन्तु न्यायालयों का यह कहना है कि संविधान में ही स्त्रियों और बच्चों को संरक्षण दिया गया है, अतः यह संविधान के विरुद्ध या विधान-मंडल की शक्ति से बाहर नहीं है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यभिचार को दंड संहिता में हीं रखना चाहिये अपितु व्यवहार-विधि का विषय समझना चाहिये।

सभापति महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य को कुछ और समय लगेगा ?

श्री वेंकटारमन : जी हां !

सभापति महोदय : तो इस विधेयक पर चर्चा गैर-सरकारी विधेयकों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये निश्चित अगले दिन पर स्थगित की जाती है।

औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति का प्रतिवेदन—जारी

सभापति महोदय : औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में डा० लंका सुन्दरम् ने ४ मार्च, १९५४ को जो चर्चा उठाई थी अब हम उसी को लेंगे।

श्री बंसल (झज्जर–रिवाड़ी) : कल के भाषणों को सुन कर मुझे देश के औद्योगिक विकास के भविष्य के सम्बन्ध में बड़ी निराशा हुई है। मेरी सम्मति में औद्योगिक वित्त निगम ने काफी अच्छा कार्य किया है। किन्तु कुछ सदस्यों के शिकायत करने पर इस के सम्बन्ध में एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। अब हमें उस समिति के प्रतिवेदन पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। मुझे खेद है कि वाद विवाद में भाग लेने वाले माननीय मित्रों ने न तो समिति के प्रतिवेदन को ही ध्यान से पढ़ा है और न बोर्ड की सम्मति का ही आदर किया। मैं विशेष रूप से अपने माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम का ध्यान समिति की निम्नलिखित बातों की ओर दिलाना चाहता हूं !

[श्री बंसल]

प्रष्ठ २० पर शिकायत संख्या १ के सम्बन्ध में समिति ने लिखा है :

"अस्वीकृत ऋण सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों की पड़ताल से यह ज्ञात नहीं होता कि निगम में पिछड़े हुये प्रदेशों में स्थापित या स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कोई पक्षपात की भावना है।"

शिकायत संख्या दो के सम्बन्ध में समिति ने लिखा है :

"संविधान सभा ने यह स्वीकार किया था कि केन्द्रीय निगम को अपना कार्य केवल बड़े बड़े उद्योगों तक ही सीमित रखना चाहिये और छोटे छोटे उद्योगों के हितों की देखभाल राज्य वित्त निगम करेंगे।"

ऐसा उस शिकायत के उत्तर में कहा गया है कि निगम ने केवल बड़े उद्योगों को ही सहायता दी है। शिकायत संख्या ३ यह है कि निगम ने उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में साहयता नहीं की है। परन्तु समिति ने इस विषय में यह कहा है कि यह निगम का काम नहीं है।

अध्याय ५ में एक शिकायत की गई है कि ऐसी कम्पनी को ऋण दिया गया है जिसमें प्रबन्ध एजेन्सी कम्पनी में विशेष रुचि नहीं रखती है। इसमें प्रबन्ध एजेंसी भले ही रुचि न रखती हो किन्तु प्रबन्ध एजेंसी के अंशभागी यथोचित रुचि रखते हैं जिसका उल्लेख बोर्ड के प्रतिवेदन के प्रष्ठ ४ पर किया गया है। परिच्छेद अध्याय ७ में, जो वस्तुत: ६ होना चाहिये, यह शिकायत की गई है कि निगम ने ऋण के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों पर एक ही सिद्धांत लागू नहीं किया है। इसमें एक ही सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कोई दान का मामला नहीं है। इस सम्बन्ध में तो अनेक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कभी कभी दो फर्में एक ही स्तर पर की होते हुये भी उनमें से कोई एक दूसरी से अच्छी हो सकती है। ऋण देने के पूर्व किसी फर्म के दूसरी से अच्छी होने पर भी सोचना पड़ जाता है। अत: इस विषय पर आपत्ति प्रकट करना उचित नहीं।

सबसे बड़ा आरोप तो निगम पर यह लगाया गया है कि अधिकांशत: ऋण उन लोगों को दिया गया है जो कम्पनियों के संचालक तथा निगम के संचालक हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ऋण के लिये आवेदन पत्र अधिकतर बड़े-बड़े व्यापारियों तथा उनके सहयोगियों के ही थे। निगम बड़े-बड़े कारखानों को ऋण देना अस्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि वास्तव में इसकी स्थापना बड़े उद्योगों को सहायता देने के लिये ही की गई है। अत: उन्हें इस पर शिकायत करने का कोई अवसर नहीं है। इसी प्रकार की और भी बहुत सी विरोधी बातें इस रिपोर्ट में हैं। समिति के सामने बहुत सी शिकायतें थीं किन्तु उनकी जांच करने का अवसर वह न तो बोर्ड को देती थी और न बोर्ड के संचालकों को ही। अत: मैं यह सोचता हूं कि यदि इस निगम ने बड़े बड़े उद्योगों को सहायता दी है तो उसने ठीक ही किया है।

एक आरोप यह भी लगाया गया है कि चार मामलों में ऋण उन व्यवसायिक संस्थाओं को दिया गया है जिनमें बोर्ड का सभापति रुचि रखता था। अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि बोर्ड का सभापति अथवा संचालक निगम से ऋण नहीं ले सकता है। इसके अतिरिक्त इसकी जानकारी सरकार को थी। हम ऐसे ही दो नियम और बनाने जा रहे हैं। यदि लोग वास्तव

में औद्योगीकरण के पक्ष में हैं तो उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिये । आलोचना सदैव किसी तथ्य पर आधारित होनी चाहिये केवल आलोचना करने की दृष्टि से आलोचना करना अच्छा नहीं होता । हमारी योजना उस गति से कार्य नहीं कर रही है जिसका कारण है कर्मचारियों का उत्तरदायित्व न संभालना । इस निगम ने ऋण की राशि १९४९ में ३·४२ करोड़ से घटाकर १९५३ में केवल १·४३ करोड़ कर दी है । अतः हमें अपने देश के सभी लोगों का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ना है ।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुंझनू) : मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा की गई इस निगम के प्रबन्ध संचालक की आलोचना से प्रारम्भ करना चाहता हूं । यह आलोचना सर्वथा आधार रहित है क्यों कि प्रबन्ध-संचालक को ये अधिकार मिलने ही चाहियें । यदि वह शक्ति संपन्न नहीं होगा तो कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता । इसका अपराध भी संचालक पर न लगाया जाकर उस व्यक्ति पर लगाना चाहिये जो उसे ये अधिकार देता है । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि क्या वह कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें संचालक ने अपने अधिकार से बाहर कोई काम किया हो अथवा कोई अनुचित कार्य किया हो ? क्या वह किसी को ऋण दिलाने के व्यक्तिगत रूप से पक्ष में थे ? इनका उत्तर नकारात्मक ही होगा । अतः प्रबन्ध-संचालक पर लगाये गये आरोप मिथ्या एवं आधाररहित हैं ।

रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर लीं हैं और कुछ में परिवर्तन किये बिना वह उनको स्वीकार नहीं करना चाहती, किन्तु मेरा विचार यह है कि सरकार को कुछ और सिफारिशें स्वीकार करनी चाहियें थीं, जो उसने नहीं की हैं । इनको स्वीकार करना निगम के उचित रूप से कार्य करने के लिये आवश्यक है ।

ऋण लेने वाली कम्पनियों के बोर्ड में संचालकों की नियुक्ति करने के अधिकार को सामान्य रूप में समझा जाना चाहिये । इसका सरकार ने उत्तर यह दिया है कि वह जहां आवश्यकता समझती है इस अधिकार का उपयोग करती है । १०३ कम्पनियों में से केवल २३ कम्पनियों ने निगम के संचालकों का अपने बोर्ड में नाम निर्देश किया है । इन संचालकों में से कोई आठ कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो कोई केवल तीन का ही । मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिये कि यदि किसी कम्पनी को इस निश्चित राशि से अधिक ऋण दिया जायेगा तो उसको अपने बोर्ड में निगम के प्रतिनिधि को रखना आवश्यक होगा । इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी । इस सम्बन्ध में एक समान नीति का पालन होना चाहिये और एक बार ऐसा निगम बन जाने पर सदैव लागू होता रहेगा । रिपोर्ट से यह भी ज्ञात होता है कि एक कम्पनी ने नियमावली बदल दी थी और निगम की सम्मति बिना एक दूसरी कम्पनी की आस्तियां ले ली गई थीं । यदि बोर्ड में निगम का प्रतिनिधित्व होता तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती थीं ।

समिति ने संसद को और अधिक प्रणाली बद्ध निरीक्षण की दृष्टि से सदन की एक समिति नियुक्त कर देने के लिये कहा है जिसके लिये सरकार ने इस समय बनाने की स्वीकृति नहीं दी है । मैं तो समझता हूं कि सदन की यह समिति विकास कार्य क्रम में बाधा उपस्थित करने के स्थान पर अत्यधिक सहायक बन सकती है । ऐसे निगमों

[श्री मुरारका]

में तो इस प्रकार के संसदीय नियंत्रण का होना आवश्यक है ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उन कम्पनियों को ऋण नहीं दिया जाना चाहिये जिनके प्रबन्धक निगम के संचालक होंगे । मैं इससे सहमत नहीं कि हमारे देश में पक्षपात रहित व्यक्ति नहीं मिलेंगे । और यदि संचालक के नाते वे उन कम्पनियों में रुचि रखने वाले होंगे तो यह प्रश्न ही हल करना बड़ा कठिन हो जायेगा । मैं तो समझता हूं कि यह समिति स्थिति की वास्तविकता का पता लगान में असफल रही है और इसलिये संचालक के कार्य की पूर्णरूपेण वास्तविक आलोचना करना भी सम्भव नहीं है ।

दूसरे यह समिति उन कम्पनियों के टूट जाने का कारण जानने में भी असफल रही है, जो ब्याज न दे सकने अथवा देय किश्तों का भुगतान न करने के कारण बन्द हो गई हैं । इस पर समिति ने कोई प्रकाश नहीं डाला है समिति को इस पर आलोचना करना आवश्यक था कि निगम ने ठीक कार्य किया है, अथवा अपनी इच्छा का उचित प्रयोग किया है या नहीं । समिति ने मूल तत्वों पर विचार न कर छोटी-छोटी बातों में ही भटक कर कुछ साधारण त्रुटियां निकालने का ही प्रयास किया है ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : चेयरमैन साहब, इस रिपोर्ट के ऊपर काफी बहस हो चुकी है और अब विशेष कुछ कहने की तो बात नहीं रह गई है । हर तरह से यह रिपोर्ट यहां पर जांच ली गई है । रिपोर्ट में यह देखने की बात है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें खुद उनका माइन्ड क्लीअर नहीं लगता है । एक दफा कमेटी कहती है कि उन लोगों का कोई दोष नहीं है । फिर उसके बाद वह कहती है कि नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं । बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें यह देखा गया है कि इस कमेटी ने, इस कारपोरेशन ने, ऐसे काम किये हैं जिनसे यह मालूम होता है कि उन लोगों ने कुछ फर्मों को और कुछ अपने आदमियों को सहूलियतें दी हैं । यह दो तरह की जो कंट्रैडिक्शन्स की बातें उन्होंने की हैं, उनसे मेरी समझ में नहीं आता कि उनके मन में असली बातें क्या थीं ।

इसलिये अब हम लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाती है कि इसमें क्या करें । जो गवर्नमेंट नें उसके ऊपर आदेश दिया है वह भी हम को अच्छा नहीं जंचता । आप जानते हैं कि यहां एक बड़े जिम्मेवार इस हाउस के मैम्बर ने कुछ आरोप लगाये थे और एक बड़ी जिम्मेवार संस्था के विरुद्ध वह आरोप लगाये थे जब कि वह मेम्बर साहब इस ओर बैठते थे । मैं समझता हूं कि वह इतने जिम्मेवार हैं कि जब उन्होंने वह आरोप लगाये तो ज़रूर कुछ असली बातें जानकर वे आरोप लगाये होंगे, बिना कुछ जाने हुये आरोप नहीं लगाये होंगे जब कोई भी मेम्बर इस प्रकार का आरोप लगाये और वह पार्लियामेंट का मेम्बर हो तो मैं समझता हूं कि इसी तरह से कोई बात कहीं से सुन कर आरोप लगा दे तो वह ठीक नहीं है । उस की इतनी ही जिम्मेवारी है, जितनी कि एक मिनिस्टर की है । किसी के भी विरुद्ध, कारपोरेशन के विरुद्ध, या किसी दूसरे आदमी के विरुद्ध हम कोई आरोप लगायें तो हमें पूरे तौर से जांच कर लेनी चाहिये, उसके बाद हमको आरोप लगाना चाहिये ।

अब कारपोरेशन के ऊपर आरोप लगाया गया, हमारी कमेटी बैठी । उसका भी मन कोई तरह से क्लीयर नहीं है । फिर गवर्नमेंट की जो फाइंडिंग है, उसके ऊपर मैं वि र

कर रहा था तो वह भी हमको इतनी साफ नहीं मालूम होती है। जिसका अर्थ यह है :

संसद में पक्षपात सम्बन्धी लगाये गये आरोप समिति को उचित नहीं जान पड़े इस लिये सामान्यतः निगम को आरोप से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार की कुछ पक्षपात रहित धारणायें बना ली गई हैं कि जिन आवेदन-पत्रों में सभापति अथवा संचालक कुछ रुचि लेते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तथा निगम उन औद्योगिक संस्थाओं के प्रति झुकाव रखता है जिसमें किसी प्रसिद्ध उद्योगपति का हाथ रहता है। जिन बातों के आधार पर ऐसा कहा गया है उन पर समिति ने कुछ नहीं बताया है। सरकार ने इसका अलग-अलग निरीक्षण किया है और समिति के इस विचार को स्वीकार नहीं किया है कि व्यवसाय को ध्यान में न रख कर अधिक ऋण सरल शर्तों पर दिया गया है।

जब मैंने यह पढ़ा तो समझा कि बहुत ठीक है। रिपोर्ट भी पढ़ी तो वहां पर भी कोई इस प्रकार का एवीडेंस नहीं था जिससे मैं सोच सकता था कि यह सब बातें इस किस्म की हैं। परन्तु मिसिज सुचेता कृपलानी नें अपने व्याख्यान में कुछ बातें बताईं और उन्होंने एक बात अपनी स्पीच में कही कि उन्होंने यह सब एवीडेंस इसके साथ इस रिपोर्ट में नहीं लगाया जैसे हमारी सरकार बराबर यह कह दिया करती है कि 'इन पब्लिक इंटरैस्ट" हम फलां बात नहीं कहना चाहते हैं, इसी तरह से सुचेता कृपलानी ने यह कहा कि पब्लिक इंटरैस्ट में मैं कड़ी भाषा नहीं रखना चाहती और बहुत सी ऐसी बातें थीं कि जिनको मैंने रिपोर्ट में लिखना मुनासिब नहीं समझा। मैं ने इस में कुछ तत्व देखा। परन्तु अन्त में उन्होंने कहा कि जो मेरे पास नोट्स हैं, वह मैंने फाइनेंन्स मिनिस्टर साहब को देने के लिये कहा था।

तो मेरा केवल यही कहना है, जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था, कि एक बड़े जिम्मेवार आदमी ने बड़े बड़े भारी आदमियों के विरुद्ध आरोप लगाये। बड़ी भारी जिम्मेवार संस्था के विरुद्ध आरोप लगाये। तो यहां पर हम लोग बहस मुबाहसा कर के जो कुछ भी चाहें तय कर लें। हम जो कुछ भी ठीक समझें वह क़ानूनी तरीके से जो चाहें कर लें परन्तु इस तरह से एक तरह की हवा फैल जाती है कि जो कुछ भी सरकार करती है यानी गवर्नमेंट करती है, वह सब खराबी को एक तरह से दबाने की नीति ही गवर्नमेंट की रहती है। तो यह सब नोट देख कर तथा कमेटी से यदि उनके पास और भी प्रमाण थे उन्हें लेकर गवर्नमेंट अच्छी तरह से यह कह देती, साफ साफ कह देती, कि उन्होंने जो यह नोट्स दिये गये हैं, उनको भी अच्छी तरह से देख कर अच्छे तरीके से तहक़ीकात करके देख लिया है, इन में कुछ भी नहीं है, और जितने आदमी हैं उन के विरुद्ध कुछ भी कहने को नहीं है। यह बात कहना बहुत जरूरी था। इसको मैं इस लिये कहता हूं कि बहुत जिम्मेवार आदमी इसके अन्दर हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही मुखिया समझे जाते हैं, वह इसके चेयरमैन हैं। उन के खिलाफ इस प्रकार के आरोप थे और जो अच्छे अच्छे काम करने वाले देश के थे, उनके विरुद्ध भी ऐसे आरोप थे। मैं और किसी को तो उनमें से नहीं जानता पर मिस्टर अम्बेगांवकर के साथ तो मेरा करीब चार-पांच वर्ष का सम्बन्ध रहा है। वह बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी हैं। उनके प्रति भी व्यक्तिगत आरोप हमारे लंकासुन्दरम् साहब ने लगाया जिसको मैंने पसन्द नहीं किया।

[श्री झुनझुनवाला]

उन्होंने यह कहा कि अम्बेगांवकर साहब कमेटी के मेम्बर थे और पता नहीं शायद डाइरैक्टर का भी नाम लिया या नहीं, लेकिन कहा कि वही जजमेंट पर बैठते हैं और यह कि उन्होंने रिपोर्ट साइन की है। मेरा कहना यह है कि जजमेंट पर तो वह नहीं बैठे, कैबिनेट बैठी है और उन्होंने जो रिपोर्ट को साइन किया है तो अगर सैक्रेटरी की हैसियत से रिपोर्ट साइन कर दी तो इस के लिये यह समझ लेना कि उन्होने इस में किसी तरह का गोलमाल किया है, यह इस तरह की बात हम लोगों को, जिम्मेवार आदमियों को, नहीं कहनी चाहिये। यही मुझे कहना है।

अब जो कुछ सजेशन्स कमेटी की ओर से किये गये हैं, उनमें से एक बात यह बताई गई है कि यहां पर एक पेड चेयरमैन रहना चाहिये, होलटाइम चैयरमैन रहना चाहिये। ठीक है, होल टाइम पेड चैयरमैन रहने से यह ठीक है कि एक आदमी अपना सारा समय इसमें लगायेगा। परन्तु क्या इसकी आवश्यकता है जैसा हमारे भाई तुलसीदास जी ने कहा, सारा समय लगाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है और मैं तो समझता हूं कि हमारे सर श्री रामजी ने जितना काम किया है और जितने अनुभवी वह हैं, उतना अच्छा आदमी मिलना मुश्किल है। उन के अगेन्स्ट में क्या है, क्या नहीं है, और क्या नुक्स हैं, यह तो मैं नहीं जानता, परन्तु जो कुछ उन्होंने किया वह बड़ी बुद्धिमानी से किया है। अगर आप पेड चेयरमैन रखेंगे और आई० सी० एस० लोगों को रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि व्योपारी आदमी से अधिक ईमानदारी से वह काम कर सकेंगे। जैसे आरोप लगाये गये हैं, आरोप ठीक सिद्ध नहीं हुये हैं, और गवर्नमेंट ने भी अच्छी तरह जांच नहीं की इस तरह की बातों को ध्यान में न रख कर अगर कोई व्योपारी काम करे तो वह कहीं ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बजाय इस के कि एक पेड आदमी को नौकर रख कर काम कराया जाय। अगर नैपोटिज्म और फेवरेटिज्म कोई व्योपारी कर सकता है तो मैं नहीं समझता कि कोई पेड आदमी उस से कहीं बरी रह सकता है। यह तो व्यक्ति की ईमानदारी पर निर्भर है, वह किस तरह काम करता है, कैसे निर्णय करता है, उसके ऊपर निर्भर है : पेड आदमी ईमानदार हो सकता है तो कोई आदमी आनरेरी काम करे तो वह ईमानदार हो सकता है। आप कोई पेड अफसर को पांच हजार या छः हजार तनख्वाह दे कर रख दें और समझें कि वही ईमानदार होगा और जो सारा समय लगा कर काम करेगा वही ईमानदार होगा, और जो केवल आनरेरी तरीक़े से अपना समय लगा कर काम करेगा वह ईमानदार नहीं होगा, यह हमारी समझ में नहीं आता।

अब यह कई एक सुझाव दिये गये हैं कि डाइरेक्टर्स जो हों, उनको लोन नहीं देना चाहिये, ये और इसी प्रकार की कई बातें कही गई हैं, मेरी समझ में ऐसा करने से एक बहुत रिस्ट्रिक्शन और दिक्कत हो जायेगी कि जो अच्छे फर्म्स हैं और जो तरक्की कर सकते हैं उनको लोन न मिले, और उस सूरत में तो जो इस कारपोरेशन का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। परन्तु जो काम करने वाले हैं उनको एक ऐसा रिवाज़ कायम कर देना चाहिये कि लोगों के मन में यह न हो कि चूंकि वहां पर अमुक डाइरेक्टर हैं इस लिये उनको वहां पर लोन और कर्जा आदि बड़ी आसानी से मिल जायेगा। हम लोगों को ऐसा ट्रेडीशन कायम कर देना चाहिये

कि ऐसा नहीं होगा। बल्कि उन आदमियों के केस जिनके जानकार आदमी वहां कारपोरेशन में होंगे, ज्यादा सख्ती और स्ट्रिक्टनेस से देखे जायेंगे, लोगों के मन में इस तरह की भावना पैदा होनी चाहिये और यह भावना वहां के जो अधिकारी हैं और काम करने वाले हैं वह यदि चाहें तो जनता के मन में यह भावना पैदा कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में यह भावना विद्यमान है कि यदि कारपोरेशन के किसी अधिकारी और अफसर से किसी की दोस्ती है तो यह समझा जाता है कि बस अब तो यह जो कुछ काम करेंगे वह सब दबाव से करवा लेंगे, यह भावना आज हमारे मुल्क में फैली हुई है, इस तरह की भावना का रहना ठीक नहीं है और अधिकारी लोगों को चाहिये कि वह अपने आचरण और काररवाई से यह भावना उत्पन्न कर दें कि जो आदमी उनकी जान पहचान के हैं उनके केस बहुत स्ट्रिक्टली जांचे जायेंगे।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, अभी उस दिन डा० लंका सुन्दरम् ने इस वाद विवाद को प्रारम्भ किया तो उन्होंने मेरी ओर कुछ व्यक्तिगत निर्देश किया था। उन्होंने मेरे एक ऐसे भाषण के कुछ भागों का उद्धरण किया है जो मैंने कुछ मास पूर्व दिया था। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि उस बेंच से उठ कर इस बेंच पर आ बैठने से शायद मुझ में कोई मूल परिवर्तन आ गया हो। मैं ने कुछ आरोप लगाये थे परन्तु मैं अपने उत्तरदायित्व को भलीभांति समझता हूं। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस विषय में जांच करवाई और मैं उस जांच की उपपत्तियों का मान करता हूं। मैं अनुभव से नई बातें सीखने के लिये सदैव तैयार रहता हूं।

सरकार की ओर से हमने श्रीमती सुचेता कृपलानी और समिति को धन्यवाद दिया है। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने जो जांच की है और सहायता दी है, उस के लिये सरकार उन्हें धन्यवाद देना चाहती है। यह संकल्प इस लिये प्रस्तुत किया गया है।

सरकार की ओर से बोलते हुये, मैं समिति की रिपोर्ट पर आलोचना नहीं कर सकता। जो कुछ इसमें कहा गया है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज श्री बंसल और कुछ और माननीय सदस्यों ने कहा है कि रिपोर्ट में कुछ परस्पर विरोधी चीजें हैं। मैं इन बातों को सदन के समक्ष नही रखना चाहता क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि समिति के लिये बहुत से मामलों के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय कायम करना बहुत कठिन कार्य है। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने स्वयं कहा था कि पक्षपात सिद्ध करना कोई सरल काम नहीं है। समिति की रिपोर्ट में कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया गया कि परिवार पोषण या पक्षपात का आरोप सिद्ध हो चुका है। सरकार के संकल्प की भाषा भी यही है कि यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ और समिति ने सामान्य रूप से यह कहा है कि निगम पर यह आरोप लागू नहीं होता। समिति के निर्णय क्या हैं? श्री बंसल ने प्रध्याय ४ की ओर निर्देश किया है। यही प्रध्याय वास्तव में विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में है। यदि माननीय सदस्य इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें तो उन्हे ज्ञात होगा कि समिति ने निगम के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। अधिकांश मामलों में—आठ में से सात आरोपों के सम्बन्ध में— समिति ने निगम को स्पष्ट रूप से निर्दोष ठहराया है। केवल आरोप संख्या सात के सम्बन्ध में जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है समिति ने यह जांच दी है कि यह आंशिक रूप से सिद्ध हो चुका है। फिर समिति ने कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया है, जिनमें निगम ने अपने

[श्री ए० सी० गुहा]

विवेक का प्रयोग किया है। किन्तु संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत निगम को इस विवेक को प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। हो सकता है कि किन्हीं मामलों में इस विवेक के प्रयोग के बारे में निगम से मतभेद हो। हम यह भी मानते हैं कि कोई मामले ऐसे होंगें जिन्हे सीमान्त मामले कहा जा सकता है किन्तु आप देखेंगे कि रिपोर्ट में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें समिति ने कहा हो कि निगम ने दुर्भाव से काम लिया है या निगम के किसी संचालक या प्रबन्ध संचालक या किसी अन्य सम्बन्धित व्यक्ति ने निगम का कुछ धन हड़प कर लिया है या इसका दुरुपयोग किया है।

श्रीमान्, सोदपुर को छोड़कर शेष सब विनियोग अच्छे हैं। मैं इस समय सोदपुर के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्यों कि हमने इस के बारे में कोई निर्णय नहीं किया। किन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि सोदपुर के विनियोग से हम संतुष्ट नहीं हैं।

जिन मामलों को मैं ने सीमान्त मामले कहा है, उनके सम्बन्ध में हमें स्मरण रखना चाहिये कि औद्योगिक वित्त निगम एक नया प्रयोग है। हम ने एक नया उद्यम शुरू किया था। इस सदन ने एक अधिनियम पारित किया था जिसके अन्तर्गत औद्योगिक वित्त निगम को एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह स्वाभाविक है कि एक स्वायत्त निकाय को अपने कामों को विनियमित करने का कुछ अधिकार होना चाहिये। यदि इस प्रकार के विनियोगों के बहुत से उदाहरण होते, तो मैं निगम को दोषी ठहराता। डा० लंका सुन्दरम् ने कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किये हैं जिनका अर्थ यह है कि निगम के कुछ कर्मचारियों या संचालकों या प्रबन्ध संचालक को हटा देना चाहिये, जैसे उन्होने कोई दंडनीय अपराध किया हो। मैं सदन को बतला सकता हूं कि १,१७,००,००० रुपये में से, जो कि सूद के रूप में दिये जाने हैं, केवल चार लाख रुपये शेष वसूल किये जाने हैं, १,१३,००,००० रुपये वसूल हो चुके हैं। मेरे विचार में यह इस बात का प्रमाण है कि यह विनियोग निकाय बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। इसी प्रकार केवल १९,००,००० रुपयों को छोड़ कर शेष सब किस्तें वसूल हो चुकी हैं। मेरे विचार में निगम की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस सदन को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम ने न तो एक परोपकारिणी संस्था की तरह और न ही अत्यधिक लाभ कमाने के लिये अपितु केवल एक वित्तीय संस्था की तरह काम किया है। इस का सिद्धांत यह रहा है कि उद्योगों की जितनी सहायता हो सके, की जाय।

कहा गया है कि बहुत से ऐसे समवायों ने जिन का निगम के संचालकों से सम्बन्ध है, औद्योगिक वित्त निगम से रियायतें ली हैं इस सम्बन्ध में मैं ने विभिन्न देशों की वित्तीय संस्थाओं के कार्य का अध्ययन किया है। मैं ने देखा है कि कहीं भी संचालकों या उनसे सम्बन्धित समवायों के निगमों से ऋण लेने पर प्रतिबन्ध नहीं है और न ही भारतीय अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध है। किन्तु इस बात का निर्णय करना कि यह प्रतिबन्ध हो या न हो, सदन का काम है। यदि बाद में सदन यह निर्णय करता है कि इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, तो औद्योगिक वित्त निगम को इस निदेश का पालन करना पड़ेगा। किन्तु वर्तमान अधिनियम के

अन्तर्गत, इस बात के लिए कि निगम ने उन समवायों को जो कि संचालकों से सम्बन्धित हैं कुछ ऋण दिये हैं, हम उस पर दोषारोपण नहीं कर सकते। इन संचालकों का सम्बन्ध क्या है ? कम से कम तीन संचालक, जिन के नाम डा० लंकासुन्दरम ने लिए हैं किसी ऋण लेने वाले समवाय के संचालक नहीं है। प्रो० गाडगिल तो उस सहकारी समवाय के संचालक भी नहीं हैं। एक व्यक्ति के मामले को छोड़ कर, ऋण लेने वाले समवायों में इन संचालकों का जो हित है, उस का कुल मूल्य कुल पूंजी का केवल ०.१०५ प्रतिशत होगा। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि किसी संचालक का किसी समवाय से सम्बन्ध है, इस लिए निगम उस समावाय को कोई अनुचित रियायत दे रहा है।

बैंकिंग समवाय अधिनियम में, जिसकी ओर निर्देश किया गया है, यह उपबन्ध है कि किसी समवाय को जिसका किसी बैंक के संचालक से सम्बन्ध हो, बिना ज़मानत के कोई ऋण नहीं दिया जा सकता। औद्योगिक वित्त निगम बिना जमानत के कोई ऋण नहीं देता। अत: बैंकिंग समवाय अधिनियम के उपबन्ध के दृष्टिकोण से भी औद्योगिक वित्त निगम ने कोई गलत या अनुचित काम नहीं किया।

एक और आरोप यह है कि ऋण देने में निगम ने सब के साथ समान व्यवहार नहीं किया। किन्तु जैसा कि समिति के अध्यक्ष ने स्वयं कहा है यह कोई असाधारण बात नहीं है। यह न तो मनोवैज्ञानिक रूप से स्वाभाविक है और न ही क्रियात्मक रूप से संभव है, क्यों कि भिन्न भिन्न समवायों की वित्तीय या वाणिज्यिक स्थिति भी भिन्न भिन्न होती हैं। चूंकि स्थितियां एक समान नहीं होती, इस लिए उन के साथ समान व्यवहार भी नहीं किया जा सकता।

सरकार के विरुद्ध यह शिकायत है कि सरकार ने रिपोर्ट के साथ अपना निर्णय भी प्रकाशित कर दिया है। किन्तु बहुत से मामलों में यह शिकायत होती है कि रिपोर्टें प्रकाशित कर दी जाती हैं और सरकार अपनी नीति नहीं बना पाती है और सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करती। इस मामले में सरकार ने शीघ्रतापूर्वक काम किया है और सरकार बधाई की पात्र है। किन्तु अब यह सरकार का अपराध हो गया है। मैं चाहता हूं कि सदन इस को स्मरण रखे कि औद्योगिक वित्त निगम एक उधार देने वाला संगठन है और हम नहीं चाहते कि इस निगम के बारे में अनिश्चित काल तक कोई निर्णय न किया जाय। इसलिये सरकार ने यह समझा कि सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिये और इसे रिपोर्ट के साथ प्रकाशित करना चाहिये मुझे इस बात का खेद है कि इसमें कुछ देरी हुई। इसमें देरी का कारण यह है कि हम इस रिपोर्ट पर उचित विचार करना चाहते थे। इस पर कई बार उच्चतम स्तर पर विचार किया गया था ; यदि इस रिपोर्ट पर सरसरी तौर पर विचार किया जाता तो यह संकल्प के साथ ही बहुत पहिले प्रकाशित की जा सकती थी। किन्तु हम इसे उचित महत्व देना चाहते थे।

कुछ माननीय सदस्यों ने संकल्प के शब्दों पर आपत्ति उठाई है विशेषकर इसके प्रथम भाग पर, जो कि पक्षपात के आरोप के सम्बन्ध में है। मैं ने यह पहिले ही बता दिया है कि इस समिति की अध्यक्षता ने स्वयं यहां यह कहा था कि इस आरोप को आसानी से सिद्ध नहीं किया जा सकता जिसका अर्थ यह है कि वह समिति इस आरोप को सिद्ध नहीं कर सकी। जब उस समिति ने इस मामले में संयत भाषा का प्रयोग किया

[श्री ए० सी० गुहा

तो सरकार, जो कि अत्यधिक उत्तरदायी है, कैसे असंयत भाषा का प्रयोग करती ।

अन्य आरोप विनियोगों के बारे में लगाये गये हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन पांच-छै मामलों की आलोचना की गई है वह एसे हैं जिनमें निगम स्थापित होने के बाद सबसे पहिले ऋण दिये गये थे आरम्भिक अवस्था में इस निगम या सरकार को निगम की प्रक्रिया या कार्य प्रणाली के बारे में अधिक निश्चित जानकारी नहीं थी । उस समय इसका जो प्रबन्ध संचालक था वह अब निगम में नहीं है । यद्यपि यह निगम वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है, वित्त मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय दोनों ही इस निगम के कार्य का समायोजन कर रहे हैं । उस समय इस निगम के जो दो मंत्री प्रभारी थे अब वे जीवित नहीं हैं ।

मैं समझता हूं कि इस निगम की स्थापना के दो वर्ष के बाद उद्योग मंत्री के रूप में बोलते हुए डा० एस० पी० मुकर्जी ने इस निगम के कार्य की प्रशंसा की थी ।

डा० लंका सुन्दरम उस दिन बड़े आवेश में आ गए । उन्होंने सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाए परन्तु उनका दृष्टिकोण नितांत पक्षपात पूर्ण था ।

एक उदाहरण लीजिए । इस निगम में कार्णिक नाम का एक व्यक्ति था । डा० लंका सुन्दरम के विचार में वह प्रबन्ध संचालक का सम्बन्धी था । वर्तमान प्रबन्ध संचालक का कार्णिक नाम का एक सम्बन्धी है परन्तु वह औद्योगिक वित्त निगम में नहीं हैं, अपितु पूना में एडवोकेट है । इस के पश्चात डा० लंका सुन्दरम अम्बेगांवकर के नाम मात्र से यह अनुमान लगाने लगे कि उसका प्रबन्ध संचालक से, उस का नाम सोनालकर है, अवश्य कुछ सम्बन्ध होगा ।

डा० लंका सुदन्रम् : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । माननीय मंत्री यह संकेत कर रहे हैं कि मैं ने कुछ इस प्रकार का संकेत किया है कि प्रबन्ध संचालक और श्री अम्बेगांवकर सम्बन्धी हैं मेरे पास यह रिकार्ड है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं न यह नहीं कहा कि उन्होंने सुझाव रखा था । मैं केवल यह कह रहा था कि नामों की समानता के कारण उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है ।

इसके बाद उन्होंने पूछा कि कितने कर्मचारी प्रबंध संचालक अथवा संचालकों के संबंधी हैं । मेरा विचार है कि एक भी कर्मचारी प्रबंध संचालक अथवा अन्य संचालकों से सम्बंधित नहीं है । लेकिन संचालकों को विषय में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं ।

डा० लंका सुन्दरम् : कहने के पूर्व निश्चित कर लीजिये ।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विश्वास है कि एक भी कर्मचारी किसी संचालक का सम्बंधी नहीं है । कम से कम प्रबंध संचालक का कोई रिश्तेदार नहीं है यद्यपि बिना जोखिम के निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है । और फिर किसी भी व्यक्ति के लिये सम्बंधी होना उसकी अयोग्यता नहीं मान लेना चाहिये ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि सोदपुर में कुल कितनी पूंजी का विनियोग किया गया था ?

श्री ए० सी० गुहा : सोदपुर के सम्बंध में एक को छोड़कर लगभग चौंतीस सिफारिशें हैं और हम ने लगभग सभी स्वीकार कर ली

हैं। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने इस सिफारिश की ओर संकेत किया कि औद्योगिक वित्तीय निगम द्वारा लिये गये किसी भी उद्योग का सरकार की सहमति अथवा अनुमोदन के बिना क्रय अथवा निबटारा नहीं किया जाना चाहिये। सरकारी संकल्प में बताया गया है कि औद्योगिक वित्तीय निगम द्वारा अभी तक केवल एक उद्योग का कार्यभार लिया गया है और उस के सम्बंध में एक निश्चित नीति निर्धारित करना समय से पूर्व है क्योंकि औद्योगिक वित्तीय निगम स्वायत्त शासित निकाय है। मैं सदन को यह आश्वासन दे दूं कि सरकार की पूर्ण स्वीकृति और परिचय के बिना कुछ नहीं होगा। सोदपुर गिलास वर्क्स के विषय में हम पूर्ण गम्भीर हैं तथा मेरा विचार है कि इस विषय की जांच करने के लिये हाल ही में एक वार्त्ता समिति भी स्थापित की गई है। मैं स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर दूं कि सोदपुर गिलास वर्क्स में पूंजी विनियोग से हम प्रसन्न नहीं हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : कुल पूंजी विनियोग कितना है ? आज तक उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है ?

श्री ए० सी० गुहा : सोदपुर गिलास वर्क्स को लगभग ५० लाख रुपये का कुल ऋण दिया गया है।

श्री नम्बियार : बहुत कम है।

श्री ए० सी० गुहा : १५ करोड़ रुपये की तुलना में यह बहुत कम है।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मेरा विचार है यह ५० लाख रुपये से अधिक है।

डा० लंका सुन्दरम् : प्रतिवेदन के पृष्ठ ६८ पर यह रक़म ६४ लाख रुपये बताई गई है।

श्री ए० सी० गुहा : यह सब ऋण ही नहीं है। मैंने ऋण के बारे में कहा था कि वह ५० लाख रुपये है। निगम द्वारा कार्यभार लेने पर उसमें कुछ और पूंजी लगा दी होगी।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं कुल पूंजी विनियोग जानने के लिये उत्सुक हूं।

श्री ए० सी० गुहा : यह ब्याज सहित ८५ लाख रुपये है। कुछ माननीय सदस्यों ने अन्तर्बाधा डालकर पूछा कि करदाताओं के रुपये के सम्बंध में क्या किया गया है। जब औद्योगिक वित्तीय निगम आरम्भ किया गया था उस समय सरकार के पास केवल २० प्रतिशत शेअर थे जब कि ८० प्रतिशत शेअर दूसरी निकायों के अधीन थे जिनमें रिज़र्व बैंक का २० प्रतिशत भी सम्मिलित है। उस समय यह बैंक राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। अब रिज़र्व बैंक के शेअर मिलाकर ४० प्रतिशत शेअर पर सरकार का अधिपत्य है और ६० प्रतिशत शेअर गैर सरकारी निकायों द्वारा अधिकृत है। इन्हें अपने संचालक भेजने का अधिकार है और यह संचालक शेअर के मालिकों द्वारा चुने जाते हैं। अत: यह बात नहीं है कि औद्योगिक वित्तीय निगम केवल सरकारी द्रव्य अथवा करदाता के धन की ही व्यवस्था कर रहा है।

जिस ऋण का बार बार ज़िक्र किया गया है उस सबका लेन देन पहले कुछ महीनों १९४८ के अन्तिम भाग अथवा १९४९ के आरम्भ में हुआ था। तब वर्तमान प्रबंध संचालक नहीं थे। अत: वह आलोचना के लक्ष्य नहीं बनाये जा सकते हैं। समिति के प्रतिवेदन में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है कि प्रबंध संचालक अथवा चेअरमैन या बोर्ड ने कोई बेईमानी की है।

[श्री ए० सी० गुहा]

हमारे पास यह बताने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि कार्यपालिका समिति द्वारा किस सीमा तक मत मांगने के लिए प्रार्थना की गई थी ।

श्रीमान्, समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें यें हैं : (१) पूरे समय वाले चेअरमैन की नियुक्ति, (२) प्रबंध संचालक के हाथों में शक्ति केन्द्रित करने के संबंध में सिफारिश, और (३) कार्यपालिका समिति की शक्ति । हमने पहली सिफारिश मान ली है अत: दूसरी सिफारिश अपने आप समाप्त हो जाती है । तीसरी सिफारिश भी करीब करीब स्वीकार कर ली गई है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इसका नाम 'कार्यपालिका समिति' से बदल कर 'ऋण समिति' रख दिया जाय । अधिनियम में संशोधन के समय इस नाम-परिवर्तन पर विचार किया जायेगा । कार्यपालिका समिति के उद्देश्य और कार्यों को नियंत्रित करने का काम बाद में चलकर बोर्ड पर ही है । हम सरकार की ओर से यह नहीं कह सकते कि बोर्ड को किसी उप-समिति अथवा स्वयं अपनी ही किसी समिति के मार्फत काम नहीं करना चाहिये था ।

मेरा विचार है कि मुझे अब अपनी बात समाप्त करनी चाहिये । मैं डा० लंका सुन्दरम् की बात का एक बार और निर्देश करूंगा । वह तर्कशास्त्र के गलत नियमों की ओर चल रहे हैं । मेरा विचार है वह प्राचीन भारतीय तर्क का आलम्बन लेकर प्रवृत्त हो रहे हैं—"पर्वतो बह्निमान धूमात्" अर्थात् "पर्वत में आग लग रही है—धुएँ के कारण" लेकिन धुआं और दिशाओं से भी आ सकता है । उदाहरणार्थ डा० लंका सुन्दरम् की सिगार से भी धुएँ का उद्गम हो सकता है लेकिन इससे हमें यह परिणाम नहीं निकाल लेना चाहिये कि डा० लंका सुन्दरम् को आग लग गई है । अत: मैं सदन को बता दूं कि जैसी डा० लंका सुन्दरम् की आशंका है, औद्योगिक वित्तीय निगम में आग नहीं लग रही है ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं कि सरकार सोदपुर गिलास वर्क्स पर अपना संकल्प कब तक प्रकाशित करने का विचार रखती है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं इस प्रस्ताव की कठिनता स्वीकार करता हूं । मैं कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता । लेकिन हम शीघ्र ही निर्णय करने वाले हैं । सरकार तथा स्वयं मैं डा० लंका सुन्दरम् से ज्यादा इस बात के उत्सुक हैं ।

इसके पश्चात् सभा शनिवार, १३ मार्च, १९५४ के एक बजे तक के लिये स्थगित हुई ।